भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1406
उत्तर देने की तारीख- 09/12/2025

सुगम्य भारत अभियान

1406. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री मनोज तिवारी:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सुगम्य भारत अभियान के तहत किए गए अभिगम्यता आकलनों की वर्तमान स्थिति विशेषकर सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणाली और डिजिटल सेवाओं के संबंध में क्या है;

(ख) वर्तमान में बाधा मुक्त मानकों का पालन करने वाले केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के सरकारी भवनों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के सरकारी भवनों की पहुँच संबंधी विशेषताओं में कोई खामियां पाई गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो समय-सीमा और कार्यनिष्पादन संकेतकों सहित अभिगम्यता मानकों को पूरा करने के लिए अवशेष सार्वजनिक अवसंरचना का उन्नयन करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ):चूकिं 'राज्य में निहित या राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य सूची का विषय है;और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और सुगम्य आईसीटी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए और नियमित सामाजिक लेखा-परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न योजनाएँ सुगम्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)लागू करता है इसमें एक उप-घटक - "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए योजना" (सीबीएफई योजना) शामिल है, जिसके माध्यम से मौजूदा सरकारी भवनों और कार्यालयों में अनुरूप प्रस्तावों की प्राप्ति के अनुसार माँग के आधार पर बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, समुचित सरकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं को सुगम्य लेखा परीक्षा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने निर्मित वातावरण और वेब/डिजिटल डोमेन, दोनों में,सुगम्य लेखा परीक्षकों को पैनलबद्ध किया है। आज तक की स्थिति के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने निर्मित वातावरण के लिए साठ (60) सुगम्य लेखा परीक्षकों और वेब सुगम्यता के लिए सोलह (16) सुगम्य लेखा परीक्षकों को पैनलबद्ध किया है। इन पैनलबद्ध सुगम्य लेखा परीक्षकों की सेवाएँ संबंधित अधिकारियों, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें भी शामिल हैं, द्वारा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक और निजी दोनों अवसंरचनाओं की सुगम्य लेखा परीक्षा करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों पर सीधे प्राप्त की जा सकती हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1411

उत्तर देने की तारीख – 09/12/2025

यूडीआईडी कार्डों का जारी किया जाना

1411. डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री देवुसिंह चौहान:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड जारी करने की वर्तमान स्थिति क्या है और अभी तक सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सार्वभौमिक यूडीआईडी कवरेज प्राप्त करने में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है;

(ग) यदि हाँ, तो यूडीआईडी कार्डों को समय पर जारी करके, सत्यापन करके और सौ प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) के संचालन और सेवा वितरण की कोई समीक्षा या आकलन किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो विशेषकर अवसंरचना, कर्मचारियों की व्यवस्था आउटरीच और सेवा उपयोगिता के संबंध में ऐसी समीक्षाओं से प्राप्त मुख्य टिप्पणियां या निष्कर्ष क्या हैं;

(च) क्या सरकार का डीडीआरसी के नेटवर्क को सुदृढ़ करने, आधुनिक बनाने या विस्तारित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हाँ, तो इस संबंध में किसी योजनाबद्ध पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। यूडीआईडी परियोजना शुरू होने के बाद से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों द्वारा देश भर में कुल 1,31,13,616 (दिनांक 05.12.2025 की स्थिति के अनुसार) यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं।

(ख) मुख्य चुनौतियाँ :

(i) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दिव्यांगजनों के आकलन के लिए चिकित्सकीय विशेषज्ञों की कमी।
(ii) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा यूडीआईडी कार्ड जारी करने हेतु अधिकृत अस्पतालों की संख्या कम होना।
(iii) अस्पतालों में यूडीआईडी कार्ड आवेदनों का लंबित (पेंडेंसी) होना।
(iv) दिव्यांगजनों में जागरूकता की कमी।

(ग) और (घ): (i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों के मूल्यांकन हेतु संशोधित दिव्यांगता आकलन दिशा-निर्देशों का प्रकाशन 12.03.2024 को किया गया है, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नामित अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल बोर्ड में निजी चिकित्सकों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

(ii) देश के अलग-अलग ज़ोन में लगभग 6000 मेडिकल चिकित्सकों के साथ संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशा-निर्देश पर 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम किए।

(iii) विभाग द्वारा यूडीआईडी पोर्टल के अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया गया।

(iv) लंबित आवेदनों के समय पर निपटारे के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ नियमित बैठकें की गईं।

(ङ) : जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) राज्य सरकारों की मदद से स्थापित किए और चलाए जाते हैं और जिला मजिस्ट्रेट के समग्र पर्यवेक्षण में काम करते हैं। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार मुख्य रूप से वित्तीय-व्यवहार्यता अंतर समर्थन (वायबिलिटी-गैप सपोर्ट) के रूप में वित्तीय मदद देती है, जबकि दैनिक प्रबंधन, कर्मचारी प्रबंधन, अवसंरचना समर्थन और कार्यात्मक गतिविधियां राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन की ज़िम्मेदारी में आती हैं।

आगामी वित्त आयोग की अवधि में योजना को जारी रखने के लिए, इसके मूल्यांकन के लिए हाल ही में एक प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन किया गया। अध्ययन से कई बातें सामने आई हैं, जिनमें जिला स्तर पर पुनर्वास सेवाएं देने में डीडीआरसी का योगदान, दिव्यांगजनों के लिए स्थानीय सुगम्यता बढ़ाना, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप गतिविधि को आसान बनाना शामिल है। अध्ययन रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि जिला स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली के साथ लिंकेज को मज़बूत करने और दिव्यांगता से जुड़ी सेवाओं के बारे में जागरूकता और आउटरीच को बेहतर बनाने में डीडीआरसी की भूमिका कितनी मददगार है। इसके अलावा, रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि डीडीआरसी ज़्यादातर सरकारी या अस्पताल परिसर से कार्य करती हैं, जिससे मूलभूत कार्य संचालन सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, आउटरीच प्रैक्टिस सुदृढ़ हुई हैं, जिससे सेवा पहुंचाना सुनिश्चित होता है।

(च) और (छ) : योजना के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया, जिसमें सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की कोशिशें शामिल थीं, जैसे ज़्यादा पुनर्वास व्यावसायिक/स्टाफ़ की व्यवस्था, बेहतर सुविधाएं इत्यादि। वित्त वर्ष 2024-25 से डीडीआरसी के तहत ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करना/स्वीकार करना शुरू किया गया था। इसके अलावा, जुलाई 2025 में, डीडीआरसी सहित डीडीआरएस के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने और संसाधित करने के लिए एक नया समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1484

उत्तर देने की तारीख – 09/12/2025

राष्ट्रीय सुलभता एवं सहायक-तकनीक मिशन

1484. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए वास्तविक "पूर्ण समावेशन" सुनिश्चित करने के लिए "राष्ट्रीय सुलभता एवं सहायक तकनीक मिशन" शुरू करने पर विचार किया है, जिसके तहत सार्वभौमिक डिजाइन मानदंड़ों के साथ अनिवार्य अनुपालन, एआई-आधारित सहायक उपकरणों की सामर्थ्य, विकलांगता से जुड़ा डिजिटल समावेशन सूचकांक, सुलभ सार्वजनिक अवसंरचना ऑडिट और रोजगार क्षेत्र में विकलांगता-समायोजित उत्पादकता मानदंड़ों जैसे संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय योजना तैयार की जा सकती है;

(ख) यदि हाँ; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में विकलांगता प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाने पर विचार किया है, ताकि नीतियों को उक्त योजना के आरंभ से, दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): वर्तमान में, राष्ट्रीय सुगम्यता और सहायक-तकनीक मिशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। विभाग पहले से विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है जैसे कि बाधामुक्त अवसंरचना, "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माणकी योजना (CBFE)",सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)और परिवहन सुगम्यता के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिपयोजना), आधुनिक तकनीक पर आधारित सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण के लिए एडिपयोजना आदि।

साथ ही 'राज्य में निहित या राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य सूची का विषय है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, समुचित सरकार दिव्यांगजनोंके लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और सुगम्यआईसीटी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए और नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण/मूल्यांकन करने के लिए भी ज़िम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न योजनाएँ सुगम्यता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। विभाग द्वारा लागू योजनाओं की निरंतरता के लिए, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, विभाग में दिव्यांगजनों के लिए परिणामों की प्रभावकारिता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पाँच वर्ष में विभाग द्वारा संचालित सभी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1489

उत्तर देने की तारीख : 09/12/2025

कमजोर वर्गों को लाभ

1489. श्री बाबू सिंह कुशवाहा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित वर्गों को पेंशन वितरण, प्रमाण पत्र बनवाने, सहायक उपकरणों की उपलब्धता और पुनर्वास सेवाओं जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रगति, पारदर्शिता और लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही सामाजिक न्याय योजनाओं की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों के लिए डिजिटल सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को और मजबूत करने के लिए कोई नई पहल करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) और (ख): दिव्यांगजनों को राहत राज्य सूची का विषय है। अतः उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों और अन्य वंचित वर्गों को पेंशन वितरण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाओं जैसी कल्याणकारी योजनाओं की कार्यान्वयन-स्थिति के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रयासों और उससे संबंधित विवरण स्वयं उस राज्य द्वारा ही रखा जाता है ।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश राज्य में 16 लाख से अधिक यूडीआईडी कार्ड जेनरेट और जारी किए जा चुके हैं। दिव्यांगजनों के लिए, एडिप योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों और उत्तर प्रदेश के नौ (9) केंद्रों सहित स्थायी प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों के माध्यम से आधुनिक सहायक यंत्र और उपकरण दिए जाते हैं। वर्ष 2022 से 2025 तक, उत्तर प्रदेश में एडिप शिविरों के आयोजन में 205 करोड़ रुपये से अधिक राशि का उपयोग किया गया, जिसमें 859 शिविरों के माध्यम से 1.4 लाख लाभार्थियों को लाभ हुआ। वर्ष 2022 से 2025 तक, उत्तर प्रदेश में आरवीवाई (राष्ट्रीय वयोश्री योजना) शिविरों में 68,967 लाभार्थियों के लाभार्थ 252 शिविरों के आयोजन में निधि का उपयोग किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की छात्रवृत्ति योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 8918 लाभार्थियों को 46.44 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई। उत्तर प्रदेश में तीन (3) क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) हैं जो छोटे बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप, चिकित्सा और परामर्श सेवा प्रदान करते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पीएम-अजय, छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप), नि:शुल्क कोचिंग, श्रेष्ठ, स्माइल आदि जैसी योजनाएं कार्यान्वित करता है । वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के घटकों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देता है, जिसके तहत, आज की तारीख तक, उत्तर प्रदेश में 50 वृद्धाश्रम चालू हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विभिन्न राज्य विभागों के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। एडिप, छात्रवृत्ति, डीडीआरएस, आईपीएसआरसी, स्माइल आदि ऐसी ही मॉनिटर की जाने वाली योजनाएं हैं।

(ग) डिजिटल सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मज़बूत करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। WCAG 2.1 AA के अनुरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सुगम्यवेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग टूल, सरकारी/निजी वेबसाइटों के एक्सेसिबिलिटी ऑडिट और प्रमाणन को तेज़ी से करने में मदद कर रहा है। भाषिणी (Bhashini) पहल ई-सेवाओं तक बहुभाषी पहुंच को बढ़ा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और शिकायत निवारण तंत्र पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में वरिष्ठ नागरिक पोर्टल लॉन्च किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत एलिम्को एआई एक्सेसिबिलिटी मिशन और मिशन एआई-ड्रिवन असिस्टिव टेक्नोलॉजी को लागू कर रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) को ओटीआर, बॉयो और चेहरे से प्रमाणीकरण, तथा एनएसपी-यूडीआडी पोर्टल एकीकरण से सुदृढ़ किया गया है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1518

उत्तर देने की तारीख : 09/12/2025

आंध्र प्रदेश में सुगम्य भारत अभियान

1518. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश और विशेषकर प्रकाशम और नेल्लोर जिलों में विगत पांच वर्षों के दौरान सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार तथा विशेषकर प्रकाशम और नेल्लोर जिलों का ब्यौरा क्या है और देश में अवसंरचना के उन्नयन और सेवा सुधारों संबंधी व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सहायता के लिए डिजिटल सुगम्यता उपकरण, सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी-सक्षम मूल्यांकन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का कितना विकास या उपयोग किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने दिव्यांगजनों, कार्यान्वयन अभिकरणों और आम लोगों के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और आउटरीच अभियानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मापनीय परिणामों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) और (ख) :सुगम्य भारत अभियान (एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन) का शुभारंभ 3 दिसंबर, 2015 को तीन क्षेत्रों: निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली, और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT) इकोसिस्टममें सार्वभौमिक पहुंच बनाने के लिए किया गया था।यह अभियान लक्ष्य-उन्मुख है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट सरकारी

भवनों, सार्वजनिक परिवहन बेड़े और वेबसाइटों को सुगम्य बनाना है। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त केवल नियमों के अनुरूप प्रस्तावों पर ही अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार के 02 भवनों की रेट्रोफिटिंग के लिए बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण (सीबीएफई) योजना के तहत पहली किस्त के रूप में ₹31.00 लाख की राशि जारी की गई है।

(ग) : भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को),कानपुर, दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद अथवा फिटिंग के लिए सहायता योजना के तहत दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है। निगम ने कई उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाया है, जिसमें थ्री-डी मुद्रित प्रोस्थेटिक सॉकेट के निर्माण के लिए डिजिटल स्कैनिंग, कम दृष्टि वाले लोगों के लिए सहायक आईवियर डिवाइस का विकास, लिथियम-आयन बैटरी संचालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल शामिल हैं और "कदम" घुटना जोड़ अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है और इस क्षेत्र के इंजीनियरिंग संस्थानों तथा प्रमुख उत्पाद निर्माताओं के साथ हस्तांतरण-प्रौद्योगिकी (ToT)/साझेदारी के माध्यम से अपने उत्पाद डिज़ाइन में लगातार सुधार कर रहा है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 मई 2023 को स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुगम्यता मानक अधिसूचित किए हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता उपायों को अनिवार्य बनाते हैं। ये दिशा-निर्देश अस्पताल और स्वास्थ्य-संबंधी वेबसाइटों की सुगम्यता पर भी जोर देते हैं ताकि सहायक तकनीकों का उपयोग करके निर्बाध नेविगेशन सुनिश्चित किया जा सके।इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने आवश्यक सहायक उपकरणों तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य देखभाल व पुनर्वास सेवाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक सहायक उत्पादों की राष्ट्रीय सूची जारी की है।

(घ) : विभाग की जागरूकता सृजन और प्रचार (AGP) योजना के तहत, राष्ट्रीय संस्थान (NIs), समेकित क्षेत्रीय केंद्र (CRCs), क्षेत्रीय केंद्र (RCs), सरकारी निकाय, शैक्षणिक संस्थान तथा पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। इनका उद्देश्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में दिव्यांगजन (PwDs) के कल्याण हेतु सामान्य जागरूकता फैलाना, साथ ही नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों को दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना और उनके समग्र कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1531
उत्तर देने की तारीख – 09/12/2025

सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना और निरामय योजना

1531. डॉ. कडियम काव्यः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप योजना) और निरामय योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को क्या सहायता प्रदान की गई है;

(ख) पेंशन वृद्धि सहित वृद्धजन कल्याण पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकारों और पात्रता संबंधी जागरूकता अभियानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना)' कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता हेतु निधि जारी की जाती है ताकि उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा मिल सके और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि हो सके। इस योजना के तहत, विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए 15,000 रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि अत्याधुनिक कृत्रिम अंगों के लिए 30,000 रुपये तक तथा मोटरचालित तिपहियों और व्हीलचेयरों के लिए 50,000 रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विभाग वर्ष 2008 से निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है, ताकि सुधारात्मक सर्जरियों/अन्य सर्जरियों, ओपीडी परामर्शों,

डायग्नोस्टिक टेस्टों, थेरेपियों, वैकल्पिक चिकित्सा-आयुष आदि से संबंधित व्यय को कवर किया जा सके। इससे संबंधित विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन 'ओरियंटल इंश्युरेंस कम्पनी लिमिटेड' के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 66,356 दिव्यांगजन नामांकित हुए हैं और आज की तारीख तक इस योजना के तहत 9.9 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) स्वस्थ और सक्रिय वृद्धावस्था के सिद्धांतों के अनुरूप और वृद्धजनों के लिए गरिमामयी जीवन सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) वृद्धजनों के कल्याण के लिए विभिन्न उपायों को मिलाकर व्यापक और एकीकृत सेवा प्रदान करने के लिए है। अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के घटकों का विवरण इस प्रकार है-

(i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)

यह घटक आश्रय, भोजन, चिकित्सा संबंधी देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करता है और क्षमता संवर्धन में सहायता देकर उत्पादक और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देता है। इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थानों/स्थानीय निकायों और पात्र गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है। वित्त वर्ष 2014-15 से, इस योजना के तहत 10.20 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान की गई है।

(ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) - यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-विशिष्ट गतिविधियों जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जागरूकता अभियानों, संवेदीकरण कार्यक्रमों, मोतियाबिंद सर्जरियों, और अन्य कल्याणकारी उपायों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(iii) राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई): यह योजना वर्ष 2017 में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाली श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों या जिनकी मासिक आय अधिकतम 15,000 रुपये तक है, और जो उम्र से जुड़ी किसी दिव्यांगता या कमजोरी से परेशान हैं, उनकी मदद के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर, चश्मे, श्रवण यंत्र आदि जैसे सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाते हैं।

(iv) एल्डरलाइन – वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएससी) - टोल-फ्री नंबर (14567), दिनांक 01.10.2021 से चालू है। यह वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनसे दुर्व्यवहार और उनके बचाव के मामलों में नि:शुल्क जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और क्षेत्रीय हस्तक्षेप (फील्ड इंटरवेंशन) प्रदान करता है।

(v) वृद्धावस्था में देखभाल करने वालों (जेरिएट्रिक केयर गिवर) का प्रशिक्षण: इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएँ प्रदान करना और वृद्धावस्था देखभाल (जेरिएट्रिक्स) के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं

का एक कैडर बनाना है ताकि, वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुरू की गई थी।

(vi) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहलें

- आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) – ताकि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा की आयुष प्रणालियों का लाभ मिल सके।
- प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के साथ समझौता ज्ञापन – आध्यात्मिकता के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना।
- "वृद्ध मित्र टूलकिट" (एल्डर कम्पैनियन टूलकिट) का विकास।
- अंतर-पीढ़ीगत बंधन को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में दादा-दादी-शिक्षक बैठकें आयोजित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को टॉक सीरीज़, वॉकथॉन और शपथ कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों के माध्यम से मनाना।
- डिमेंशिया इंडिया एलायंस के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) – ऑनलाइन मेमोरी स्क्रीनिंग, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और डेटा के विश्लेषण के माध्यम से वृद्धाश्रमों में रह रहे डिमेंशिया ग्रस्त बुजुर्ग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए।
- व्यय विकास (VV) के साथ समझौता ज्ञापन – वरिष्ठ नागरिकों के बीच सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए।
- जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम – कार्यशालाएँ, सेमिनार, पॉडकास्ट और सामुदायिक आउटरीच सहित वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं के लाभों और पात्रता के बारे में सूचित करना।
- डिजिटल और वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम – वरिष्ठ नागरिकों के डिजिटल और वित्तीय समावेशन के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण सामग्री और संरचित सत्रों का विकास।
- वृद्धाश्रमों के लिए समर्थन – सॉफ्ट हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वृद्धाश्रमों को न्यूनतम मानकों को समझने और प्राप्त करने में सहायता करना।

वृद्ध नागरिकों और दिव्यांगजनों को पेंशन के संबंध में: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, 200/- रूपये से लेकर 500/- रूपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। ऐसे परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, शोक संतप्त परिवार को 20,000/- रूपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत एक घटक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसके तहत 60-79 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रति माह

200/- रूपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500/- रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।

वर्तमान में, पेंशन वृद्धि का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - संस्थानों, सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों द्वारा की गई आउटरीच पहलों का समर्थन करता है।

मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अटल वयो अभ्युदय योजना कार्यान्वित कर रहा है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य-विशिष्ट गतिविधियों जैसे जागरूकता अभियान, संवेदीकरण कार्यक्रम, मोतियाबिंद की सर्जरी और अन्य कल्याणकारी उपायों को करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*****

अनुबंध-I

"एडिप और निरमया योजनाओं" के संबंध में दिनांक 09.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1531 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।				
अनुभाग	**उप-अनुभाग**	**विवरण**	**उप-सीमा**	**समग्र**
I	**अस्पताल में भर्ती होने की समग्र सीमा**			**55,000/-**
	क	दिव्यांगता को ठीक करने के लिए सर्जरी की जाती है (चाहे वह जन्मजात हो या बाद में हुई हो), तो इस पर धारा-I(क) के तहत अधिकतम ₹15,000/- तक का व्यय शामिल किया जाएगा। सुधारात्मक सर्जरी के अलावा अन्य संबंधित व्यय, यदि कोई है, तो वे धारा-I(क) की ₹40,000/- की कुल सीमा के भीतर कवर किए जाएँगे।	40,000/-	
	ख	**बिना ऑपरेशन / अस्पताल में भर्ती होना**	15,000	
*** II**	**बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के लिए समग्र सीमा**			**19,000/-**
	क	बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) उपचार जिसमें दवाइयाँ, पैथोलॉजी जाँचें, नैदानिक परीक्षण आदि शामिल हैं	15,000/-	
	ख	दंत निवारक चिकित्सा	4,000/-	
**** III**	**दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के लिए चल रही थेरेपी (उपचार)**			**20,000/-**
IV	**वैकल्पिक चिकित्सा - आयुष (AYUSH)**			**4,000/-**
V	**परिवहन लागत**			**2,000/-**
किसी व्यक्ति के कवरेज की समग्र/अधिकतम सीमा: ₹1,00,000/-				

* एमआरआई, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड आदि जैसी मूल रिपोर्ट/फिल्मों इत्यादि की आवश्यकता दावों के निपटान के लिए फिल्म सहित मूल दस्तावेज़ होना आवश्यक हैं।

** चल रहे उपचार का पर्चा: कम से कम प्रत्येक छ: माह में एक बार डॉक्टर का पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) आवश्यक है, जिसमें थेरेपी की श्रेणी और थेरेपी की अवधि स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए। उसके बाद, थेरेपी और संबंधित बिलों के लिए पुनर्वास पेशेवर के अन्य दस्तावेज़ स्वीकार्य होंगे। पर्चा लिखने वाला डॉक्टर मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार वैध लाइसेंस/डिग्री के साथ एक वैध चिकित्सा व्यवसायी होना चाहिए।

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1535
उत्तर देने की तारीख- 09/12/2025

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन

1535. श्री एस. जगतरक्षकन:
श्री के.ई. प्रकाश:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसदीय समिति में बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए डीडीआरएस जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत निधि का उपयोग लगातार कम किया जा रहा है और वास्तविक लक्ष्यों में कमी की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है और ऐसी कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान डीडीआरएस के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्य- वार कुल कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है और निधि के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान डीडीआरएस के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन संगठन का नाम, जिला, परियोजना की प्रकृति क्या है और तमिलनाडु में प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटित राशि कितनी है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत परियोजनाओं के लिए व्यय का विवरण इस प्रकार है:-

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	व्यय
2022-23	114.69
2023-24	129.98

2024-25	139.39

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि डीडीआरएस के तहत बजट संबंधी व्यय में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): पिछले पांच वर्षों में डीडीआरएस के तहत तमिलनाडु राज्य में परियोजनाओं के लिए जारी सहायता अनुदान का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार विवरण

(राशि रुपये में)

" दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 09.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1535 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।											
क्र.सं.	राज्य	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
		परियोजनाओं की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (रूपये)	परियोजनाओं की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (रूपये)	परियोजनाओं की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (रूपये)	परियोजनाओं की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (रूपये)	परियोजनाओं की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (रूपये)
1.	आंध्र प्रदेश	**64**	160502267	**52**	172341567	**70**	260557306	**68**	270553016	**73**	265012208
2.	असम	**5**	6202482	**7**	13905825	**7**	16275702	**4**	12183175	**5**	16396646
3.	बिहार	**-**	-	**1**	4189479	**2**	3354015	**3**	6864980	**3**	4896171
4.	छत्तीसगढ़	**1**	163059	**1**	4757545	--	--	**--**	--	**1**	7414799
5.	दिल्ली	**7**	24767146	**5**	16273590	**8**	18550632	**10**	16688500	**7**	19170038
6.	गुजरात	**7**	2332317	**6**	9616656	**5**	7092659	**5**	7422104	**7**	9350708
7.	हरियाणा	**9**	14018636	**7**	10198584	**11**	12892567	**11**	17461407	**10**	14881889
8.	हिमाचल प्रदेश	**5**	5531584	**5**	6714621	**5**	4877076	**5**	6114188	**9**	7584587

9.	कर्नाटक	3	8129854	3	13559548	4	13991978	1	7372690	3	9487447
10.	केरल	27	62830001	27	72530235	30	76240797	24	45520012	33	163224699
11.	मध्य प्रदेश	15	21484645	13	25958865	14	31682276	13	33228017	13	26935843
12.	महाराष्ट्र	10	15433280	6	4395057	10	35027007	12	19487147	0	0
13.	मणिपुर	21	53009234	20	69162255	25	99538392	23	85445224	31	103891853
14.	मेघालय	4	10537292	2	2964334	6	10176359	5	8786110	6	16554840
15.	मिजोरम	1	1173032	-	-	2	2922338	1	1725750	1	650850
16.	नागालैंड	1	2631857	-	-	1	3036173	1	3760650	1	3828450
17.	ओडिशा	41	74203665	45	143638090	38	89917342	29	127643499	31	115596253
18.	पुडुचेरी	2	1848173	2	3588653	4	8526872	3	8065153	4	8275383
19.	पंजाब	4	9891853	5	13189661	6	15867527	7	18656231	8	24690410
20.	राजस्थान	9	14401441	12	24113068	12	20345507	10	28514207	11	30171977
21.	तमिलनाडु	11	20824869	8	13705620	12	18469856	12	31215441	11	26088746
22.	उत्तर प्रदेश	43	116131593	42	125420727	36	99143941	38	150996545	43	189630566
23.	उत्तराखंड	3	2937325	3	3744037	3	8487703	1	3307283	4	13039252
24.	पश्चिम बंगाल	13	31165848	18	55334885	21	80048352	19	74818280	19	61028561

25.	तेलंगाना	**36**	114108617	**38**	143972187	**48**	151044761	**43**	209608729	**40**	172531977

अनुबंध-II

(राशि रूपये में)

" दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 09.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1535 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	जिला	कार्यान्वयन संगठन	परियोजना की प्रकृति	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	चेन्नई	बालविद्यालय द स्कूल फॉर यंग डेफ चिल्ड्रन	प्री-स्कूल और शीघ्र हस्तक्षेप तथा प्रशिक्षण	-	-	1020895	1059642	2107890
2	चेन्नई	कार्मेल सेंटर फॉर मेंटली रिटार्डेड	बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल	3477196	1724293	1648118	4899106	2776173
3	कांचीपुरम	क्रश्चियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया	ब्रेल प्रेस	-	2135579	4135448	2292512	2362664
4	तिरुवल्लुर	डेवलेपमेंट एजुकेशन सेंटर	बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल	2690499	1578457	-	2764314	2372394
5	चेन्नई	पाथवे सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन एंड एजुकेशन फॉर मेंटली	बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल	2426963	737489	2374049	7938492	4882101

		रिटार्डेड, डॉ. डीएमसी ट्रस्ट यूनिट						
6	तिरुनेलवेली	फ्लॉरेंस स्वैनसन हायर सेकंड्री स्कूल फॉर द डेफ	श्रवन बाधिता के लिए विशेष स्कूल	902691	-	1420556	7938492	1722155
7	चेन्नई (ईरोड़)	कोंगु अरिवालयम	बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल	2747723	4261916	2762467	2447717	5058293
8	तिरुवल्लुर	लाइफ ऐड सेंटर फॉर द डिसेब्ल्ड	श्रवन बाधिता के लिए विशेष स्कूल	-	-	734760	2316440	1359855
9	मदुरै	एम.एस. चेल्लमुत्तु ट्रस्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन	उपचारित और नियंत्रित मानसिक बीमारी ग्रस्त व्यक्तियों के मानसिक – सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम	1560478	-	1383825	-	-
10	चेन्नई	मधुरम नारायणन सेंटर फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन	प्री-स्कूल और शीघ्र हस्तक्षेप तथा प्रशिक्षण	-	91670	-	1504008	499914
11	तिरुवल्लुर	मानसा स्कूल फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन	बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल	-	-	443205	733257	1555862

12	तिरुव ल्लुर	राष्ट्रीय सेवा समिति	बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल	2692602	-	1149120	2860774	2094075
13	विरुधुन गर	सप्तगिरी रिहैबिलिटे शन ट्रस्ट, विरुधुनगर	बौद्धिक दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल	896900	836973	1305743	1346415	-

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1572

उत्तर देने की तारीख – 09/12/2025

सरकारी भवनों में पहुंच की सुगमता में सुधार

1572. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दाहोद में सरकारी भवनों, बस अड्डों, अस्पतालों आदि की पहुंच की सुगमता में सुधार की स्थिति क्या है; और

(ख) क्या मंत्रालय ने दाहोद जैसे जनजातीय जिले में विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): चूंकि 'राज्य में निहित या राज्य के अधिकार क्षेत्र वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य सूची का विषय है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और सुगम्य आईसीटी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए ज़िम्मेदार है कि विभिन्न योजनाएँ सुगम्यता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, ज़िला-वार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता हैं। पूरे भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के लिए लागू दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) लागू करता है। इसमें एक घटक - "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण की योजना (सीबीईएफ योजना) है", जिसके माध्यम से मौजूदा सरकारी भवनों और कार्यालयों में अनुरूप प्रस्तावों की प्राप्ति के अनुसार माँग के आधार पर बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के तहत, विभाग को गुजरात राज्य सरकार से बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए अभी तक एक भी अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1606
उत्तर देने की तारीख – 09/12/2025

पश्चिम बंगाल में दिशा-सह-विकास योजना

1606. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में गत पाँच वर्षों के दौरान दिशा-सह-विकास योजना (डे केयर) के अंतर्गत लाभान्वित गैर सरकारी संगठनों की सूची क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गैर सरकारी संगठन में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की वर्षवार संख्या कितनी है;
(ग) गत पाँच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को कुल कितनी धनराशि आवंटित एवं वितरित की गई हैं; और
(घ) निधियों के प्रभावी उपयोग की निगरानी करने एवं योजना के उद्देश्यों को पश्चिम बंगाल में पूर्ण करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिशा-सह-विकास योजना (दिवसीय देखभाल) योजना के तहत पिछले पाँच वर्षों के दौरान लाभान्वित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सूची **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख): इस योजना के तहत प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन में लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या **अनुबंध-II** पर दी गई है।

(ग): पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को आवंटित और वितरित की गई कुल धनराशि **अनुबंध-III** पर दी गई है।

(घ): योजनाओं के तहत परियोजना धारकों द्वारा लाभार्थियों की संख्या आदि का विवरण देते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आधार पर मासिक रूप से निधियां जारी की जाती हैं। योजना के केंद्रों का निरीक्षण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत राज्य/जिला अधिकारियों, केंद्रीय परियोजना निगरानी समिति (सीपीएमयू) सलाहकारों जैसे प्राधिकारियों, राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) के माध्यम से नियमित रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास (नेशनल ट्रस्ट) बोर्ड अपनी तिमाही बैठकों में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

अनुबंध- I

क्रम संख्या	संगठन का नाम	जिला	पता
1	दँतन मानव कल्याण केंद्र	पश्चिम मेदिनीपुर	ग्राम-कृष्णपुर, डाकघर- दँतन, थाना- दँतन, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर, पिन-721426
2	झांझा उन्नयन समिति	मुर्शिदाबाद	पत्राचार कार्यालय- ग्राम- चोआ (तमालतला), डाकघर-चोआ, थाना-हरिहरपारा, जिला-मुर्शिदाबाद, राज्य-पश्चिम बंगाल, पिन संख्या-742166
3	कल्याणी लाइफ इंस्टीट्यूट	कल्याणी	बी-3 खेल के मैदान के सामने, नंबर 3, नौ बाजार के पास, कल्याणी, पश्चिम बंगाल 741235
4	मालदा कृष्णपल्ली जन जागरण सोसाइटी	मालदा	ओल्ड मालदा रोड, बाघाजतिन पार्क, डाकघर-मंगल बाड़ी, जिला-मालदा, पिन-732142
5	प्रतिबन्धी सहायक समिति	मेदिनीपुर	डाकघर- पांशकुड़ा, थाना-पांशकुड़ा, जिला-पूर्वी मेदिनीपुर, राज्य-पश्चिम बंगाल, पिन-721139

अनुबंध-II

क्रम संख्या	गैर-सरकारी संगठन का नाम	जिला	लाभार्थी					
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	दँतन मानव कल्याण केंद्र	पश्चिम मेदिनीपुर	30	30	30	30	30	30
2	झांझा उन्नयन समिति	मुर्शिदाबाद	30	30	30	30	30	30
3	कल्याणी लाइफ इंस्टीट्यूट	नादिया	30	30	30	30	30	30
4	मालदा कृष्णपल्ली जन जागरण सोसाइटी	मालदा	30	30	30	30	30	30
5	प्रतिबन्धी सहायक समिति	पूर्वी मेदिनीपुर	30	30	30	30	30	30

अनुबंध-III

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	**गैर-सरकारी संगठन का नाम**	**जिला**	**पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवंटित और वितरित कि गई निधियां**
1	दँतन मानव कल्याण केंद्र	पश्चिम मेदिनीपुर	0.92
2	झांझा उन्नयन समिति	मुर्शिदाबाद	0.72
3	कल्याणी लाइफ इंस्टीट्यूट	नादिया	0.84
4	मालदा कृष्णपल्ली जन जागरण सोसाइटी	मालदा	0.91
5	प्रतिबन्धी सहायक समिति	पूर्वी मेदिनीपुर	0.92

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2059
उत्तर देने की तारीख- 06/08/2025

सुगम्य भारत अभियान और दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण

2059. श्री घनश्याम तिवाड़ी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए शुरू किए गए "सुगम्य भारत अभियान" की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने सार्वजनिक भवनों, परिवहन सुविधाओं और वेबसाइटों को सुलभ बनाया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) और (ख) सुगम्य भारत अभियान (एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन; एआईसी) को निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी प्रणाली – इन तीन क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में दिनांक 3 दिसंबर, 2015 को शुरू किया गया था। सुगम्य भारत अभियान के दौरान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को 1835 सरकारी भवनों की रेट्रोफिटिंग कार्य के लिए ₹564.50 करोड़ जारी किए हैं। चूंकि सुगम्यता एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए विभाग सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

रेलवे मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे स्टेशनों पर सुगम्यता में व्यापक सुधार कार्यान्वित किए गए हैं, जिनमें 5,639 स्टेशनों पर मानक रैंप, दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए स्पर्शनीय मार्गदर्शन सतहें, 2,525 स्टेशनों पर सुगम्य पार्किंग, 313 स्टेशनों पर सुगम्य टिकट काउंटर, 683 स्टेशनों पर लिफ्ट, 5,854 से अधिक स्टेशनों पर व्हीलचेयर, और 4,829 स्टेशनों पर सुगम्य शौचालय शामिल हैं। नेविगेशन सहायता में 947 स्टेशनों पर कोच मार्गदर्शन

प्रणाली, 1,143 स्टेशनों पर ट्रेन संकेत बोर्ड, और 6,133 स्टेशनों पर सार्वजनिक समाधान प्रणाली शामिल हैं, जो दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता करते हैं, जिससे दिव्यांगजनों के लिए अधिक समावेशी यात्रा का वातावरण सृजित होता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 61 राज्य परिवहन उपक्रमों के सहयोग के परिणामस्वरूप सुगम्यता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। कुल 1,45,490 बसों में से, 51,041 बसें (बसों के बेड़े का 35%) अब बुनियादी सुगम्यता मानकों को पूरा करती हैं, जिसमें 25,216 अंतर-शहरी (इंटरसिटी) कोच (26%) और 25,825 अंतर-शहरी (इंटरसिटी) बसें (53%) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सभी एसटीयू नेटवर्क में 3,363 बस स्टेशनों (75%) में से 2,521 बस स्टेशनों का सार्वभौमिक-डिज़ाइन रेट्रोफिटिंग कार्य करने के माध्यम से बस बेड़े और टर्मिनलों, दोनों, को सुगम्य बनाया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने बताया कि केंद्र सरकार की 68 वेबसाइटों को मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा सुगम्य बनाया और प्रमाणित किया गया है। कुल 145 वेबसाइटों (123 केंद्रीय, 4 राज्य) के पास अब जीआईजीडब्ल्यू दिशानिर्देशों के अनुसार सुगम्यता के लिए वैध एसटीक्यूसी प्रमाणन हैं। आज तक 'एस3डब्ल्यूएएएस' प्लेटफॉर्म पर 3000 से अधिक सरकारी वेबसाइटें शामिल की जा चुकी हैं। साथ ही, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की 676 सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य भारत अभियान के तहत सुगम्य बनाया गया है।

(ग) विभाग 'सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)' योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है, ताकि दिव्यांगजनों की दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा मिल सके।

एडिप एसएसए (समग्र शिक्षा अभियान) के प्रावधान के तहत, बधिर व्यक्तियों सहित स्कूल जाने वाले छात्रों को विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्र और सहायक उपकरण जिनमें कृत्रिम अंग, मोटर चालित तिपहिया-साइकिल, चलने में सहायता हेतु छड़ी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट फोन, अधिगम शिक्षण सामग्री (टीएलएम) किट और स्मार्ट बेंत शामिल हैं, वितरित किए जाते हैं।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2060
उत्तर देने की तारीख – 17/12/2025

दिव्यांग व्यक्तियों का समग्र पुनर्वास

2060. श्री रामेश्वर तेली:
श्री अमर पाल मौर्य:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (पीडब्ल्यूडीएस) द्वारा कौन-कौन सी पहल की गई हैं;

(ख) सहयोग के अंतर्गत स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं का स्वरूप और दायरा क्या है और इनके कार्यान्वयन में कौन-कौन से संस्थान शामिल हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है और किन विशिष्ट फोकस क्षेत्रों को शामिल किया गया है; और

(घ) इस पहल से दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और जीवन गुणवत्ता पर क्या अपेक्षित परिणाम हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): यह विभाग प्रमुख योजनाओं और पहलों के माध्यम से एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देता है। दस राष्ट्रीय संस्थान और 30 समेकित क्षेत्रीय केंद्र पूरे भारत में पुनर्वास सेवाएं, शीघ्र हस्तक्षेप और कौशल विकास प्रदान करते हैं। 'सहायक यंत्रों / उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना' सहायक उपकरण प्रदान करती है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) अपने शिविरों और प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों के माध्यम से सहायक उपकरण का निर्माण और आपूर्ति करता है।

(ख) और (ग): सिपडा की अनुसंधान उप-योजना के तहत, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सहायक प्रौद्योगिकी विकास, पुनर्वास प्रोटोकॉल और थेरेपी मॉड्यूल, सुगम्य अधिगम और संचार प्रौद्योगिकियों, पर्यावास अनुसंधान, डिजिटल और आईसीटी-आधारित हस्तक्षेपों, और साक्ष्य-आधारित प्रसार और कार्यात्मकता आकलन अध्ययन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करता है। हाल की परियोजनाएं पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली; एवाईजेएनआईएसएचडी(डी), मुंबई; एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद; एनआईईपीवीडी, देहरादून; और एनआईएलडी, कोलकाता द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित सिपडा योजना की अनुसंधान उप-योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक हुआ कुल व्यय 3.49 करोड़ रुपये है।

(घ): ये पहल प्रौद्योगिकी-आधारित, साक्ष्य-आधारित उपायों और संरचित प्रारंभिक बाल्यावस्था सहायता, थेरेपी का एकीकरण, अन्य लोगों के साथ-साथ देखभालकर्ता की भागीदारी के माध्यम से दिव्यांगजनों की कार्यात्मक स्वतंत्रता को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2062

उत्तर देने की तारीख- 06/08/2025

दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आवास आरक्षण नीति

2062. डा. कविता पाटीदार :
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे :
डा. के. लक्ष्मणः
श्री मोकरिया रामभाईः
श्री रायगा कृष्णैयाः
श्री नरहरी अमीनः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आवास आरक्षण नीति का लाभ प्रतिवर्ष कितने लाभार्थियों को मिलने की संभावना है, और क्या राज्य-वार कार्यान्वयन रूपरेखा तैयार की जा रही है;

(ख) सुगम्य भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुसार अवसंरचना संबंधी संशोधन हेतु अनुमानित वित्तीय परिव्यय कितना है; और

(ग) पिछले वर्षों से दिव्यांगता कोटे के अंतर्गत संभावित लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) और (ग): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 की धारा 37 के अनुसार- समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा, बेंचमार्क दिव्यांगजनों के पक्ष में निम्नलिखित उपबंध करने के लिए योजनाएं बनाएंगे - (क) बेंचमार्क दिव्यांग स्त्रियों की समुचित पूर्विकता के साथ सभी सुसंगत योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में कृषि भूमि और आवासन के आबंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण।

चूंकि 'भूमि' और 'उपनिवेशीकरण' राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। हालाँकि, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण के तहत पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले

पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। आज तक पीएमएवाई-यू योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए 84,864 मकानों की स्वीकृति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 119.26 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत, विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संपदा निदेशालय को सामान्य पूल रिहायशी आवास के आवास आवंटन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, जो एक माह में उपलब्ध रिक्तियों का 4% तक होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2.00 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। 04.08.2025 तक, पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 3.85 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से, 44,991 आवास दिव्यांगजनों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य, जहां तक संभव हो, वहां तक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राज्य स्तर पर पीएमएवाई-जी के तहत 5% लाभार्थी, बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों में से हों, जिसमें बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। पीएमएवाई-जी के प्रावधानों के अनुसार, जिन लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जानी है, उनके बीच पारस्परिक प्राथमिकता तय करते समय, ऐसे परिवारों को अतिरिक्त अभाव अंक (स्कोर) दिया गया है, जिनमें कोई भी दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति है और शारीरिक रूप से कोई भी सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है, ताकि ऐसे परिवारों को मकान आवंटित करते समय प्राथमिकता दी जा सके। यदि अभी भी कुछ लाभार्थी छूट गए हैं, तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें ग्राम पंचायतों या किसी जमीनी कार्यकर्ता के माध्यम से उनके आवास के निर्माण कार्य में सहायता प्रदान की जाए।

(ख): 'राज्य में निहित या उसके स्वामित्व में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य का विषय है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, उपयुक्त सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणाली और सुगम्य आईसीटी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाधा-मुक्त वातावरण बनाने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 73.12 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *136

उत्तर देने की तारीख: 29/07/2025

स्थानीय सरकार में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

*136. श्री तमिलसेल्वन थंगा:

डॉ. गणपथी राजकुमार पी. :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्थानीय शासन में दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर, जिसने हाल ही में इस संबंध में एक संकल्प पारित किया है, कोई विधेयक/प्रस्ताव लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'स्थानीय सरकार में दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व' के संबंध में माननीय सांसद श्री तमिलसेल्वन थंगा और डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा दिनांक 29.07.2025 को पूछे गये लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 136 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार, पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य का विषय हैं, जिसका अर्थ है कि इस मामले में अलग-अलग राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) राज्यों को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व सहित स्थानीय शासन संरचनाओं पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। इन संशोधनों के अनुसार, प्रत्येक पंचायत/शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए उस विशेष क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। इसके अलावा, सभी सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें - जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं - महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, जिससे महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, यह संशोधन यदि आवश्यक हो, तो राज्य विधानसभाओं में, पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। अत: स्थानीय निकायों में दिव्यांगजनों के लिए राजनीतिक आरक्षण के प्रावधान राज्य-विशिष्ट कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और इस संबंध में एक-समान राष्ट्रीय अधिदेश नहीं है।

***

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 167
उत्तर दिनांक: 11.03.2025

दिव्यांगजनों के अनुकूल बुनियादी ढांचा

***167. श्री अशोक कुमार रावत:**
क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी राज्यों के सरकारी भवनों में दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के अनुकूल सरकारी भवन बनाने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेंद्र कुमार):

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *167* के भाग (क) से (ख) के उत्तर में, जो श्री अशोक कुमार रावत, माननीय सांसद द्वारा "दिव्यांगजन अनुकूल अवसंरचना" के संबंध में पूछा गया है, का उत्तर निम्नलिखित है:

(क) से (ख): महोदय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, केंद्र और राज्य दोनों को सभी सरकारी भवनों को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें स्थायी रैंप, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, ब्रेल संकेत, स्पर्श योग्य फर्श, लिफ्ट आदि सुविधाएं शामिल हैं। राज्य में अथवा उसके स्वामित्व में निहित निर्माण कार्य,भूमि और भवन,राज्य सूची का विषय है। फिर भी केंद्र सरकार इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के सृजन के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वन की योजना (सिपडा) के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त संगठनों/संस्थानों को गैर-आवर्ती अनुदान सहायता प्रदान करती है ताकि विभिन्न राज्य सरकारों की मदद की जा सके।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर 2015 को *सुगम्य भारत अभियान* (Accessible India Campaign) शुरू किया। यह अभियान दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगमता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस अभियान में तीन प्रमुख आयाम शामिल हैं - निर्मित पर्यावरण, परिवहन क्षेत्र, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र। वर्ष 2014 से अब तक, SIPDA योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के मौजूदा भवनों को सुलभ बनाने के लिए कुल ₹686.6 करोड़ की राशि जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षाओं के माध्यम से शेष भवनों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील है।

इससे विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांगजन अनुकूल अवसंरचना में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) नागरिक उड्डयन के लिए "सुगमता मानकों और दिशानिर्देशों" को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है, जिससे बाधा मुक्त निर्मित पर्यावरण और सेवाएं सुनिश्चित होती हैं, जिनमें व्हीलचेयर सेवाएं, रैंप, सुलभ शौचालय, स्पर्श योग्य पेविंग और फर्श, लिफ्ट, निर्दिष्ट पार्किंग आदि शामिल हैं, जो उनके सभी 153 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध हैं।

स्कूलों में दिव्यांगजन अनुकूल शौचालयों की उपलब्धता के संबंध में, UDISE+ रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, 97.17% बालिका और सह-शिक्षा स्कूलों में समर्पित बालिका शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकांश दिव्यांगजन अनुकूल हैं।

भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सभी 10,52,664 मतदान केंद्रों में न्यूनतम सुनिश्चित सुविधाएं (AMF) प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिसमें स्थायी रैंप और दिव्यांगजन अनुकूल शौचालयों की उपलब्धता शामिल है।

भारतीय रेलवे के पास 8700 से अधिक स्टेशन हैं और रेलवे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का पालन करते हुए अपने सभी रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुलभ सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जैसे कि प्रवेश रैंप, सुलभ पार्किंग, निम्न ऊंचाई के टिकट काउंटर/सहायता बूथ, शौचालय, सब-वे/फुट ओवर ब्रिज के साथ रैंप/लिफ्ट आदि।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

- विभिन्न स्थलों की सुगमता का ऑडिट करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 59 सुगम्यता ऑडिटरों को सूचीबद्ध किया है।
- सुगम्य भारत, एक मोबाइल एप्लिकेशन जो सुगमता से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए विकसित किया गया है, को दिव्यांग समुदाय की भागीदारी के साथ पुनः डिज़ाइन किया गया है और इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है।

इस प्रकार, मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ समन्वय और सहयोग के माध्यम से जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सभी सरकारी भवनों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *348
उत्तर देने की तारीख: 25.03.2025

एडीआईपी योजना

*348. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी) योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल प्राप्त करने के लिए 80 प्रतिशत दिव्यांगता अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 42 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिव्यांगजनों को उद्योग एवं व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाया जा सके क्योंकि ये लोग शारीरिक कमजोरी के कारण दूसरों पर निर्भर होते हैं;

(घ) दिव्यांगजनों को व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिव्यांगजनों को विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किए गए विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)
(क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"एडिप योजना" के संबंध में श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा पूछे गए दिनांक 25.03.2025 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *348 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी, हां। एडिप योजना के तहत कम से कम 80% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को मोटर चालित तिपहिया प्रदान करने का प्रावधान है। हालांकि, समग्र शिक्षा अभियान (एडिप-एसएसए के प्रावधान के अंतर्गत) के अभिसरण में एडिप योजना के तहत, कक्षा 9 से कक्षा 12 में अध्ययनरत न्यूनतम 16 वर्ष की आयु वाले कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले स्कूल जाने वाले छात्रों को मोटर चालित तिपहिया प्रदान की जाती है।

(ग) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें रोजगार प्राप्त करने, आत्मनिर्भर बनने, समाज के लिए उपयोगी एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाने के लिए - 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' (एनएपी-एसडीपी) कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डिवलेपमेंट कारपोरेशन (एनडीएफडीसी) देश भर में दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। अपनी भागीदार एजेंसियों के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए एनडीएफडीसी की दो फ्लैगशिप (प्रमुख) योजनाएं हैं-

(i) <u>दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई)</u>: यह एक वैयक्तिक केन्द्रित योजना है जिसमें दिव्यांगजनों को आय सृजन कार्यकलापों, उच्च शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक उपकरणों के खरीद के लिए भी इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा 50 लाख रूपये है।

(ii) <u>विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई):</u> इस योजना का कार्यान्वयन देश में दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए स्व-सहायता समूहों और विभिन्न भागीदार एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत, लघु/सूक्ष्म व्यवसाय और विकासात्मक गतिविधियों के लिए शीघ्र और आवश्यकता आधारित ऋण प्रदान करने के लिए रियायती ब्याज दर पर प्रत्येक दिव्यांगजन को 60,000/- रुपये तक उपलब्ध कराया जाता है।

(ङ) यह विभाग दिव्यांगजनों को व्यावसायिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

(1) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) – इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उनकी क्षमता को साकार करने की दृष्टि से प्रारंभिक हस्तक्षेप, दैनिक जीवन कौशल के विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण सहित, दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, विशेष रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है।

(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें रोजगार प्राप्त करने, आत्मनिर्भर बनने, समाज के लिए उपयोगी एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाने के लिए - 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' (एनएपी-एसडीपी) कार्यान्वित कर रहा है।

(3) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति :- वर्तमान में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस व्यापक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को अपनी आजीविका कमाने और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए उन्हें आगे की पढ़ाई करने हेतु सशक्त बनाना है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने और गरिमा के साथ जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस व्यापक छात्रवृत्ति योजना - 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' में छह घटक शामिल हैं:

i. प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)

ii. पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)

iii. उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता वाले अधिसूचित संस्थानों में स्नातक की डिग्री / स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के लिए)

iv. राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल/पीएचडी के लिए)

v. राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति (विदेश में विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री / डॉक्टरेट के लिए)

vi. नि: शुल्क कोचिंग (समूह ए, बी और सी के लिए भर्ती परीक्षा तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु) ।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 282

उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

बौद्धिक नि:शक्तता

282. श्री शफी परम्बिल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक नि:शक्तता) और बहु-नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ट्रस्ट से निधियां प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और पंजीकृत संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ट्रस्ट से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले केरल के गैर-सरकारी संगठनों की सूची क्या है और उनके द्वारा कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है; और

(घ) क्या सरकार ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक नि:शक्तता) और बहु-निशक्तता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवंटित धनराशि बढ़ाने की योजना बना रही है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): चालू वित्त वर्ष के दौरान ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहु-दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास को आवंटित कुल निधियां **25 करोड़ रुपये** है।

(ख): चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय न्यास से निधियां प्राप्त करने वाले पंजीकृत संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(ग): केरल से, मनोविकास, कोल्लम नामक पंजीकृत संगठन ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 9.24 लाख रुपये की राशि प्राप्त की है और इस संगठन को प्राप्त कुल निधि 63.94 लाख रुपये है।

(घ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध-क

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय न्यास से निधियां प्राप्त करने वाले पंजीकृत संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है : -

क्रम सं.	राज्य	पंजीकृत संगठन	जिला	योजना	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी कुल राशि (15-1-2025 तक) (रुपये लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	कसीनाधुनि दुर्गम्बा बुचैया ट्रस्ट	कृष्णा	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	14.04
2		प्रभात सिंधुरी एजुकेशनल सोसाइटी	गुंटूर	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	14.04
3		सिरीशा रिहैबिलिटेशन सेंटर	कृष्णा	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	14.04
4		श्रेया फाउंडेशन	विशाखापट्टनम	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	14.04
5		सनलाइट एजुकेशनल सोसाइटी	श्रीकाकुलम	विकास (डे केयर) योजना	1.84
6		ताडेपल्लीस सत्य साईं चेयुथा सोसायटी	विजयवाड़ा	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	12.12
7		असीसी हेल्थ केयर सोसाइटी	कृष्णा	विकास (डे केयर) योजना	12.66
8		उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी	चित्तूर	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	1.50
9		वेलुगु	चित्तौड़	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	18.00
10	असम	देशबंधु क्लब	कछार	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	6.30
11		मृणालज्योति रिहैबिलिटेशन सेंटर	डिब्रूगढ़	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	4.95
12		प्रेरणा प्रतिबन्धि शिशु विकास केन्द्र	जोरहाट	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	8.12

13	बिहार	आरोग्या फाउंडेशन फॉर हेल्थ प्रोमोशन एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन	सीतामढ़ी	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	4.68
14		आस्था चैरिटेबल एंड वेलफेयर सोसायटी	पटना	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	1.56
15		कोशी क्षेत्रीय बिकलांग बिधवा बृहद कल्याण समिति	सहरसा	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	9.90
16		शमा विकास समिति	नालंदा	विकास (डे केयर) योजना	13.10
17		तपोवन बहुविकलांग पुनर्वास संस्थान	पश्चिमी चंपारण	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	1.56
18	चंडीगढ़	इंडियन नेशनल पोर्टेज एसोसिएशन (आईएनपीए)	चंडीगढ़	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	1.93
19	छत्तीसगढ़	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान	धमतिपुर	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	22.02
20		उन्नयक सेवा समिति	रायगढ़	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	20.15
21	दिल्ली	मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी	पूर्वी दिल्ली	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	5.93
22		समाधान	दिल्ली	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	2.52
23	गुजरात	अंकुर स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन	भावनगर	विकास (डे केयर) योजना	7.37
24		आशीर्वाद ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड या आशीर्वाद विकलांग ट्रस्ट	सुरेन्द्रनगर	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	12.73
25		जीवनदीप हेल्थ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कोडिनार	कोडिनार	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	14.04
26		संप्रत एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट-जूनागढ़	जूनागढ़	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	18.13
27		श्रीमती परसनबेन नारानदास रामजी शाह (तलाजावाला) सोसायटी फॉर रिलिफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड	भावनगर	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	14.04

28	**हरियाणा**	आदर्श पैरा मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन	भिवानी	विकास (डे केयर) योजना	**1.16**
29		नव प्रेरणा	रेवाड़ी	विकास (डे केयर) योजना	**12.66**
30		तपन रिहैबिलिटेशन सोसायटी	करनाल	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	**3.96**
31	**हिमाचल प्रदेश**	गणपति एजुकेशनल सोसायटी	एक प्रकार का हंस	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**4.91**
32		साकार सोसायटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स	मंडी	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**5.98**
33	**जम्मू और कश्मीर**	वोलंटरी मेडिकेयर सोसायटी	श्री नगर	विकास (डे केयर) योजना	**5.43**
34		मुस्कान फाउंडेशन	सांबा	विकास (डे केयर) योजना	**13.10**
35		होप डिसेबिलिटी सेंटर एन अंडरटेकिंग ऑफ शी होप सोसायटी फॉर वूमन एंटरप्रिनर्स	गंदेरबल	विकास (डे केयर) योजना	**5.78**
36		छोटे तारे फाउंडेशन	श्री नगर	विकास (डे केयर) योजना	**1.95**
37		स्वामी विवेकानन्द एजुकेशनल ट्रस्ट	विजयपुर	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**13.70**
38	**कर्नाटक**	आशादीपा अंगविकलारा सर्व अभिवृद्धि सेवा संस्था	बागलकोट	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	**9.90**
39		कर्नाटक पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड सिटिजन (केपीएमआर)	बैंगलोर शहरी	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**3.60**
40		प्रज्ञा ट्रस्ट	चिक्कबल्लपुर	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	**9.90**
41		समूह	कोपल	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	**9.90**
42		सेवा-इन-एक्शन एसोसिएशन	बंगलोर	विकास (डे केयर) योजना	**6.02**
43	**केरल**	मनोविकास स्कूल फॉर मेंटली हैंडिकेप्ड	कोल्लम	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	**9.24**

44		आधार फाउंडेशन	छिंदवाड़ा	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	22.95
45		आधार ज्ञान धात्री समिति	भोपाल	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	3.35
46		अंजनी जन कल्याण संस्थान समिति बीना	सागर	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	18.90
47		बरगढ़ महावीर युवक मंडल समिति	रतलाम	विकास (डे केयर) योजना	13.10
48		ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शिक्षण प्रशिक्षण एवं सेवा समिति नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	विकास (डे केयर) योजना	7.76
49		दिग्दर्शिका इंस्टिट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च	भोपाल	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	11.48
50		जयनारायण सर्वोदय विद्यालय समिति	बेतुल	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	15.70
51	**मध्य प्रदेश**	जन जागरण एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसायटी	सागर	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	9.79
52		जिज्ञासा समाज कल्याण सेवा समिति	भोपाल	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	17.40
53		लाइफ लाइन सर्विस सोसाइटी	सागर	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	10.12
54		माँ सवासन महिला मंडल	बेतुल	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	18.00
55		माधुरी आयाम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी	भोपाल	विकास (डे केयर) योजना	12.22
56		मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति	चंदेसरा पो	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	11.34
57		महिला बाल विकास समिति	भिंड	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	17.16
58		मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन	जबलपुर	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	11.96
59		नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी	उज्जैन	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	14.04

60		नवोदित ग्राम उत्थान महिला एवं बाल विकास समिति	बेतुल	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	**20.40**
61		निशक्त जन आधार वेलफेयर सोसायटी	इंदौर	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**18.00**
62		राज रानी सेवा एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी	रीवा	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**15.60**
63		राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान	कटनी	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**9.93**
64		सर्व श्री माँ नर्मदा शिक्षा एवं जन कल्याण सेवा समिति	सागर	विकास (डे केयर) योजना	**10.72**
65		श्री श्री उत्कर्ष समिति	इंदौर	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	**9.10**
66		स्नेह मंद बुद्धि एवं मूक बधिर स्कूल यूनिट ऑफ स्नेह शिक्षण एवं मानव सेवा संस्थान	रीवा	दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	**5.17**
67		द सन फाउंडेशन समिति	सागर	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**1.46**
68		उम्मीद शिक्षण समिति	विदिशा	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**9.26**
69	**महाराष्ट्र**	आर.एस.एस. जनकल्याण समिति महाराष्ट्र प्रांत (संवेदना सेरेब्रल पाल्सी विकास केंद्र)	लातूर	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**3.20**
70		श्रीमती पी.सी. अलवानी स्कूल फॉर एमआर चिल्ड्रन ए यूनिट ऑफ रिवका साहिल अक्षर इंस्टीट्यूट	सतारा	विकास (डे केयर) योजना	**4.66**
71	**मणिपुर**	हैंडिकैप्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन	इम्फाल वेस्ट	दिशा (अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रिडेंस) योजना	**8.58**
72		द मल्सॉम इनीशियेटिव रन बाय सेंटर फॉर कम्युनिटी इवीशियेटिव	छुरछंदपुर	दिशा (अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रिडेंस) योजना	**8.91**
73	**मेघालय**	बेथनी सोसाइटी	शिलांग	दिशा (अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रिडेंस) योजना	**8.75**

74		एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्प इन रूरल एरिया	बलांगीर	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	22.95
75		भारत ज्योति	मयूरभंज	विकास (डे केयर) स्कीम	10.14
76		सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन सर्विस एंड रिसर्च सीआरएसआर	भद्रक	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	22.95
77		डॉ. ब्रज विहारी मोहंती मेमोरियल मेंटली रिटेंडिड बेनिफिट ट्रस्ट	कटक	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	2.00
78	**ओडिशा**	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	पुरी	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	22.95
79		रिसर्च अकेडमी फॉर रूरल इनरिचमेंट (आरएआरई)	सोनेपुर	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	14.04
80		रूरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एलिवेशन	मयूरभंज	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	18.90
81		सद्भावना	केंदुझार	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	17.80
82		श्री श्री जदिमहल युवा क्लब	बालासोर	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	18.00
83	**पंजाब**	कॉन्फेडेरेशन फॉर चेलेंज्ड	फतेहगढ़ साहिब	विकास (डे केयर) योजना	7.86
84	**पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश)**	इंटीग्रेटिड रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर	पुदुचेरी	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	14.00
85	**राजस्थान**	दीप विद्या मंदिर समिति	दौसा	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	16.80
86		आर्वी स्पेशल स्कूल ए यूनिट ऑफ एसोसिएशन फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ विलेज इम्पेयरमेंट	डिंडीगुल	दिशा (शीघ्र हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	9.23
87		आशा स्कूल फॉर द मेंटली रिटार्टिड चिल्ड्रन ए यूनिट ऑफ आशा ट्रस्ट	तिरुवल्लुर	विकास (डे केयर) योजना	11.79
88	**तमिलनाडु**	ग्लोबल स्पेशल स्कूल फॉर द मेंटली चेलेंज्ड, ए यूनिट ऑफ ग्लोबल ट्रस्ट फॉर द डिफरेंटली एबल्ड	कुड्डालोर	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	4.06
89		सृष्टि स्पेशल स्कूल ए यूनिट ऑफ सृष्टि फाउंडेशन	विलुप्पुरम	विकास (डे केयर) योजना	11.64

90		सेंट ज्यूड्स स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज्ड ए यूनिट ऑफ इकोमवेल ऑर्थोपेडिक सेंटर	सलेम	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	**19.30**
91		विद्या विकासिनी अपोर्चुनिटी स्कूल ए यूनिट ऑफ विद्या विकासिनी सोसायटी	कोयंबटूर	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	**10.43**
92	**तेलंगाना**	पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर द मेंटली हैंडिकेप्ड पर्सनस (पीएएमईएनसीएपी)	पेद्दापल्ली	विकास (डे केयर) योजना	**11.79**
93		शांति निकेतन रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकेप्ड	हैदराबाद	विकास (डे केयर) योजना	**9.41**
94		स्वयंकृषि	हैदराबाद	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**17.30**
95	**उत्तर प्रदेश**	भागीरथ सेवा संस्थान	गाजियाबाद	विकास (डे केयर) योजना	**7.03**
96		देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर	वाराणसी	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**14.04**
97		गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान	गोंडा	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**8.48**
98		ग्रामीण प्रगति संस्थान	अमेठी (छत्रपति साहूजी महाराज)	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**18.00**
99		ग्रामोदय विकास संस्थान	बाराबंकी	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**14.04**
100		आई सपोर्ट फाउंडेशन	लखनऊ	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**12.95**
101		इंटीग्रेटिड इंस्टिट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन फॉर द डिसेबल्ड (विकलांग समेकित पुनर्वास संस्थान)	आगरा	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	**18.62**
102		जन चेतना संस्थान	इलाहाबाद	समर्थ (रेस्पाइट केयर) योजना	**5.39**
103		कैलाशी महिला विकास समिति	आजमगढ़	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	**22.95**
104		लोक जागृति संस्थान	अंबेडकर नगर	विकास (डे केयर) योजना	**13.10**
105		मानव उत्थान समिति	मऊ	विकास (डे केयर) योजना	**13.10**

106		पं. राजपति पाठक वैद्य बालिका शिक्षण संस्थान	वाराणसी	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**14.04**
107		राजेश्वरी सेवा संस्थान	औरैया	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**18.80**
108		रूरल इंफोमेटिव एंड सोशल हार्मोनी एकेडमी	सुल्तानपुर	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**18.00**
109		संचित विकास संस्थान	बस्ती	समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना	**20.23**
110		सरस्वती ज्ञान मंदिर शिक्षा समिति	शाहजहांपुर	विकास (डे केयर) योजना	**4.22**
111		श्री राम आसरे सिंह ग्राम विकास शिक्षा समिति	फतेहपुर	विकास (डे केयर) योजना	**13.10**
112		शुभाशीष शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान	रायबरेली	विकास (डे केयर) योजना	**11.64**
113		स्वामी विवेकानन्द शिक्षा और समाज कल्याण समिति	संत कबीर नगर	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**18.00**
114	**उत्तराखंड**	राफेल राइडर केशायर इंटरनेशनल सेंटर	देहरादून	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	**10.40**
115		आशा भवन केंद्र	हावड़ा	दिशा (शीघ्र हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	**9.58**
116		दांतन मानव कल्याण केंद्र	पश्चिम मेदिनीपुर	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**14.04**
117		झांझा उन्नयन समिति	मुर्शिदाबाद	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**14.04**
118	**पश्चिम बंगाल**	कल्याणी लाइफ इंस्टिट्यूट	नादिया	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**14.04**
119		केंदुआडीही बिकास सोसाइटी	बांकुड़ा	दिशा (शीघ्र हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	**8.33**
120		मालदा कृष्णापल्ली जनजागोरण सोसायटी	मालदा	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**14.04**
121		प्रतिबंधी सहायक समिति	पूर्व मेदिनीपुर	दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना	**14.04**

122		रामपुरहाट स्पास्टिक्स एडं हैंडिकेप्ड सोसायटी	बीरभूम	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	8.00
123		शांतिनिकेतन रतनपल्ली विवेकानन्द आदिवासी कल्याण समिति	बीरभूम	दिशा (शीघ्र हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी) योजना	9.90
124		उत्तरापारा आश्रय – पेरेंटस् आर्गेनाइजेशन	हुगली	विकास (डे केयर) योजना	12.44
	कुल				14.25

इसके अतिरिक्त, ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही निरामया (स्वास्थ्य बीमा योजना) के अंतर्गत 10.76 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 297

उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

पीडब्ल्यूडी हेतु बीमा

297. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लक्षित स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा योजना क्या है;

(ख) क्या निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना अभी भी चल रही है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर में निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या सरकार दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) में शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहु-दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए निरामया (स्वास्थ्य बीमा योजना) का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख): जी हां, निरामया (स्वास्थ्य बीमा योजना) अभी भी चालू है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रूपये में)
2021-22	11.38
2022-23	18.14
2023-24	13.87

(ग): महाराष्ट्र के संभाजी नगर में निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित/नवीकृत लाभार्थियों की संख्या 80 है।

(घ): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जो भारत की आर्थिक रूप से सबसे कमजोर 40% जनसंख्या वाले 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने पर दूसरे और तीसरे दर्जे की देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। एबी पीएम-जेएवाई के तहत दिव्यांगजनों को शामिल करने के संबंध में, यह देखा जा सकता है कि इस योजना के लाभार्थी आधार में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी -2011) में पहचाने गए गरीब और कमजोर परिवार शामिल हैं। एसईसीसी-2011 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वंचन (डेप्रिवेशन) मानदंड शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक मानदंड ''दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं'' है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 378
उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान

378. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता के लिए एक नए अत्याधुनिक भवन (बेसमेंट + ग्राउंड + 6 मंजिल) के निर्माण के लिए अनुमोदन रोक दिया है और यदि हां, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंत्रालय को एनआईएलडी, कोलकाता में पुराने और बाढ़ संभावित बुनियादी ढांचे और इससे कर्मचारियों और रोगियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है और यदि हां, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने गतिशील दिव्यांगजनों के लिए अपनी नैदानिक और उपचार क्षमताओं को बढ़ाने हेतु एनआईएलडी, कोलकाता के लिए एमआरआई मशीन की खरीद के लिए धन आवंटित करने पर विचार किया है और यदि हां, तो इसकी खरीद और स्थापना के लिए अनुमानित समय-सीमा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय का संस्थान के मूल नाम को पुन: "डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी" करने का विचार है जिसकी मांग पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): जी नहीं। राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में नए भवन के निर्माण के प्रस्ताव को, सार्वजनिक वित्त पोषित योजनाओं/परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन पर, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया जाता है।

(ख): विभाग एनआईएलडी में बुनियादी अवसंरचना से जुड़ी चुनौतियों से परिचित है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस संस्थान से प्राप्त प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है, तथा ध्यान में लाये गए किसी भी गंभीर मामले का समाधान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ग): इस संबंध में इस संस्थान से कोई विधिवत अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): इस मुद्दे की जांच की जा रही है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 426
उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पहल

426. **श्री दामोदर अग्रवाल :**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री मनोज तिवारी :
श्री प्रवीण पटेल :
श्री अनूप संजय धोत्रे :
श्री विजय बघेल :
श्री पी.पी.चौधरी :
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन :
डॉ. निशिकान्त दुबे :
श्रीमती अपराजिता सारंगी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
सुश्री कंगना रनौत :
श्री काली चरण सिंह:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण भारत में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई 16 पहलों, जिनका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच और समान अवसर सुनिश्चित करना है, के बारे में सुदूर या वंचित क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, साथ ही लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में, विशेष रूप से जलगांव लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जैसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिव्यांगजनों के जीवन पर इस सशक्तिकरण और समावेशन के पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव की जांच करने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिव्यांगजनों पर इन पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो चिह्नित की गई कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या दिव्यांगजनों की इन पहलों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए कोई समर्पित हेल्पलाइन या सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पूरे भारत में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 16 अभूतपूर्व पहलों की शुरुआत के साथ अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 को चिह्नित किया। इन पहलों के माध्यम से, इस विभाग का लक्ष्य प्रत्येक दिव्यांगजन के लिए समान अवसर, पहुंच और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। शुरू की गई पहलों की सूची **अनुबंध** में दी गई हैं।

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक जागरूकता की गई है ताकि दूरदराज या कम सेवा वाले क्षेत्रों सहित पूरे भारत में दिव्यांगजनों को इन पहलों के बारे में सूचित करना सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अध्याय IX में गैर सरकारी संगठनों आदि जैसे संस्थानों के पंजीकरण का प्रावधान है जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि उपयुक्त सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंदर, पंजीकृत संस्थानों को सेवाएं प्रदान करने और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित देश भर में इन योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें।

जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी वातावरण बनाने के लिए अधिकांश पहलें निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से शुरू की गई हैं। ऐसी पहलों में दिव्यांगजनों के प्रयोग के लिए बेहतर सहायक यंत्रों और उपकरणों की शुरुआत करना, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन करना, पहुंच और सुगम्य अधिगम सामग्री आदि में वृद्धि करने के लिए कोड साझा करना शामिल है।

(ग) और (घ) : ये 16 पहलें प्रत्येक दिव्यांगजन के लिए समान अवसर, पहुंच और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने तथा देश में दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए शुरू की गई हैं। दिव्यांगजनों

के सशक्तिकरण की दिशा में समग्र सुधार के लिए विभाग द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ आवधिक समीक्षा और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई (फोलो-अप) की जाती है।

पहचान की गई कमियों को दूर करने के लिए, विभाग निगरानी तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ सख्त नीति कार्यान्वयन और प्रवर्तन पर केंद्रित है।

(ङ) : जी हां। विभाग ने जनवरी 2024 में शॉर्ट कोड-14456 पर राष्ट्रीय दिव्यांगता सूचना हेल्पलाइन सेवा (एनडीआईएचएस) शुरू की। यह हेल्पलाइन एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी में, चौबीसों घंटे टेलीफोन सहायता प्रदान करती है और कार्य-समय के दौरान कॉल अटेंडेंट की सहायता प्रदान करती है।

एनडीआईएचएस दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों, विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) सेवाओं, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों, सरकारी योजनाओं के तहत लाभ, और रियायतें आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 65,000 व्यक्तियों की सहायता की गई है।

****

अनुबंध

3 दिसंबर, 2024 को शुरू की गई पहलों की सूची

1. **सुगम्य भारत अभियान:** निर्मित वातावरण के लिए सुगम्यता लेखा परीक्षकों की सूचीबद्धता हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफोर्म की शुरुआत की गई, जो समावेशी अवसंरचना के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2. **सुगम्य भारत यात्रा:** एसोसिएशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ साझेदारी में एक अनूठी पहल, जहां दिव्यांगजन एआई-सक्षम "यस टू एक्सेस" ऐप का उपयोग करके सार्वजनिक स्थानों की पहुंच का आकलन करेंगे।
3. **पथवेज टू एक्सेस – पार्ट 3 सार-संग्रह:** इस श्रृंखला की तीसरी किस्त में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल के प्रमुख सरकारी दस्तावेजों पर प्रकाश डाला गया है, जो उन्हें संसाधनों के बारे में जानने और उन तक पहुंचने में सशक्त बनाते हैं।
4. **उच्च शक्ति (हाई-पॉवर) वाले चश्मे:** सीएसआईआर-सीएसआईओ द्वारा बनाए गए ये चश्मे कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए हैं, जो बेहतर ऑप्टिकल स्पष्टता प्रदान करते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं।
5. **दिव्याशा ई-कॉफी टेबल बुक:** यह एलिम्को की ई-बुक है, जो उसकी 50 वर्ष की यात्रा के स्मरण में शुरू की गई है, यह दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान करने में प्रेरक कहानियों और उपलब्धियों को दर्शाती है।
6. **कदम घुटने का जोड़ (नी जाइन्ट):** आईआईटी मद्रास और एसबीएमटी द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी नवाचार, जो बढ़ी हुई गतिशीलता और टिकाऊपन (डयूरबिलिटी) प्रदान करता है, जिसे सहायक प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में लॉन्च किया गया।
7. **जागरूकता सृजन और प्रचार पोर्टल:** पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के अंतर्गत निर्बाध आवेदन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया।
8. **सुगम्य कहानी पुस्तकें:** एनआईईपीवीडी और एनबीटी के सहयोग से, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रेल, ऑडियो और बड़े प्रिंट प्रारूपों में 21 सुगम्य पुस्तकों का विमोचन किया गया।
9. **मानक भारती ब्रेल कोड:** यूनिकोड मानकों के साथ, सामंजस्य और सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए 13 भारतीय भाषाओं में मानकीकृत ब्रेल लिपियों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किया गया।
10. **ब्रेल पुस्तक पोर्टल:** समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रेल पुस्तकें बनाने हेतु एक ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल का अनावरण किया गया।
11. **इंफोसिस बीपीएम के साथ समझौता ज्ञापन:** यह पीएम दक्ष पोर्टल के दिव्यांगजन रोजगार सेतु पहल के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है।
12. **रोजगार कौशल पुस्तक:** 11 भारतीय भाषाओं में जारी की गई यह पुस्तक दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और रोजगार के बीच की कमियों को दूर करती है तथा आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है।

13. **इंफोसिस स्प्रिन्गबोर्ड कौशल कार्यक्रम:** इंफोसिस स्प्रिन्गबोर्ड ने यूनिकी के सहयोग से, भारत भर में बधिर शिक्षार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकसित करने और विपणन योग्य क्षमताएं हासिल करने में मदद करने के लिए पाठ्यक्रम प्रदान किया है।
14. **श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए गूगल एक्सटेंशन:** साइनअप मीडिया और यूनिकी ने मनोरंजन और अन्य वीडियो सामग्री तक पहुंच के लिए, भारत में बधिर समुदाय के लिए मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक मीडिया में सांकेतिक भाषा संचार की मजबूती, विश्वसनीय, सुगम्य स्रोत प्रदान करने के लिए साझेदारी की है।
15. **ई-सानिध्य पोर्टल:** टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट और एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद ने टाटा ई-सानिध्य न्यूरो-डायवर्सिटी प्लेटफॉर्म को एक विशेष ऑनलाइन और ऑफलाइन (डिजिटल) सेवा के रूप में तैयार किया है, जो न्यूरो-डायवर्सिटी की स्थिति वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से ऑटिज्म से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।
16. **एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा कंप्यूटर आधारित भारतीय बुद्धि परीक्षण:** एनआईईपीआईडी ने अपनी सांस्कृतिक प्रासंगिकता और संवेदनशीलता को प्रमुखता देते हुए एक स्वदेशी भारतीय बुद्धि परीक्षण तैयार किया है। भारत के विभिन्न हिस्सों से 4,070 बच्चों से प्राप्त डेटा यह सुनिश्चित करता है कि यह परीक्षण भारतीय आबादी का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 430

उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

कौशल विकास कार्यक्रम

430. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री तापिर गाव :
श्री खगेन मुर्मु :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीआरसी मदुरै में संचालित किए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और किस प्रकार ये कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों के साथ संरेखित हैं;

(ख) क्या प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगों या संगठनों के साथ सहयोग करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), मदुरै निम्नलिखित कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है:-

(i) पौधों की देखभाल करने वाला सहायक (माली) – दिव्यांगजन।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए रोजगार कौशल।

ये कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों को अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय संस्थान और संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) कुशल दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए उद्योगों और संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पीएम-दक्ष पोर्टल बनाया है, जहां दिव्यांगजन रोजगार पाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि उद्योग भागीदार रोजगार के अवसरों को सूचीबद्ध कर सकते हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 435
उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना

435. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के वर्षवार आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए लाभार्थियों के वर्षवार आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) मंत्रालय दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में शामिल गैर-सरकारी संगठनों की प्रभावशीलता का किस प्रकार आकलन करता है; और

(ङ) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के कवरेज या दायरे का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत कवर किए गए गैर -सरकारी संगठनों और लाभार्थियों के वर्ष-वार आंकड़े इस विभाग की वेबसाइट (depwd.gov.in) के

माध्यम से तथा प्रत्येक वर्ष विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग): इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए यह अनिवार्य है कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नियुक्त विशेष शिक्षक और पुनर्वास पेशेवर योग्य हों और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत पंजीकृत हों।

(घ): यह विभाग समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन/प्रदर्शन मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है, ताकि दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत दिव्यांगजनों को शैक्षिक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए)/एनजीओ की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके।

(ङ): दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के कवरेज या दायरे का विस्तार करने के लिए नए परियोजनाओं पर विचार केवल विभाग की स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश के बाद किया जाता है। योजना का दायरा बढ़ाने के लिए उन जिलों की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जहां वर्तमान में कोई मॉडल परियोजना नहीं चल रही है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1170
उत्तर देने की तारीख : 11.02.2025

ब्रेल साक्षरता

1170. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :
श्री योगेन्द्र चांदोलिया :
श्री अनुराग शर्मा :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि को मुख्यधारा के शैक्षणिक संस्थानों में शामिल करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए किए गए महत्वपूर्ण पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में ब्रेल साक्षरता बढ़ाने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की सहायता करने के लिए समर्पित है। इस पहल के हिस्से के रूप में, शैक्षिक सामग्रियों में ब्रेल

के उपयोग को बढ़ावा देने और शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धतियों में ब्रेल को शामिल करने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से एक यूनिवर्सल डिजाइन सेंटर पढ़ने के लिए स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह संस्थान दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता करने में मुख्यधारा के शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है।

(ख) से (घ): सरकार ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं:

I. **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)** के तहत **सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता (डीएएलएम परियोजना)** (पूर्व में ब्रेल प्रेस परियोजना) सुगम्य शिक्षण सामग्री नि:शुल्क प्रदान करती है। वर्ष 2014 में इसकी स्थापना के बाद से, 1,63,390 छात्रों को सुगम्य प्रारूपों में नि:शुल्क स्कूल पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। इस डीएएलएम परियोजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

   i. स्कूल जाने वाले दृष्टिबाधित बच्चों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों को नि:शुल्क सुगम्य शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए अनुमोदित कार्यान्वयन एजेंसियों को **आवर्ती सहायता-अनुदान** के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। इन सुगम्य प्रारूपों में ब्रेल पाठ्यपुस्तकें, टॉकिंग बुक्स, ई-पब/डिजिटल पुस्तकें और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें शामिल हैं।

   ii. निम्नलिखित के लिए **गैर-आवर्ती सहायता अनुदान** के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना:
      क) नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना और मौजूदा **ब्रेल प्रेसों** का आधुनिकीकरण।
      ख) **मौजूदा टॉकिंग बुक स्टूडियो** की क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण।
      ग) नए **डिजिटल पुस्तक निर्माण केंद्रों** की स्थापना और मौजूदा केंद्रों का उन्नयन करना।
      घ) नए **बड़े प्रिंट निर्माण केंद्रों की स्थापना** और मौजूदा केंद्रों का आधुनिकीकरण।

II. **सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना** के अंतर्गत, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए ब्रेल लिपि के उपकरण प्रदान किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में, **50,457 दृष्टिबाधित व्यक्ति** लाभान्वित हुए हैं।

III. **दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना** का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और दिव्यांगजनों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार करना है। इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, **पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी** पोर्टल सितंबर 2023 में शुरू किया गया था। इसकी शुरूआत के बाद से:

   - **157 दृष्टिबाधितों और 29 निम्न दृष्टि वाले व्यक्तियों** ने कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
   - वर्तमान में **144 दृष्टिबाधितों तथा 10 निम्न दृष्टि वाले व्यक्ति** कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

IV. केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान और आरक्षण के संबंध में **दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिनांक 08.11.2024** को **दिशानिर्देश जारी किए।**

V. भारत में ब्रेल साक्षरता को और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:

- ब्रेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **सहायक प्रौद्योगिकी कक्ष** और प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना।
- ब्रेल साक्षरता बढ़ाने के लिए छात्रों और शिक्षकों के लिए अल्पकालिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- **शैक्षिक संस्थानों में ब्रेल साक्षरता के** बारे में जागरूकता बढ़ाना और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराने हेतु कंपनियों के सहयोग से जॉब फेयर का आयोजन करना।
- डेटा प्रविष्टि, सहायक प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कार्य और सामाजिक जीवन के लिए कौशल, और ब्रेल शॉर्टहैंड (हिंदी) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में **कौशल विकास कार्यक्रम** प्रदान करना, जिससे ब्रेल-संबंधी कौशल में दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
- एनआईईपीवीडी ने **26 नवंबर, 2024 को 'भारती ब्रेल पर मैनुअल'** जारी किया, जो शैक्षिक और व्यावसायिक सेटिंग्स में भारती ब्रेल की समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा।
- **4 जनवरी, 2025 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एनआईईपीवीडी ने 'एक मानक भारती ब्रेल कोड'** जारी किया, जिससे पूरे भारत में ब्रेल के उपयोग को और अधिक मानकीकृत किया गया।
- ब्रेल शिक्षण **विशेष शिक्षा (दृष्टिबाधित) कार्यक्रमों,** स्कूली शिक्षा और विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों का एक मुख्य घटक है, जिससे शिक्षा और प्रशिक्षण के विभिन्न स्तरों पर लगभग **566 छात्र** लाभान्वित हुए हैं।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1205
उत्तर देने की तारीख : 11.02.2025

उत्तर-पूर्व के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समग्र सहायता

1205. श्री कामाख्या प्रसाद तासा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समग्र सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से उत्तर-पूर्व में ऐसी परियोजनाओं और प्रायोजनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग) : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 40 स्कूलों/पार्कों आदि सहित सार्वजनिक स्थानों को सुगम्य बनाने; सुगम्य शिक्षण सामग्री, रैंप आदि के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का समर्थन करती है। विशेष आवश्कताओं वाले बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों में एकीकृत करने के लिए समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण के तहत कार्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं।

सरकार कानूनी और वित्तीय सहायता के माध्यम से ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु दिव्यांगता वाले बच्चों की सहायता करती है।

केंद्र सरकार ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) का शुभारंभ किया है।

एडिप योजना के तहत, सरकार विशेष आवश्कताओं वाले बच्चों सहित दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले दो वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24) में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष

आवश्कताओं वाले 11,480 बच्चे एडिप-एसएसए (एडिप-समग्र शिक्षा अभियान) पहल से लाभान्वित हुए हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) में सिंगल विंडो, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) 10-19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है ।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1238
उत्तर देने की तारीख : 11.02.2025

दिव्यांगजनों के लिए रोजगार

1238. श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीआरसी मदुरै में चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रमों को किस प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसरों के साथ जोड़ने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार प्रशिक्षित दिव्यांगजनों के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योगों या संगठनों के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), मदुरै निम्नलिखित कौशल विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है:-

(i) पौधों की देखभाल करने वाला सहायक (माली) – दिव्यांगजन।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए रोजगार कौशल।

ये कार्यक्रम दिव्यांगजनों को अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।

(ख): राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) कुशल दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए उद्योगों और संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पीएम-दक्ष पोर्टल बनाया है, जहां दिव्यांगजन रोजगार पाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि उद्योग भागीदार रोजगार के अवसरों को सूचीबद्ध कर सकते हैं ।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1334
उत्तर देने की तारीख : 11.02.2025

दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता

1334. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को बसों, रेलगाड़ियों और मेट्रो स्टेशनों जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में दिव्यांगों के लिए सुगम्यता उपायों के कार्यान्वयन में भारी खामियों के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि सरकारी भवनों और निजी विकास सहित सभी नई अवसंरचना परियोजनाओं में दिव्यांगों के लिए सुगम्यता सुविधाओं को शामिल किया जाए और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिव्यांगों के दैनिक जीवन पर अपर्याप्त अवसंरचना के प्रभाव के संबंध में अनुसंधान या आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो पहचान की गई कमियों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): भारत सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता को बढ़ावा देने के के लिए कई उपाय किए हैं। अब तक, सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्यता सुविधाएं (रैम्प, शौचालय, लिफ्ट) प्रदान की गई हैं। 709 ए1, ए और बी श्रेणी के सभी रेलवे स्टेशनों पर सात अल्पावधिक उपयोग की जाने वाली सुविधाएं (रैम्प, शौचालय, लिफ्ट, हेल्पडेस्क, पार्किंग, फिसलन रहित रास्ते, पेयजल सुविधाएं) प्रदान कराई गई हैं। लगभग 42,000 और अधिक बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया है और 8695 बसें पूरी तरह से सुगम्य हैं। देशभर में 3533 बस स्टेशनों में से 3120 को सुगम्य बना दिया गया है।

सुगम्य भारत अभियान के तहत, केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा की और 1314 भवनों को सुगम्य बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग(सीपीडब्ल्यूडी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के स्वामित्व वाले 211 भवनों और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुरक्षित अन्य विभागों/मंत्रालयों के 889 भवनों को भी पुनः सज्जित (रेट्रोफिट) किया है।

सुगम्यता सुविधाओं का समावेश सुनिश्चित करने के लिए कई मंत्रालयों/विभागों ने कई उपाय किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने जीएसआर 287(ई), जीएसआर 367(ई), जीएसआर 959 (ई) आदि के माध्यम से, सुलभ बस बॉडी डिज़ाइन के लिए एआईएस-052-कोड अधिसूचित किया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं, जैसे दिव्यांगजनों के लिए प्राथमिकता वाली सीटें, उपयुक्त चिह्नों के साथ दिव्यांगजनों के लिए निर्दिष्ट सीटें, सुविधा के लिए बैसाखी, छड़ी, वॉकर आदि सुरक्षित करने के लिए उचित सुविधा के साथ प्राथमिकता वाली सीटें एवं दिव्यांगजनों के लिए रेलिंग और/या स्टैंचियन के प्रावधान के साथ सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने का प्रावधान है। जीएसआर 959 (ई) फिटनेस प्रमाणन के समय सुगम्य सुविधाओं के संबंध में सत्यापन प्रावधानों को अनिवार्य करता है। जीएसआर 240 (ई) ने अनुकूलित वाहन में रूपांतरण के लिए मोटर वाहन में बदलाव के लिए आवश्यक प्रावधान को अधिसूचित किया।

भारतीय रेलवे ने "दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता और स्टेशनों पर सुविधाओं पर दिशा-निर्देश" भी अधिसूचित किए हैं, जिसमें दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए प्रवेश रैंप, सुगम्य पार्किंग, कम ऊंचाई के टिकट काउंटर / सहायता बूथ, शौचालय, पीने के पानी के बूथ, रैंप / लिफ्ट के साथ सब-वे / फुट ओवर ब्रिज, ब्रेल साइनेज सहित मानक साइनेज और दृष्टिबाधितों के लिए स्पर्शनीय मार्ग आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मेट्रो/आरआरटीएस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता के अनुकूल जन परिवहन प्रणाली डिजाइन की है जो दिव्यांगजनों के साथ-साथ अस्थायी गतिशीलता समस्याओं वाले लोगों और बुजुर्गों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित कर सकती है । मेट्रो/आरआरटीएस के लिए डिज़ाइन मानक संबंधित सुविधाओं और सेवाओं, सूचनाओं आदि सहित सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों को लाभ होता है।
पीएम-ईबस सेवा निविदा में एआईएस 052 और एआईएस 153 के अनुसार सुगम्यता की सुविधाओं और उपकरणों को निर्दिष्ट किया गया है, ताकि व्हीलचेयर सुगम्यता सहित सुगम्यता की सुविधाओं के साथ 12 मीटर और 9 मीटर बसों को 100% तैनात किया जा सके।

(ग) और (घ): जी, हाँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च और डेवलेपमेंट ने तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के रूप में सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस मूल्यांकन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:

- इस अध्ययन के दौरान, यह देखा गया कि 80.51% भवनों को रेट्रोफिटिंग के लिए वित्त पोषित किया गया था।
- इस अभियान ने देश भर में प्रमुख सरकारी भवनों को कवर किया है।
- इस अभियान के कारण सरकारी अधिकारियों और आम जनता के बीच, सार्वजनिक स्थानों तक सुरक्षित और आसान पहुंच हेतु दिव्यांगजनों के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक में बदलाव देखा गया था।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1851
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

वयस्कों में विशिष्ट अधिगम विकलांगताएं

1851.श्री ई. तुकाराम:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वयस्कों में विशिष्ट अधिगम विकलांगता (एसएलडी) का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो समिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) वयस्कों में एसएलडी के मूल्यांकन के लिए नैदानिक परीक्षण की कमी को देखते हुए एसएलडी वाले व्यक्तियों, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के समय वयस्क थे, को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या मंत्रालय ने वयस्कों में एसएलडी के लिए नैदानिक परीक्षण विकसित करने हेतु अनुसंधान संबंधी निधि आवंटित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने वयस्कों में एसएलडी के लिए नैदानिक परीक्षण विकसित करने हेतु निमहान्स को नियुक्त करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी को कवर करते हुए) की धारा 34 (1)(घ) के तहत इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वर्षवार विभागवार और विकलांगतावार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।
(ख) : विभाग ने विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सीमा का आकलन करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। ये दिशा-निर्देश सभी आयु वर्गों में तब तक उपयोग किए जाएँगे जब तक बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए नए पैमाने तैयार और मान्य नहीं हो जाते।

(ग) : मंत्रालय ने सिपडा योजना के अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) घटक के तहत वयस्कों में विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं (एसएलडी) के लिए नैदानिक परीक्षण विकसित करने संबंधी अनुसंधान करने के लिए निधियां आबंटित की हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद द्वारा ''विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं वाले वयस्कों के लिए कंप्यूटर-आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का विकास'' नामक परियोजना को अनुमोदित किया गया है, जिसकी कुल परियोजना लागत 15.20 लाख रूपये है।

(घ) : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने उक्त उद्देश्य के लिए निमहान्स को नियुक्त नहीं किया है।

(ङ) : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 34 में ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक मंदता के लिए, सरकारी नौकरियों में, अन्यों के साथ-साथ, उक्त धारा के तहत यथा विनिर्दिष्ट आरक्षण का प्रावधान है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, धारा 34 (1) (घ) और (ङ) के तहत विनिर्दिष्ट श्रेणी के 389 व्यक्तियों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में रोजगार प्राप्त है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1876
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

भारतीय सांकेतिक भाषा

1876. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत की कितनी प्रतिशत आबादी मूक और बधिर है तथा भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है;

(ख) क्या सरकार की भारतीय सांकेतिक भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कोई योजना/पहल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने देश के शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा को शामिल करने के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार की देश के शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय सांकेतिक भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने की कोई योजना/पहल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) विभिन्न व्यावसायिक और कौशल विकास पाठ्यक्रमों में भारतीय सांकेतिक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) मीडिया के विभिन्न रूपों में भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजनों के जनसांख्यकीय आंकड़ों के लिए सरकार मुख्य रूप से जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांग हैं जिनमें से 19% श्रवण बाधित दिव्यांग हैं।

(ख): दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को मान्यता, संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करता है।

(ग) से (ङ): आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली ने निम्नलिखित प्रमुख पहल की हैं:

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का आईएसएल में रूपांतरण: 2020 में आईएसएलआरटीसी और एनसीईआरटी के बीच हस्ताक्षरित और 2023 में नवीनीकृत एक समझौता ज्ञापन के तहत, कक्षा 1 से 6 तक की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को आईएसएल में परिवर्तित कर दिया गया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, एनईपी 2020 के तहत कक्षा 1-3 तक की तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों को भी आईएसएल में परिवर्तित कर दिया गया है।

भाषा विषय के रूप में आईएसएल: आईएसएलआरटीसी ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के सहयोग से माध्यमिक स्तर पर भाषा विषय के रूप में आईएसएल के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया है।

आईएसएल शब्दकोश: आईएसएलआरटीसी ने एक आईएसएल शब्दकोश विकसित किया है जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से प्राप्त शैक्षणिक शब्दावली शामिल हैं।

दिव्यांगजनों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) लागू कर रहा है। इस योजना के तहत:

दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) और प्रमाणित प्रशिक्षकों के माध्यम से बधिर दिव्यांगजनों को आईएसएल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

[

बुनियादी आईएसएल संचार और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बधिर प्रशिक्षक आईएसएल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

आईएसएलआरटीसी ने आरसीआई-अनुमोदित दो वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित किया है, जिसे 'डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स' कहा जाता है, जहां बधिर व्यक्तियों को आईएसएल शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें शिक्षण का तरीका आईएसएल होता है।

(छ): मीडिया में आईएसएल की पहुंच बढ़ाने और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, आईएसएलआरटीसी ने कई डिजिटल संसाधन विकसित किए हैं :

आईएसएल शब्दकोश के लिए एक समर्पित वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन "साइन लर्न"।

आईएसएल में शैक्षिक सामग्री पीएम ई-विद्या के तहत डीटीएच चैनल नंबर 31 के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिसे यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाता है।

आईएसएल संसाधन और वीडियो नियमित रूप से फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाते हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1887

उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक और रोजगार आधारित प्रोत्साहन

1887.श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक और रोजगार आधारित प्रोत्साहन/सहायता के संबंध में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं (केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित) की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं से लाभान्वित दिव्यांगजनों की आंध्र प्रदेश और प्रकाशम जिले सहित राज्यवार और जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल निधि का आंध्र प्रदेश और प्रकाशम जिले सहित राज्यवार, जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने देश की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रचार गतिविधियां/अभियान चलाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग) : सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया था जो दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी हुआ था। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समानता का अधिकार, गैर-भेदभाव, क्रूरता और शोषण से बचाव, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान तक पहुंच, विधिक क्षमता, विधिक संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा,

रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति तक पहुंच तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 34 में बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 32 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं में 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य सूची का विषय है, शिक्षा और रोजगार आधारित समर्थन के संबंध में केन्द्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं अर्थात् 'दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)', 'छात्रवृत्ति योजना' और 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

(i) **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):-** दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत, स्वैच्छिक संगठनों को बच्चों में प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी) सहित दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता आदि से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष स्कूल सहित दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम, शारीरिक और संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तर को बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

इस योजना से आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले सहित राज्य-वार लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और निधि से उपयोग की गई राशि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ii) **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं:** इस योजना के अंतर्गत, सरकार दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां जैसे प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए), पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक), उच्चतम श्रेणी की शिक्षा (अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए), राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए) और विदेश में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (विदेशी

विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री/पीएचडी के लिए) प्रदान करती है। छात्रवृत्ति राशि डीबीटी मोड के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में सीधे जारी की जाती है।

इस योजना से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले सहित राज्यवार लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग व्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले छात्रों को कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग (छात्रवृत्ति योजना की व्यापक योजना का एक घटक) कार्यान्वित कर रहा है ताकि वे सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने और विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए योग्य बन सकें। यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आने वाले पैनलबद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और दिव्यांगजनों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

अब तक, दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग के तहत 81 दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए 20 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

(iii) **दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने वर्ष 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की थी ताकि राष्ट्रव्यापी सूचीबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से 15-59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों के बीच कौशल, रोजगार प्राप्त करने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। कौशल और रोजगार के प्रयासों को कारगर बनाने के लिए सितंबर 2023 में, **पीएम-दक्ष पोर्टल-डीईपीडब्ल्यूडी** को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया था इसमें दो मॉड्यूल शामिल हैं: **दिव्यांगजन कौशल विकास** - कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, और **दिव्यांगजन रोज़गार सेतु,** जो भारत में निजी कंपनियों में जियो-टैग किए गए रोजगार के अवसरों से दिव्यांगजनों को जोड़ता है। एनएपी-एसडीपी योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निधि सीधे नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यह एक मांग आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में पैनलबद्ध संगठनों को उनकी मांगों/प्रस्तावों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। अलग से कोई बजटीय आबंटन नहीं किया जाता है। एनएपी के लिए बजटीय प्रावधानों से नोशनल रूप से निधि आवंटित की जाती है।

इस योजना के शुरू होने के बाद से, एनएपी-एसडीपी के तहत आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में रहने वाले दिव्यांगजनों सहित 1.42 लाख दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु 156.94 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है।

इसके अलावा, इस विभाग के अंतर्गत **नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी)** दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है। एनडीएफडीसी की प्रमुख योजनाओं में **दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई)** जिसके अंतर्गत आय सृजन, शिक्षा, या सहायक उपकरणों के लिए ₹ 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है और **विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई)** जिसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों और साझेदार एजेंसियों के माध्यम से छोटे व्यवसायों के लिए ₹ 60,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है, शामिल हैं।

एनडीएफडीसी की योजनाओं से आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले सहित राज्य-वार लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ) : विभाग देश भर में "जागरूकता सृजन और प्रचार योजना (एजीपी)" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करना और दिव्यांगजनों की क्षमताओं के बारे में अपने कर्मचारियों और समकक्ष समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दिव्यांगता से संबंधित मामलों पर राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से नियमित आधार पर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और सुग्राही बनाना है। दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिव्यांगजनों को मंच प्रदान करने के लिए एजीपी के तहत दिव्य कला मेले आयोजित किए गए हैं। दिव्यांग कलाकारों की असाधारण प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए, विभाग "दिव्य कला शक्ति" नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें विभिन्न राज्यों, सांस्कृतिक समाजों, संस्थानों, विभिन्न दिव्यांगताओं वाले सिविल समाजों के दिव्यांग कलाकार भाग लेते हैं। देश भर में अब तक 24 दिव्य कला मेलों और 21 दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया जा चुका है।

****

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर हेतु "दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक और रोजगार आधारित प्रोत्साहन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1887 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-।

पिछले 6 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में डीडीआर योजना के तहत लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और जारी की गई कुल राशि निम्नानुसार है-

वर्ष	**जारी की गई निधि (लाख में)**	**लाभान्वित दिव्यांगजन**
2018-19	83.08	508
2019-20	260.77	541
2020-21	205.19	351
2021-22	219.80	448
2022-23	268.49	442
2023-24	262.67	442
2024-25 (07.3.2025 की स्थिति के अनुसार)	259.96	425
कुल	**1559.98**	**3157**

पिछले 9 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीआर योजना के अंतर्गत लाभान्वित दिव्यांगजनों की कुल संख्या और जारी की गई कुल राशि का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्र. सं.	राज्य का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (07.03.2025 की स्थिति के अनुसार)	
		राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या.	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	826.83	5645	763.14	5284	1101.15	5635	1452.75	7268	2663.05	6187	1639.88	5620	1779.89	4620	2648.41	5605	2851.56	4604	2066.74	4419
2	अरुणाचल प्रदेश	6.74	0	9.64	0	1.58	30	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	88.92	341	94.01	206	88.98	249	90.86	469	124.72	603	90.70	248	167.76	488	261.34	753	136.87	327	167.12	237
4	बिहार	62.03	413	25.16	521	80.58	406	43.87	323	23.67	53	0.00	0	41.89	55	33.54	69	68.65	111	42.77	83
5	छत्तीसगढ	47.49	281	17.51	372	24.30	258	40.64	229	49.78	187	1.63	110	47.58	110	0	0	0	0	74.14	158
6	दिल्ली	197.81	1444	82.16	811	196.37	1329	29.62	369	32.65	501	247.67	685	162.74	615	185.51	937	166.89	688	333.90	714
7	गोवा	8.87	138	4.89	86	0.00	0	0.59	70	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
8	गुजरात	47.24	672	32.2	456	58.85	680	97.44	762	131.96	864	43.32	378	120.66	447	72.77	437	95.19	187	94.17	215
9	हरियाणा	117.94	642	116.24	824	119.50	945	130.74	935	154.81	512	140.19	505	101.99	292	128.93	444	174.61	377	75.74	185
10	हिमाचल प्रदेश	20.53	68	24.16	49	24.84	105	55.72	100	71.77	302	69.20	212	67.15	144	69.05	89	84.13	119	87.76	154
11	जम्मू और कश्मीर	9.58	0	3.25	58	0.68	28	5.79	43	4.53	81	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
12	झारखंड	2.45	58	0.94	70	0.00	0	1.59	0	10.39	64	0.00	0	0.00	0	26.09	0	0	0	0	
13	कर्नाटक	77.52	684	96.73	518	83.86	866	86.05	675	41.31	339	81.30	373	135.60	389	139.92	685	73.73	104	94.88	294
14	केरल	362.25	2829	446.16	3302	574.32	3170	584.86	3780	611.82	2112	628.30	1656	725.30	1883	762.41	2081	455.20	1549	1412.67	3429
15	लद्दाख	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.44	0	0	
16	मध्य प्रदेश	132.69	1075	99.75	1016	148.04	1320	162.96	1389	155.5	639	248.31	822	325.57	682	382.72	803	484.55	764	240.85	710

17	महाराष्ट्र	141.47	874	221.47	845	321.64	1085	202.21	836	342.21	3036	180.11	2049	71.46	1677	383.87	523	311.19	1354	49.33	0
18	मणिपुर	284.38	1329	270.91	1287	448.30	1992	525.16	3209	974.01	2597	596.24	1523	741.55	1478	1016.29	2681	946.48	1942	765.03	1801
19	मेघालय	45.86	492	65.16	462	23.21	485	54.32	645	32.59	443	105.37	322	29.64	84	101.76	361	87.86	352	139.21	392
20	मिजोरम	11.25	215	7.38	221	9.44	42	19.88	153	33.9	168	11.73	20	0.00	0	29.22	61	17.26	60	23.18	86
21	नागालैंड	0.41	29	0	0	0.00	0	2.49	30	2.48	30	26.32	47	0.00	0	30.36	60	46.83	48	23.76	53
22	ओडिशा	445.1	2462	329.31	2183	526.93	2822	732.76	3143	1001.05	3239	789.16	5953	1457.59	5306	929.80	4776	1382.09	2067	1050.33	2145
23	पंजाब	46.23	416	68.95	976	86.58	830	45.54	595	133.65	588	98.92	272	149.27	505	168.06	682	211.68	697	243.14	643
24	राजस्थान	139.18	1030	136.12	1051	188.63	1353	152.21	1780	261.6	1096	150.58	370	286.26	528	239.28	546	320.06	513	244.74	422
25	सिक्किम	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	234.29	1528	98.77	959	216.42	1087	272.19	1368	191.9	786	208.25	706	137.06	1267	184.70	1320	312.15	1052	214.61	1036
27	त्रिपुरा	1	30	12.09	140	2.84	70	0.27	70	0	0	0.00	0	0.00	0	15.57	44	51.67	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	550.16	4130	376.19	4284	557.57	3874	760.28	4623	1018.59	4105	1335.24	3580	1389.36	3604	1147.75	3249	1653.52	3017	1846.49	3934
29	उत्तराखंड	41.47	474	28.01	319	26.52	248	28.65	320	84.07	197	102.68	144	68.67	142	87.29	125	80.48	62	95.38	184
30	पश्चिम बंगाल	304.34	2711	361.66	2466	384.90	1840	365.88	2417	335.46	3621	336.31	1935	606.89	1389	811.67	4424	782.79	7162	554.50	8146
31	तेलंगाना	750.13	5334	700.88	5557	685.37	4874	1014.16	5968	1646.76	5513	1168.25	3932	1439.72	4397	1527.48	4389	2121.26	3271	154.61	3006
32	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
33	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
34	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
35	दमन और दीव	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
36	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0		
37	पुदुचेरी	14.83	117	7.16	108	18.36	106	40.42	234	32.61	141	18.48	80	35.89	71	85.27	205	80.65	162	60.04	158
कुल		**5018.99**	**35461**	**4500.00**	**34431**	**5999.77**	**35729**	**6999.90**	**41803**	**10166.84**	**38004**	**8318.15**	**31542**	**10089.47**	**30173**	**11469.06**	**35349**	**12997.78**	**30589**	**10155.22**	**32604**

अनुबंध- II

पिछले 10 वर्षों के दौरान **छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों** और किए गए **व्यय का विवरण**

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1	0.01	74	3.40	144	4.55	221	3.86	233	6.12	217	3.91	628	5.24	201	2.42	1343	4.75	3070	6.26	625	3.45
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21	0.05	2	0.00	8	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	असम	0	0.00	3	0.07	30	0.21	115	0.52	8	0.27	150	0.81	1089	2.15	19	0.75	783	2.02	71	0.67	322	1.07
5	बिहार	0	0.00	16	0.83	42	0.94	430	1.72	409	2.28	1247	3.84	1771	6.56	902	3.68	2278	9.05	1257	5.43	1441	11.94
6	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	25	0.02	3	0.00	11	0.01	4	0.45	17	0.40	1	0.08	34	0.03	90	0.19	343	0.75
7	छत्तीसगढ	0	0.00	3	0.20	9	0.14	120	0.17	275	0.49	417	0.71	344	0.68	7	0.13	1125	1.53	612	3.01	456	0.76
8	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	1	0.00	4	0.00	2	0.00	0	0.00	8	0.01	1	0.00	15	0.01	28	0.03	5	0.01
9	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	2	0.00
10	दिल्ली	1	0.01	5	0.26	144	0.75	25	0.85	394	1.85	337	2.24	476	1.99	8	1.14	313	1.03	502	1.66	149	1.29
11	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.01	0	0.00	11	0.02	6	0.04	26	0.06	25	0.04	26	0.03
12	गुजरात	0	0.00	7	0.14	56	0.55	132	0.47	674	1.80	310	1.12	250	1.27	1379	3.24	1577	2.76	1240	2.56	1034	2.63
13	हरियाणा	0	0.00	12	0.54	56	0.61	76	0.70	143	0.94	252	0.92	239	0.90	111	0.57	275	1.07	285	1.29	136	0.95
14	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	2	0.07	39	0.11	106	0.20	144	0.32	94	0.36	142	0.38	78	0.49	186	0.58	179	1.31	204	1.09
15	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	2	0.06	5	0.23	155	0.45	400	1.11	229	1.30	206	1.01	545	2.44	594	1.77	547	1.88	291	2.18
16	झारखंड	0	0.00	8	0.27	8	0.25	117	0.56	53	0.47	665	1.71	286	1.20	99	0.79	145	0.99	762	8.32	331	3.43
17	कर्नाटक	0	0.00	14	0.58	107	1.22	2564	4.42	1009	2.77	1686	4.81	1100	5.05	1239	5.44	3331	16.93	3026	16.29	3428	23.20

18	केरल	0	0.00	3	0.07	1207	1.29	829	1.35	2415	2.64	2873	3.76	3669	5.48	4192	4.10	5095	7.22	4932	7.62	3992	6.29
19	लद्दाख	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	मध्य प्रदेश	0	0.00	6	0.27	309	0.80	6574	6.26	6422	6.42	5090	7.59	5429	9.04	4003	4.60	5661	9.73	8765	18.03	1293	3.93
22	महाराष्ट्र	0	0.00	18	0.89	83	1.36	326	1.91	93	2.61	863	2.98	1082	4.04	459	2.49	1490	5.83	691	5.99	1757	6.73
23	मणिपुर	0	0.00	2	0.04	29	0.15	3	0.00	30	0.08	0	0.00	12	0.03	7	0.01	0	0.00	32	0.11	27	0.16
24	मेघालय	0	0.00	0	0.00	3	0.00	60	0.07	27	0.05	9	0.02	0	0.00	0	0.00	6	0.06	5	0.01	22	0.05
25	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	33	0.04	35	0.08	2	0.00	26	0.04	5	0.00	11	0.02	12	0.14	2	0.07
26	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	0.02	5	0.01	0	0.00	0	0.00	45	0.05	6	0.01	2	0.00	7	0.01
27	ओडिशा	4	0.02	16	0.73	1911	1.93	629	1.16	2307	3.80	2076	4.88	3341	7.45	1495	3.01	2699	5.40	3168	6.11	1467	4.36
28	पुदुचेरी	1	0.01	3	0.12	7	0.26	5	0.14	22	0.23	33	0.20	79	0.39	27	0.27	95	0.29	46	0.30	7	0.39
29	पंजाब	0	0.00	2	0.11	54	0.42	72	0.34	106	0.80	531	0.93	444	1.23	1019	1.55	1393	2.12	1094	1.74	608	2.35
30	राजस्थान	0	0.00	4	0.16	77	0.51	125	0.70	725	2.03	1222	2.75	1567	3.95	76	1.43	1856	4.08	1084	3.54	1007	3.51
31	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	12	0.01	55	0.04	13	0.04	3	0.00	7	0.05	3	0.00	3	0.00	1	0.00	1	0.00
32	तमिलनाडु	1	0.00	31	1.11	51	1.95	189	0.64	1260	2.09	1506	3.59	1181	4.42	2000	5.26	4384	9.15	6448	13.46	4046	10.69
33	तेलंगाना	0	0.00	0	0.00	27	0.43	108	1.13	135	2.07	138	1.64	328	1.84	95	6.05	1340	6.40	2936	8.86	879	6.76
34	त्रिपुरा	0	0.00	1	0.02	2	0.12	262	0.28	192	0.38	81	0.23	159	0.36	66	0.10	186	1.19	245	0.48	329	1.86
35	उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00	42	0.05	3	0.003	1	0.05	37	0.17	391	1.48	142	0.46	259	0.96	229	1.05	64	0.45
36	उत्तर प्रदेश	6	0.04	58	2.69	1898	4.75	703	5.63	2756	11.25	5564	25.59	18205	45.73	7177	36.76	5115	32.90	2318	24.33	4477	24.86
37	पश्चिम बंगाल	1	0.01	16	0.60	96	1.41	760	2.13	892	3.42	4722	9.71	485	2.18	660	4.42	512	3.49	459	4.49	596	5.22

****

अनुबंध- III

एनडीएफडीसी

पिछले दस वित्तीय वर्षों के दौरान एनडीएफडीसी द्वारा जारी निधि और लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)
(06.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी	दिव्यांगजन	लाभार्थी
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.20	1	17.69	2	0.00	0	0.00	0
2	आंध्र प्रदेश	9.83	2	6.49	1	5.59	2	700.00	700	1.19	1	2500.00	6764	1501.72	1098	0.00	0	1922.83	3575	224.52	166	517.46	501
3	असम	0.00	0	17.28	1	125.00	125	50.00	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.25	1	18.85	16	22.00	21	20.00	20
4	बिहार	0.00	0	523.00	523	3.97	1	0.00	0	4.97	4	5.22	2	6.02		6.88	1	5.20	2	0.00	0	1.19	1
5	चंडीगढ़	1.60	7			4.90	22	4.20	18	7.85	37	7.40	30	1.75	7	2.25	9	2.50	10	3.00	12	29.46	12
6	छत्तीसगढ़	1654.56	1074	936.27	842	1762.41	1671	827.50	827	827.50	827	0.00	0	0.00	0	205.00	119	1.45	0	3.66	1	80.66	12
7	दिल्ली	16.53	1	15.78	4	19.00	15	33.72	23	33.10	13	83.98	29	19.12	2	26.88	85	58.82	101	98.84	16	78.68	9
8	गोवा	0.00	0	5.99	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	10.36	1
9	गुजरात	0.00	0	245.00	245	1070.91	1045	300.00	300	150.00	150	355.00	351	55.00	51	380.41	378	29.48	1	100.00	100	172.04	153
10	हरियाणा	606.00	708	611.94	602	630.22	613	1323.58	1311	1309.00	1300	20.17	3	1369.17	1316	1311.33	1309	1389.11	1372	505.14	457	586.29	552
11	हिमाचल प्रदेश	574.48	546	446.29	419	224.91	204	200.00	200	250.00	250	300.00	300	400.00	400	500.00	500	500.00	500	700.00	700	308.45	302
12	जम्मू और कश्मीर	343.50	378	172.00	172	350.00	350	254.00	254	775.00	624	987.57	976	153.88	144	737.50	737	614.65	615	846.50	826	10.36	1
13	झारखंड	50.00	50	173.39	173	200.00	200	301.33	301	117.45	102	100.00	100	5.00	5	100.00	100	94.18	55	16.49	3	0.00	0
14	कर्नाटक	4.00	1	4.00	1	5.64	1	0.00	0	1.26	1	1.12	1	0.25	1	0.00	0	25.46	4	9.18	2	5.70	1
15	केरल	324.00	420	345.90	345	444.00	444	534.85	525	717.15	705	1058.00	1055	4504.00	4504	2263.50	2254	1.70	0	2007.22	2002	2588.65	2570
16	लक्षद्वीप	20.00	20	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	40.00	40			19.00	19	19.00	4	31.50	7
17	मध्य प्रदेश	35.94	17	1.44	1	308.72	302	7.10	1	10.00	1	20.64	3	125.63	86	82.09	36	59.80	24	12.90	2	29.65	4
18	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	33.52	19	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19	महाराष्ट्र	2225.82	1574	3072.61	2969	616.80	573	18.04	6	16.12	5	12.65	3	10.53	1	3.98	2	18.90	3	573.35	561	952.34	782
20	मेघालय	100.00	100	50.00	50	50.00	50	50.00	50	70.00	35	50.00	50	20.00	20	50.00	50	0.00	0	30.00	30	30.00	30
21	मिजोरम	0.00	0	4.25	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	20.00	20	21.00	21	26.00	26	0.00	0	0.00	0
22	नागालैंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.40	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0
23	उड़ीसा	1.27	1	0.00	0	0.00	0	5.00	20	0.00	0	0.00	0	9.22	1	1.75	1	0.00	0	32.81	3	14.53	1
24	पांडिचेरी	418.36	520	268.39	329	207.70	332	301.52	300	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25	पंजाब	125.00	190	0.00	0	146.50	146	16.35	12	92.65	84	139.00	136	113.00	113	94.82	107	162.73	166	80.99	58	44.27	32
26	राजस्थान	356.09	196	579.32	200	814.16	241	470.28	250	816.84	813	1025.37	1017	619.94	601	1224.78	1202	1237.62	1203	1200.00	1200	26.71	5
27	सिक्किम	50.00	50	100.00	100	100.00	100	100.00	100	100.00	50	0.00	0	21.00	21	50.00	50	50.00	50	100.00	100	100.00	100
28	तमिलनाडु	2999.22	8586	3005.00	11001	1500.64	7501	3000.00	6000	2005.56	4002	2501.26	5001	3000.00	6000	3000.00	6000	4500.36	9000	4506.25	9002	4005.06	8002
29	तेलंगाना	0.00	0	1.50	1	0.00	0	0.00	0	5.00	1	0.00	0	1000.00	3485	1000.00	3485			24.85	2	61.53	3
30	त्रिपुरा	200.00	200	50.00	50	100.00	100	100.00	100	100.00	50	0.00	0	70.25	70	0.00	0	55.00	55	64.05	16	0.00	0
31	उत्तर प्रदेश	0.00	0	2452.65	2501	2009.87	2013	366.62	369	2106.78	2104	2112.14	2075	287.28	337	204.84	263	1360.53	1853	1148.22	1216	277.82	275
32	उत्तराखंड	0.00	0	0.00	0	50.00	50	50.00	50	46.50	42	37.00	37	0.50	1	6.83	0	5.37	3	6.23	4	29.11	5
33	पश्चिम बंगाल	32.49	62	20.00	20					1.00	1	5.20	2	8.55	2	0.00	0	5.47	0	0.00	0	30.37	3
	कुल	**10148.69**	**14703**	**13108.49**	**20552**	**10750.94**	**16101**	**9014.09**	**11767**	**9598.44**	**11221**	**11321.72**	**17935**	**13361.81**	**18326**	**11274.69**	**16713**	**12182.70**	**18655**	**12335.20**	**16504**	**10042.19**	**13384**

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2020
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण

2020. श्री अजय भट्ट:
क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर उत्तराखंड में दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ग) उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कितने प्रतिशत दिव्यांगजनों ने रोजगार प्राप्त किया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए क्या पहलें की गई हैं तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया जो दिनांक 19.04.2017 को लागू हुआ। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समानता का अधिकार, गैर-भेदभाव, क्रूरता और शोषण से बचाव, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान तक पहुंच, विधिक क्षमता, विधिक संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति तक पहुंच तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 34 में बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 32 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं में 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं अर्थात् 'दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप) योजना', 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)' और 'दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)' तथा 'छात्रवृत्ति योजना' के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ख) और (ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी)' कार्यान्वित करता है। एनएपी-एसडीपी के अंतर्गत, देश भर में प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में विभाग के साथ पैनलबद्ध विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 15 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाना है ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार मिल सके और वे आत्मनिर्भर और उपयोगी बन सकें। एनएपी-एसडीपी योजना के तहत, उत्तराखंड राज्य सहित देश भर में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह एक मांग आधारित योजना है और प्रस्तावों के आधार पर पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों को निधियां जारी की जाती है।

अब तक, इस विभाग ने 156.94 करोड़ रुपये की लागत से 1.42 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इनमें से 28000 दिव्यांगजनों के वैतनिक-रोजगार/स्व-रोजगार मिला है।

(घ): यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र सरकार अपनी निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देती है:-

(i) सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप): यह विभाग 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)' योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती है, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, उन्नत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने में सहायता मिल सके, जिससे देश भर के दिव्यांगजनों में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों को वितरित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्रों और उपकरणों में मोटर चालित ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, प्रोस्थेसिस और ऑर्थोसिस, वॉकिंग स्टिक, सुगम्य स्मार्ट फोन, स्मार्ट केन, लो विजन सहायक उपकरण, श्रवण सहायक उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) किट आदि शामिल हैं।

(ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा): इस योजना के अंतर्गत, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्र या राज्य सरकार के तहत आने वाले स्वायत्त संगठनों / संस्थानों/विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) के कुछ प्रमुख घटक हैं:-

(क) **दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण**

(ख) **कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना**

(ग) **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, तथा**

(घ) **जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना**

(iii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):- इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के दौरान 96,111 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

(iv) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ: इस योजना के अंतर्गत, सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, जैसे प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए), पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक), उच्चतम श्रेणी की शिक्षा (अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा), राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी पाठ्यक्रम) और विदेश में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री/पीएचडी)। पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 1,15,667 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2045
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

दिव्यांगजनों हेतु वित्तीय सहायता योजना

2045. श्री दुलू महतो:
सुश्री कंगना रनौत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि नि:शक्त व्यक्ति सरकारी पहलों के अंतर्गत वित्तीय सहायता योजना तक आसानी से पहुंच सकें;

(ख) सरकार द्वारा रोजगार मेलों के अलावा नि:शक्त व्यक्तियों की दीर्घकालिक नियोजनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राजसहायता-प्राप्त वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के दायरे का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को पारित किया था जो दिनांक 19.04.2017 को प्रभावी हुआ था। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समानता का अधिकार, गैर-भेदभाव, क्रूरता और शोषण से बचाव, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान तक पहुंच, विधिक क्षमता, विधिक संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति तक पहुंच तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल हैं।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि दिव्यांगजन इस पहल के तहत आसानी से वित्तीय सहायता योजनाओं तक पहुंच सकें। इनमें शामिल हैं:-

- सरलीकृत और सुगम्य आवेदन प्रक्रिया - ऑनलाइन विकल्पों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुगम्य बनाया गया है।

- समर्पित सहायता केंद्र - दिव्यांगजनों की सहायता के लिए विशेष सहायता डेस्क और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- सुगम्य अवसंरचना - सरकारी कार्यालयों और वित्तीय सेवा केंद्रों में पहुँच को आसान बनाने के लिए रैंप, लिफ्ट और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- डिजिटल पहुँच - वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन को स्क्रीन-रीडर के अनुकूल और सहायक तकनीकों के अनुकूल बनाया गया है।
- जागरूकता अभियान - दिव्यांगजनों को उपलब्ध योजनाओं और आवेदन करने के तरीके के बारे में सूचित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल का कार्यान्वयन - इसका उद्देश्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी और लाभ सीधे पहुंचना सुव्यवस्थित करना है।
- समर्पित हेल्पलाइन - टोल-फ्री नंबर और सहायता दल आवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) : दिव्यांगजनों की दीर्घकालिक रोजगार क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने रोजगार मेलों के अलावा, कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:-

- कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रव्यापी सूचीबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के माध्यम से 15-59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों के बीच कौशल, रोजगार प्राप्त करने की क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये वर्ष 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की थी । कौशल और रोजगार के प्रयासों को कारगर बनाने के लिए सितंबर 2023 में, पीएम-दक्ष पोर्टल-डीईपीडब्ल्यूडी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया था। इसमें दो मॉड्यूल शामिल हैं: दिव्यांगजन कौशल विकास - कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, और दिव्यांगजन रोज़गार सेतु, जो भारत में निजी कंपनियों में जियो-टैग किए गए रोजगार के अवसरों से दिव्यांगजनों को जोड़ता है। नौकरी संबंधी कौशल और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 में बेहतर रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले

व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 32 में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान है। विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण नीति को प्रभावी और समान रूप से लागू किया जाए। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

- स्वरोजगार सहायता - स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण, अनुदान और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इस विभाग के अंतर्गत नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है। एनडीएफडीसी की प्रमुख योजनाओं में दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई) शामिल है, जिसके अंतर्गत आय सृजन गतिविधियों, उच्च शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण, सहायक उपकरणों की खरीद के लिए रियायती ब्याज दर पर 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, और विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) के अंतर्गत छोटे/सूक्ष्म व्यवसाय और विकासात्मक गतिविधियों के लिए त्वरित और आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने के लिए उचित ब्याज दर पर 60,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

- दिव्यांग विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने तथा विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए निःशुल्क कोचिंग।
- समावेशी कार्यस्थल नीतियाँ - समावेशी हायरिंग और कार्यस्थल पर आवास को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और दिशानिर्देश लागू किए जाते हैं।

(ग) और (घ) : झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समग्र सुधार वाले और अधिक समावेशी, समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2047
उत्तर देने की तारीख : 11.03.2025

विकलांगता पेंशन मानदंड

2047. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्व में संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में 40% विकलांगता होने पर पेंशन प्रदान की जाती थी;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में उक्त पेशन प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पेंशन योजना में 40% के मानक/मापदंड को बढ़ाकर 80% करने का उद्देश्य क्या है;

(घ) 40% विकलांगता मानदंड से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है और उक्त योजना पर प्रतिमाह कुल कितनी निधि व्यय की जाती है; और

(ङ) 80% विकलांगता मानदंड के कार्यान्वयन के पश्चात लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है और उक्त योजना पर प्रतिमाह कुल कितनी निधि व्यय की जाती है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना औपचारिक रूप से फरवरी 2009 में दिव्यांगता स्तर के रूप में 80% के मानदंड के साथ शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत वर्ष 2009 में शुरू की गई आईजीएनडीपीएस में सार्वभौमिक कवरेज नहीं है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों में से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के गंभीर अथवा बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की सर्वाधिक असुरक्षित श्रेणी आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपलब्ध निधियों की सीमा को ध्यान में रखते हुए, यदि पात्र लाभार्थी अधिक हैं तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास अपने संसाधनों से उन्हें पेंशन देने का विकल्प है।

(घ) और (ङ): एनएसएपी के अंतर्गत, योजना/राज्य-वार लाभार्थियों की अधिकतम सीमा है। वर्तमान में, देश भर में आईजीएनडीपीएस के तहत कुल 8.8 लाख लाभार्थी शामिल किए जाते हैं। आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत गंभीर अथवा बहु-दिव्यांगता वाले 18-79 वर्ष के व्यक्तियों को 300/- रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को डिजिटल लाभार्थियों की संख्या अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अधिकतम सीमा, इनमें से जो भी कम हो, तक निधियां मंजूर की जाती हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2786

उत्तर देने की तारीख : 18.03.2025

भारतीय सांकेतिक भाषा

2786. श्री अनुराग शर्मा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की 500 पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में रूपांतरित करने की समय-सीमा क्या है;

(ख) इस पहल में विद्यालयों और विशेष शिक्षा संस्थानों को किस प्रकार जोड़ा गया है;

(ग) क्या कक्षाओं में आईएसएल आधारित कहानियों की पुस्तकों का उपयोग करने के संबंध में शिक्षकों और शिक्षाविदों हेतु कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) की पुस्तकों का भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में रूपांतरण दिनांक 20 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। दिनांक 7 मार्च 2025 तक 24 पुस्तकों की रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। रूपांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वीरगाथा सीरीज की पांच एनबीटी पुस्तकों का लोकार्पण विद्यालयों, अभिभावकों और आम जनता के उपयोग के लिए किया गया है।

(ख): वीरगाथा सीरीज की पुस्तकें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएसएलआरटीसी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, जहां एक समर्पित प्लेलिस्ट बनाई गई है। आईएसएलआरटीसी पीएम ई-विद्या डीटीएच आईएसएल चैनल में एनसीईआरटी का एक भागीदार (पार्टनर) है, और इन पुस्तकों को आईएसएल टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया है, जो विद्यालयों, विशेष शिक्षा संस्थानों, अभिभावकों और शिक्षकों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है। पीएम ई-विद्या डीटीएच आईएसएल चैनल यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हाल ही में, हितधारकों की सुगम्यता बढ़ाने के लिये एनसीईआरटी के सहयोग से "स्पीक विद योर हेंड्स, कनेक्ट विद हार्ट " नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(ग) और (घ): वीरगाथा सीरीज की पुस्तकों को आईएसएलआरटीसी के विभिन्न प्रशिक्षण, जागरूकता और ऑरिएंटेशन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। आयोजित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

(i) शिक्षकों, अभिभावकों और प्राचार्यों के लिए पांच संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित किए गए हैं।

(ii) आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विशेष शिक्षाविदों, काउंसलरों, अभिभावकों, और प्राचार्या को शामिल किया गया था ।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह (आईडब्ल्यूडी) 2023 के दौरान दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यरत विद्यालय, विशेष विद्यालय और स्वैच्छिक संगठन इन पुस्तकों पर उन्मुख (ऑरिएंटेड) थे।

(iv) दिव्य कला मेला, आईआईटीएफ और पर्पल फेस्ट गोवा जैसे कार्यक्रमों में आईएसएलआरटीसी प्रदर्शनी स्टालों के माध्यम से इन पुस्तकों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाई गई।

(v) विश्व पुस्तक व्यापार मेले में एक समर्पित समावेशी स्टाल लगाया गया जहां इन पुस्तकों को जन जागरूकता के लिए प्रदर्शित किया गया।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2907
उत्तर देने की तारीख : 18.03.2025

एस्पर्जर सिंड्रोम

2907. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री खगेन मुर्मु:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सामाजिक समावेशिता और एस्पर्जर सिंड्रोम की समझ में सुधार लाने में प्रभावशीलता और जागरूकता पहल का आकलन करने के लिए मौजूद तंत्र क्या है;

(ख) क्या सरकार कार्यस्थल पर समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रम शुरू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए निजी संगठनों या गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करना शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के तहत एस्पर्जर सिंड्रोम (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर) सहित सभी परिभाषित दिव्यांगताओं को अपने राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई), समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के माध्यम से दिव्यांगता से संबंधित कैलेंडर दिवसों के रूप में प्रतिवर्ष मनाता है। इन आयोजनों के व्यापक दस्तावेजीकरण और प्रभाव आकलन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एक जोटफॉर्म - आधारित रिपोर्टिंग तंत्र विकसित किया है। इसके लिए भाग लेने वाले सभी संस्थानों को फोटोग्राफ, आयोजित गतिविधियों के विवरण सहित, आयोजन के पूर्व और पश्चात की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

ये रिपोर्टें सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार, प्रेस विज्ञप्तियों तथा विभाग और उससे जुड़े संस्थानों द्वारा समन्वित प्रचारात्मक अभियानों का आधार बनती हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग प्रासंगिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जागरूकता पहलों को बढ़ाने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के साथ मिलकर काम करता है।

(ख): दिव्यांगजनों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए, उन्हें लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर, उपयोगी और समाज के योगदानकर्ता सदस्य बनाने के लिए तथा उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। एनएपी-एसडीपी के तहत, 15 से 59 वर्ष की आयु समूह के एस्पर्जर सिंड्रोम (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर) सहित दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनएपी-एसडीपी योजना के तहत विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये सरकारी और गैर-सरकारी संगठन देश भर में कौशल प्रदान करते हैं।

विभाग ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पीएम-दक्ष पोर्टल- डीईपीडब्ल्यूडी विकसित किया है। यह पोर्टल उन दिव्यांगजनों तथा दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण संगठनों और नियोक्ताओं/जॉब एग्रीगेटर्स के लिए वन-स्टॉप डिजिटल गंतव्य है जिन्हें कौशल और रोजगार की आवश्यकता है।

(i) दिव्यांगजन कौशल विकास:- इस पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

(ii) दिव्यांगजन रोजगार सेतु:- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के लिए नौकरी देने वाले नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है । यह प्लेटफॉर्म पूरे भारत में दिव्यांगजनों के साथ-साथ निजी कंपनियों में रोजगार/आय के अवसरों पर जियो-टैग आधारित सूचना प्रदान करता है।

(ग): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में काम करने वाले राष्ट्रीय संस्थान, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और एस्पर्जर सिंड्रोम (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर) पर उन्मुखीकरण (ओरियंटेशन) कार्यक्रमों सहित जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्थानीय प्रशासनों, राज्य और जिला प्रशासन और दिव्यांगता पुनर्वास में विशेषज्ञता वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय एस्पर्जर दिवस (18 फरवरी, 2025) को, राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी) ने अपनी ई-सूचना श्रृंखला - 16 के तहत 'एस्पर्जर एंड एडल्डहुड' शीर्षक से एक वेबिनार आयोजित किया था। इस सत्र में, विशेष शिक्षा के एक विशेषज्ञ के नेतृत्व में एस्पर्जर सिंड्रोम ग्रस्त व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों और समावेशन की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी गई थी। इस वेबिनार में सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें 107 व्यक्तियों ने गूगल मीट और यूट्यूब के जरिए अतिरिक्त पहुँच के माध्यम से सहभागिता की।

ये प्रयास एस्पर्जर सिंड्रोम ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जागरूकता बढ़ाने, प्रारम्भिक हस्तक्षेप करने और कार्यस्थल में उनकी समावेशिता को लाने में सामूहिक रूप से योगदान देते हैं ।

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3927

उत्तर देने की तारीख: 25.03.2025

दिव्यांगजन

3927. श्री हैबी ईडन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए केवल 11 नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं, जिससे दिव्यांगजन को यह सुविधा प्राप्त करने में काफी देरी हो रही है;

(ख) क्या सरकार सभी जिलों में अधिक नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भर्ती के लिए केरल सामाजिक न्याय विभाग को वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि केरल में विशेष स्कूलों के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के फंड पिछले चार से पांच वर्षों से लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस बकाया राशि को चुकाने और भविष्य में समय पर धन आवंटन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार चिकित्सा पेशेवरों की नियुक्ति करने हेतु नोडल प्राधिकारी हैं। विभाग ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), भारत सरकार के सहयोग से 12.03.2024 को संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। चिकित्सा पेशेवरों की कमी को पूरा करने तथा देश भर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए, चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड में निजी चिकित्सक/डॉक्टर को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, तथा उस बोर्ड का अध्यक्ष सरकारी डॉक्टर होगा।

(ख) : मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग), (घ) और (ङ) :विभाग दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों को निधियां जारी करता है। केरल में डीडीआरएस के अंतर्गत परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को चालू वित्त वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों में जारी सहायता अनुदान (जीआईए) का विवरण नीचे दिया गया है-

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (20.03.2025 की स्थिति के अनुसार)
अनुदान (करोड़ रुपए में)	6.28	7.25	7.62	4.55	16.61

विभाग केरल राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को नियमित रूप से अनुदान जारी करता आ रहा है।

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3950

उत्तर देने की तारीख: 25.03.2025

दिव्यांगजन हितैषी अवसंरचना

3950. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत उपलब्ध उपबंधों के बावजूद सार्वजनिक और निजी अवसंरचना में सुलभता मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो स्टेशनों, बसों और रेलवे नेटवर्क में टियर-2 और टियर-3 शहरों में पहुंच में अंतर को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक भवनों की सुलभता संबंधी संपरीक्षा से केवल अनुपालन प्रतिवेदनों की बजाय वास्तविक अवसंरचनात्मक सुधार हों;

(घ) स्मार्ट सिटी सहित नए विकास को दिव्यांगजनों के लिए वास्तव में समावेशी बनाना सुनिश्चित करने के लिए सुलभता संबंधी दिशानिर्देशों के साथ शहरी नियोजन नीतियों को किस हद तक बेहतर ढंग से संरेक्षित किया जा सकता है; और

(ङ) जवाबदेही बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसडीआईपीडीए (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना) और सुगम्य भारत अभियान जैसी योजनाओं के अंतर्गत दिव्यांगजन हितैषी अवसंरचना के लिए आवंटित निधि के प्रभावी ढंग से उपयोग के लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ङ): चूंकि, "राज्य में निहित या उसके आधिपत्य में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन" राज्य सूची का विषय है, केन्द्र सरकार सुगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की सहायता करने में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त संगठनों/संस्थानों को इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के सृजन के लिए गैर-आवर्ती सहायता-अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र

सरकार भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए नियमित समीक्षाओं के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निकट समन्वय कर रही है।

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बनाए गए आरपीडब्ल्यूडी नियमों में दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के संबंध में नागर विमानन के सुगम्यता मानकों और दिशानिर्देशों, बस बॉडी कोड के सुगम्यता मानकों तथा भारतीय रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता और स्टेशनों पर सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एआईसीटीई मॉडल पाठ्यक्रम में बी. प्लान और बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के छात्रों के लिए समावेशी शहरी नियोजन और सुगम्य निर्मित वातावरण संबंधी पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के साथ साझेदारी की है। वास्तुकला परिषद के सहयोग से सुगम्यता पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

सिपडा (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना) और सुगम्य भारत अभियान जैसी योजनाओं के तहत दिव्यांगजन-अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित निधि के प्रभावी रूप से उपयोग को सुनिश्चित करने और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए, यह विभाग नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3959
उत्तर देने की तारीख: 25.03.2025

राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय पहल

3959. श्री नवीन जिंदल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय पहल के अंतर्गत पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ब्रेल लिपि सुगम्यता के लिए स्थापित या उन्नत किए गए पुस्तकालयों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रेल लिपि में पुस्तकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ब्रेल उत्पादन पहल के अंतर्गत ब्रेल साहित्य की भाषायी सीमा का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) दृष्टिबाधित पाठकों के लिए ब्रेल पुस्तकालयों और बहुभाषी साहित्य के विस्तार हेतु समय-सीमा और भविष्य के लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : सरकार ने राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय पहल के अंतर्गत पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय कार्यान्वित किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को विभिन्न सुगम्य प्रारूपों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सके। वर्तमान में, सुगम्य पुस्तकालय, जो सुगम्य पुस्तकों का एक डिजिटल संग्रह है, के साथ 16 पुस्तकालय पैनलबद्ध हैं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) ने प्रिंट दिव्यांगजनों के लिए इस ऑनलाइन संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए डीएआईएसवाई फ़ोरम ऑफ़ इंडिया (डीएफआई) के साथ भागीदारी की है।

सुगम्यता को और बढ़ाने के लिए, एनआईईपीवीडी ने कई प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (कोटा, राजस्थान), सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी (कोलकाता), उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, और भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान (आईआईटीई), अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर (गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर एजुकेशन) शामिल हैं। इन भागीदारियों का उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अपने-अपने पुस्तकालयों में सुगम्य पुस्तक संग्रह विकसित करना है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी), नई दिल्ली के सहयोग से, एनआईईपीवीडी ने उत्तराखंड के देहरादून में पठन के लिए एक यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर की स्थापना की है। यह केंद्र दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्य प्रकाशनों के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के व्यापक संग्रह को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, एनआईईपीवीडी ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आईवीआर-आधारित श्रवण नामक ऑडियो लाइब्रेरी बनाने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली के साथ भागीदारी की है।

जागरूकता बढ़ाने और सुगम्य पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने के लिए, एनआईईपीवीडी देहरादून नियमित रूप से सरकारी, अर्ध-सरकारी, कॉलेज, विश्वविद्यालय और गैर सरकारी हितधारकों को शामिल करके संगोष्ठी (सेमिनार) और सम्मेलन आयोजित करता है। ये निरंतर प्रयास भारत भर में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए साहित्य और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

(ख): राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय (एनएएल) पूरे भारत में, संस्थागत सदस्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे समावेशी पठन संसाधनों तक पहुंच बढ़ती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान, संस्थागत सदस्यता की संख्या 18 तक पहुंच गई है, जिसमें निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं: (पश्चिम बंगाल-07, महाराष्ट्र-03, उत्तर प्रदेश-01, मिजोरम-01, पंजाब-01, हरियाणा-01, केरल-02, उत्तराखंड-01 और जम्मू कश्मीर-01)।

(ग), (घ) और (ङ): सरकार देश भर में फैली 25 कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से "सुगम्य शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना (डीएएलएम; पूर्व में ब्रेल प्रेस परियोजना)" के अंतर्गत ब्रेल पाठ्य-पुस्तकें और ब्रेल प्रारूप और अन्य सुगम्य प्रारूपों (ई-पब, टॉकिंग बुक, लार्ज प्रिंट) में शैक्षिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। 2014 से अब तक डीएएलएम परियोजना के अंतर्गत 13,68,01,098 ब्रेल पृष्ठों को उभारकर दृष्टिबाधित छात्रों को वितरित किया जा चुका है।

इसके अलावा, ब्रेल साहित्य की भाषाई सीमा का विस्तार करने के लिए, एनआईईपीवीडी, देहरादून के सहयोग से 13 भारतीय भाषाओं के लिए यूनिकोड के साथ मैप किए गए मानक भारती ब्रेल कोड 4 जनवरी 2025 को प्रकाशित किए गए हैं।

सरकार निम्नलिखित पहलों के माध्यम से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए ब्रेल पुस्तकालयों और बहुभाषी साहित्य के विस्तार पर सक्रिय रूप से काम कर रही है:

- राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय पहल के अंतर्गत डिजिटल रूप से सुगम्य पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि करना।
- विभिन्न भारतीय भाषाओं में ब्रेल और अन्य सुगम्य प्रारूपों में पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाना।
- सुगम्य साहित्य के दायरे का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी), सुगम्य पुस्तकालय और डेज़ी फोरम ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के साथ भागीदारी को मजबूत करना।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3966
उत्तर देने की तारीख : 25.03.2025

एडीआईपी योजना

3966. श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता उपकरणों के वितरण हेतु एडीआईपी योजना के अंतर्गत अनुदान के आवंटन में कमी की है अथवा देरी की है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी निधियों का आवंटन और उपयोग किया गया;

(ग) क्या तमिलनाडु ने ग्रामीण जिलों में सहायक उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य के विशेषकर वंचित क्षेत्रों में सहायक उपकरणों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना) केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एडिप योजना के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। एडिप योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बजट अनुमान (बीई) और वास्तविक व्यय (एई) निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (रूपये करोड़ में)	वास्तविक व्यय (रूपये करोड़ में)
2023-24	245.00	290.60

(ग) और (घ): एडिप योजना के अंतर्गत, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)/राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों/दीन दयाल पुनर्वास केन्द्रों/गैर-सरकारी संगठनों आदि जैसी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान जारी किया जाता है। तमिलनाडु राज्य से ग्रामीण जिलों में सहायक उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। एलिम्को पूरे भारत में एडिप योजना की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। जहां तक एलिम्को का संबंध है, सहायक यंत्रों और उपकरणों की पहुंच और वितरण का विस्तार करने के लिए निगम ने चेन्नई और मदुरै में प्रधान मंत्री दिव्याशा केंद्र (पीएमडीके) खोला है, जो वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों द्वारा सहायक यंत्रों और उपकरणों का लाभ उठाने के लिए वॉक-इन सेंटर हैं। निगम ने सहायक यंत्रों और उपकरणों का लाभ प्रदान करने के लिए चेन्नई में एलिम्को का क्षेत्रीय विपणन केंद्र भी खोला है। इसके अलावा, निगम राज्य सरकार के साथ तेजी से समन्वय में है ताकि एडिप योजना के प्रावधान के तहत शिविर आयोजित किए जा सकें। निगम ने एडिप योजना के प्रावधान के तहत शिविर आयोजित करने के लिए तमिलनाडु राज्य में चिन्हित आकांक्षी ब्लॉकों के जिला प्रशासन से भी संपर्क किया है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3983
उत्तर देने की तारीख : 25.03.2025

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

3983. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी योजना), दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना का कार्यान्वयन कर रही है; और

(ख) क्या इन योजनाओं का पन्ना, कटनी, खजुराहो और छतरपुर जिलों के लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना (एडिप), दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और दिव्यांग छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

i. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप योजना)- विभाग एडिप योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती है, ताकि दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता मिल सके, जिससे देश भर में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं नामत: दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है और जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी), जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर डीडीआरसी की स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, का कार्यान्वयन कर रहा है।

iii. दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'दिव्यांग छात्रों (दिव्यांगजन) के लिए छात्रवृत्ति' नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है जिसमें निम्नलिखित छह घटक शामिल हैं; नामत:

- प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X),
- पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा),
- टॉप क्लास एजुकेशन (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा),
- नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप (विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री/पीएचडी),
- दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल. और पी.एच.डी.),

iv. दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना - यह विभाग न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना, जो छात्रवृत्ति की व्यापक योजना का एक घटक है, को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में पात्र दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तथा विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में सक्षम बनाने के लिए कोचिंग सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। यह योजना विभाग द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले समेकित क्षेत्रीय केंद्रों; और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पैनलबद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों, और दिव्यांगजनों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) : विभाग द्वारा छतरपुर जिले के पन्ना, कटनी और खजुराहो जिलों में लाभार्थियों के जीवन पर योजना के प्रभाव की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं अपनाया गया है। हालाँकि, इन जिलों के लाभार्थियों का योजनावार विवरण इस प्रकार है-

i. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप योजना)-

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पन्ना, कटनी और खजुराहो जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है-

क्र.सं.	ज़िला	2022-23	2023-24	2024 से अब तक
1.	कटनी	390	633	234
2.	पन्ना	62	914	120
3.	छतरपुर	415	201	1253

ii. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)- डीडीआर योजना के तहत विभाग जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को निधियां जारी कर रहा है। कटनी, पन्ना और छतरपुर जिलों में डीडीआरसी की स्थापना की गई है। डीडीआरएस योजना के तहत इन डीडीआरसी को कुल 19,77,500/- रुपये की निधियां जारी की गई हैं। हालांकि, विभाग जिला स्तर पर लाभार्थियों पर डीडीआरएस योजना के प्रभाव की जांच करने के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करता है।

iii. दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना - उपरोक्त सभी योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं तथा इनका कार्यान्वयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, छात्रवृत्ति राशि राज्य/जिलावार आवंटित नहीं की जाती है, बल्कि डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में जारी की जाती है। हालाँकि, उल्लिखित सभी जिले मध्य प्रदेश राज्य के हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई निधियां निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वर्ष	लाभार्थी	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	2022-23	4003	4.60
2.	2023-24	5661	9.73

iv. दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना - योजना के तहत अब तक 331 दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जा चुकी है। यह योजना पटना, कटनी और खजुराहो सहित पूरे देश में लागू की जा रही है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4028

उत्तर देने की तारीख : 25.03.2025

दिव्यांगता पेंशन में वृद्धि

4028. श्री अमरा रामः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्र सरकार का दिव्यांगों की पेंशन राशि में अपने हिस्से को 300 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का दिव्यांगों को पेंशन की कानूनी गारंटी देने का विचार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार का राजस्थान के बकाया पेंशन हिस्से को जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अंतर्गत 18-79 वर्ष की आयु के प्रत्येक लाभार्थी के लिए केन्द्रीय पेंशन 300 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक लाभार्थी के लिए 500 रुपये प्रति माह है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने संसाधनों से कम से कम बराबर राशि का योगदान करने की सलाह दी गई है। वर्तमान में, दिव्यांग लाभार्थियों को राज्य पेंशन टॉप-अप राशि के आधार पर 300 रुपये से 4016 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है, जो राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है।

15वें वित्त आयोग (2021-26) के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं को जारी रखने पर विचार करते समय, सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत लाभार्थी कवरेज और सहायता की दर में संशोधन पर विचार किया गया। हालांकि, उपलब्ध वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
वर्तमान में, एनएसएपी के तहत सहायता की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) : चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 में, राजस्थान राज्य को वित्त वर्ष 2024-25 की सभी 4 तिमाहियों और पिछले वर्षों की लंबित देनदारियों के लिए एनएसएपी योजनाओं के तहत 608.67 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
वर्तमान में, एनएसएपी के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए राजस्थान राज्य का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4140

उत्तर देने की तारीख : 25.03.2025

दिव्य कला मेला

4140. सुश्री बाँसुरी स्वराज :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का दिव्यांग व्यक्तियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए देश भर में बड़े पैमाने पर दिव्य कला मेले आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस संबंध में कोई स्कीम या योजनाएं हैं;

(ख) हाल के वर्षों में रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से दिव्य कला मेले से लाभान्वित हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का दिव्य कला मेले की सफलता के मद्देनजर इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग) : सरकार जागरूकता सृजन और प्रचार योजना [दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत उप-योजना] के अंतर्गत बड़े स्तर पर दिव्य कला मेलों का आयोजन कर रही है ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और दिव्यांगजनों को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके।

दिसंबर, 2022 से अब तक, देश भर में 24 दिव्य कला मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इन दिव्य कला मेलों में सहभागिता से लगभग 1550 दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को लाभ मिला है, जिसमें उन्होंने 16.80 करोड़ रुपये के सामान की बिक्री की है। इन मेलों के दौरान, नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) द्वारा ऋण योजना के तहत 919 दिव्यांगजनों के लिये 17.42 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4838

उत्तर देने की तारीख : 01.04.2025

सुगम्य भारत अभियान

4838. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी भवनों को नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पूर्ण रूप से सुगम बनाने के लिए 2015 में शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक कितने सरकारी भवनों का नि:शक्त व्यक्तियों के अनुकूल सुविधाओं के साथ राज्यवार और वर्षवार नवीनीकरण किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने जून 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी और राज्य की राजधानियों में कम से कम पचास प्रतिशत सरकारी भवनों को सुगम्य बनाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संशोधित समय-सीमा क्या है;और

(ङ) नवीनीकरण कार्य में सार्वजनिक सुगम्यता संबंधी सुसंगत दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): सुगम्य भारत अभियान (ए आई सी) दिसंबर 2015 मेंनिर्मित वातावरण, परिवहन प्रणालियों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थिति की प्रणालियों में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता बनाने के लिए शुरू किया गया था। चूंकि, "राज्य में निहित या उसके आधिपत्य में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन" राज्यसूची का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भवनों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जा रहा है। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल 1748 सरकारी भवनों को सुगम्य बनाया गया है जिनमें 1100 केन्द्र सरकार के भवन और 648 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकार के भवन शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी भवनों को सुगम्य बनाने से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 के बाद एआईसी को सिपडा के तहत "बाधामुक्त वातावरण के निर्माण की योजना (सीबीएफई)" नामक उप-योजना में मिला दिया गया है ताकि चल रहे सुगम्यता

प्रयासों, जिसमें मौजूदा सरकारी भवनों और वेबसाइटों में बाधामुक्त वातावरण बनाने के लिए विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों हेतु अनुदान केवल मांग के आधार पर जारी किए जाते हैं, की दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ): सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए सुसंगत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निगरानी तंत्र मौजूद हैं:

i. सुगम्य भारत ऐप: दिनांक 2 मार्च, 2021 को शुरू किया गया, यह क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन नागरिकों को उपयुक्त अधिकारियों द्वारा समाधान के लिए भवनों, परिवहन और आईसीटी सिस्टम में सुगम्यता संबंधी मुद्दों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।

ii. स्क्रीनिंग कमेटी: संयुक्त सचिव (सिपडा), निदेशक/उपसचिव (सिपडा) और दिव्यांगता क्षेत्र के दो विशेषज्ञों की एक समिति बाधामुक्त एवं सुगम्य भारत घटक के अंतर्गत सहायता अनुदान (जीआईए) जारी करने के प्रस्तावों की जांच करती है।

iii पैनलबद्ध सुगम्यता ऑडिटर्स: विभाग द्वारा निर्मित वातावरण के लिए 59 सुगम्यता ऑडिटर्स को पैनल में शामिल किया गया है, जिन्हें विभिन्न विभागों द्वारा सार्वजनिक अवसंरचना की सुगम्यता का पेशेवर मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना के सुगम्यता ऑडिट करने के लिए राज्य स्तर पर उपयोग हेतु 10 वेब सुगम्यता ऑडिटर्स को भी पैनल में शामिल किया गया है।

iv. नियमित अनुवर्ती कार्रवाई: विभाग समग्र योजना सिपडा के बाधामुक्त निर्माण (सीबीएफई)/सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) घटक के अंतर्गत जीआईए जारी करने में तेजी लाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

*****

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एआईसी के तहत सुगम्य बनाएगए भवन	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	25	1436.33
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1523.69
3	असम	12	1320.33
4	बिहार	21	925.14
5	छत्तीसगढ	21	2768.58
6	गोवा	0	543.83
7	गुजरात	24	592.31
8	हरियाणा	3	1598.36
9	हिमाचल प्रदेश	0	439.46
10	जम्मू और कश्मीर	7	1995.29
11	झारखंड	0	1166.85
12	कर्नाटक	0	2708.64
13	केरल	0	429.98
14	मध्य प्रदेश	0	3047.56
15	महाराष्ट्र	135	2490.76
16	मणिपुर	0	1587.75
17	मेघालय	17	3367.52
18	मिजोरम	22	715.71
19	नागालैंड	10	923.86
20	ओडिशा	26	1975.46
21	पंजाब	2	1981.75
22	राजस्थान	78	3813
23	सिक्किम	30	578.13
24	तमिलनाडु	15	4608.93
25	तेलंगाना	7	919.23
26	त्रिपुरा	0	2625.04
27	उत्तराखंड	9	538.5
28	उत्तर प्रदेश	89	4907
29	पश्चिम बंगाल	21	1692.23
30	अंडमान औरनिकोबार द्वीप समूह	23	1080.9
31	चंडीगढ़	39	415.38
32	दिल्ली	12	1393.77
33	पुदुचेरी	0	273.15
कुल		**648**	**56384.42**

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4849
उत्तर देने की तारीख : 01.04.2025

वीडियो रिले सर्विस

4849. श्री चंदन चौहान :
श्री विजय बघेल :
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बधिर या कम सुनने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर के अंतर्गत वीडियो रिले सर्विस सेवा (वीआरएस) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का वीआरएस को पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन जैसी अन्य आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाओं से जोड़ने का विचार है ताकि बधिर या कम सुनने वाले व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्राप्त हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वीआरएस की पहुंच और दक्षता में सुधार करने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) या अन्य हितधारकों के साथ सहयोग कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय दिव्यांगता सूचना हेल्पलाइन सेवा के क्यूआर कोड 14456 के माध्यम से श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए वीडियो रिले सेवा (वीआरएस) पूरे भारत में पहले से ही उपलब्ध है। वर्तमान में, यह सेवा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान - भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) के सहयोग से संचालित की जाती है।

(ख) और (ग): जी, नहीं।

(घ) और (ङ): जी, नहीं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4892
उत्तर देने की तारीख : 01.04.2025

सुगम्य भारत अभियान

4892.श्री अरूण कुमार सागर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में आज की तारीख तक राज्यवार तथा वर्षवार कुल कितनी निधि आवंटित तथा उपयोग की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने 49 शहरों में 1,314 चिन्हित भवनों के नवीनीकरण (रेट्रोफिटिंग) के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता-अनुदान जारी किया गया है। इस अभियान के लक्ष्य 1.1 के अंतर्गत चिन्हित शहरों की सूची में शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना की सुगम्य भारत अभियान उप-योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित नहीं की जाती है बल्कि उनसे प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार निधियां जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिनके प्रस्ताव पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए थे उन्हें जारी किए गए अनुदान की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है:

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24

1	अरुणाचल प्रदेश	734.42	0	0
2	असम	0	542.34	80.16
3	गोवा	0.00	99.21	0
4	गुजरात	477.95	0	0
5	मध्य प्रदेश	2074.06	0	0
6	मणिपुर	1379.15	208.61	0
7	मेघालय	1320.82	0	0
8	नागालैंड	0	0	95.65
9	तमिलनाडु	648.69	0	0
10	पश्चिम बंगाल	297.50	0	0

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4944

उत्तर देने की तारीख : 01.04.2025

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना

4944. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह योजना गुजरात राज्य में क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात राज्य में ऐसी योजना के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं, नामत: दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) - जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) - जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर डीडीआरसी की स्थापना और संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।

(ख) : जी, हां। डीडीआरएस योजना गुजरात राज्य में क्रियाशील है।

(ग) : गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशि और लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**जारी की गई निधियां (लाख रूपये में)**	**लाभार्थियों की संख्या**
2021-22	120.66	447
2022-23	72.77	437
2023-24	95.19	187
2024-25 (27.03.2025 की स्थिति के अनुसार)	124.09	215

(घ) : डीडीआरएस के अंतर्गत राज्यवार निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार की सिफारिश, लेखापरीक्षित लेखा और योजना मानदंडों के आधार पर गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (जीआईए) जारी किया जाता है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 232
TO BE ANSWERED ON- 02/12/2025

ACCESSIBILITY OF SCHOOL CAMPUSES FOR PERSONS WITH DISABILITIES

232**.** Shri Vishnu Dayal Ram**:**

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether all Government and private school campuses have been made accessible for persons with disabilities in line with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016;

(b) if not, the number and percentage of schools yet to be made accessible;

(c) the roadmap for achieving total accessibility across schools and colleges; and

(d) whether any special funds have been allocated for this purpose and if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(SHRI B L VERMA)

(a) & (b) No, Sir. Since Education, including construction and maintenance of school buildings, is primarily the responsibility of respective State/UT Governments and "works, lands and buildings" fall under the State List, ensuring accessibility in school infrastructure rests with the appropriate Government in accordance with Sections 41, 44 and 45 of the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016.

The Central Government remains committed to supporting accessibility in all schools . Through the Centrally Sponsored Scheme – Samagra Shiksha and PM-SHRI, financial assistance is provided to States/UTs for creating barrier-free access, including ramps, handrails, accessible toilets and other Inclusive Education (IE) interventions for Children with Special Needs (CwSN) in line with the RPwD Act, 2016.

As per Ministry of Education's Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) report , 2024-25, out of 14.71 lakh schools in the country, 11.64 lakh schools

(79.12%) have ramps, 8.08 lakh schools (54.92%) have ramps with handrails and 5.23 lakh schools (35.55%) have CwSN-friendly toilets.

(c) The Government has notified the "*Accessibility Code for Educational Institutions*" for schools and the "*Accessibility Guidelines and Standards for Higher Education Institutions*" for universities. These frameworks mandate strict adherence to cross-disability standards for new infrastructure and provide cost-effective retrofitting solutions for existing campuses, ensuring facilities like ramps, accessible restrooms, and assistive technologies are universally available.

(d) The Government supports States/UTs in the construction of CwSN-friendly infrastructure—such as ramps, ramps with handrails, and barrier-free toilets—through Samagra Shiksha and PM–SHRI scheme, based on their proposals placed before the Project Approval Board (PAB).

Department of Empowerment of Persons with Disabilities implements an Umbrella Scheme-Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disabilities (SIPDA) Act, 2016 under which, vide sub-scheme “Scheme for Creation of Barrier Free Environment” (CBFE Scheme) grants may be given on demand basis for creation of barrier free environment in existing government buildings including government schools, Universities and colleges campuses as per specific proposals received from States/UTs.

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 232
उत्तर देने की तारीख : 02/12/2025

दिव्यांगों के लिए सुगम्य स्कूल परिसर

232. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप सभी सरकारी और निजी स्कूल परिसरों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो जिन स्कूलों को अभी सुगम्य बनाया जाना है उनकी संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ग) स्कूलों और कॉलेजों में पूर्ण सुगम्यता की स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या रूपरेखा है ; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष धनराशि आवंटित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): जी, नहीं। चूंकि स्कूल के भवनों का निर्माण कार्य और अनुरक्षण सहित शिक्षा मुख्यतः संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और 'निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य सूची के तहत आते हैं इसलिए स्कूल अवसंरचना में सुगम्यता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार समुचित सरकार की है।

केंद्र सरकार सभी स्कूलों में सुगम्यता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, बाधा-मुक्त पहुंच के निर्माण के लिए, केंद्रीय रूप से

प्रायोजित योजना – 'समग्र शिक्षा और पीएम-श्री' के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए, रैंप, हैंडरेल, सुगम्य शौचालय और अन्य समावेशी शिक्षा (आईई) शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, देश के 14.71 लाख स्कूलों में से 11.64 लाख स्कूलों (79.12%) में रैंप हैं, 8.08 लाख स्कूलों (54.92%) में हैंडरेल वाले रैंप हैं, और 5.23 लाख स्कूलों (35.55%) में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के अनुकूल शौचालय हैं।

(ग): सरकार ने स्कूलों के लिए "*शैक्षिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड*" और विश्वविद्यालयों के लिए "*उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सुगम्यता दिशा-निर्देश और मानक*" अधिसूचित किए हैं। ये फ्रेमवर्क नई अवसंरचना के लिए क्रॉस-डिसेबिलिटी मानक का सख्ती से पालन करना अनिवार्य बनाते हैं और मौजूदा परिसरों के लिए लागत-प्रभावी रेट्रोफिटिंग समाधान प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि रैंप, सुगम्य शौचालय, और सहायक प्रौद्योगिकी जैसी सुविधाएं सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हों।

(घ): सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण में, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के समक्ष रखे गए उनके प्रस्तावों के आधार पर, सहायता देती है, जैसे समग्र शिक्षा और पीएम-श्री योजना के माध्यम से रैंप, हैंडरेल वाले रैंप और बाधा-मुक्त शौचालय उपलब्ध कराना ।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना- 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)' का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के तहत, "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण की योजना" (सीबीएफई योजना) नामक एक उप-योजना है जिसके माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों सहित मौजूदा सरकारी भवनों में बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए केवल मांग के आधार पर अनुदान जारी किया जाता है।

*****

Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION No. 237
ANSWERED ON -02/12/2025

Integrative Rehabilitation for Persons with Disabilities

237. Shri Praveen Patel:
Shri Bhojraj Nag:
Shri Pradeep Kumar Singh:
Dr. Hemant Vishnu Savara:
Shri Vijay Kumar Dubey:
Shri Yogender Chandolia:
Shri Hasmukhbhai Somabhai Patel:
Shri Mitesh Patel Bakabhai:
Shri Rajkumar Chahar:
Shri Khagen Murmu:
Shri Anil Firojiya:
Dr. Sanjay Jaiswal:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the initiatives undertaken by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities for promoting integrative approaches to disability rehabilitation;
(b) the nature, scope and names of various institutions involved in the research projects sanctioned under collaboration and implementation;
(c) the quantum of funds allocated for these projects and the specific focus areas covered;
(d) whether there are any anticipated outcomes of the initiative on well being and quality of life for persons with disabilities, if so, the details thereof; and

(e) the integrative approaches to disability rehabilitation by the Government in the Palghar district in Maharashtra?

ANSWER

The Minister of State for Social Justice & Empowerment

(SHRI B L VERMA)

(a): The Department promotes integrative rehabilitation through key schemes and initiatives. Nine National Institutes and 30 Composite Regional Centres provide courses, rehabilitation services, early intervention, and skill development across India. Schemes such Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids /Appliances (ADIP) through Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) support the provision and innovation of assistive devices. The Department offers national scholarships and skill development for persons with disabilities to enhance education and employment.

(b) and (c): Under the Research sub-scheme of SIPDA, DEPwD supports projects on assistive technology development, rehabilitation protocols and therapy modules, accessible learning and communication technologies, habilitation research, digital and ICT-based interventions, and evidence-based prevalence and functional assessment studies. Recent projects are being implemented by PDUNIPPD, New Delhi; AYJNISHD(D), Mumbai; NIEPID, Secunderabad; NIEPVD, Dehradun; and NILD, Kolkata, in collaboration with medical colleges, technical institutes, and community-based organisations.

ALIMCO is undertaking key projects including low-vision assistive eyewear with CSIR–CSIO, a programmable Behind-the-Ear hearing aid with CDAC, Kadam Knee Joints with IIT Chennai and SBMT (DRDO), development of specialised dies with CIPET and establishment of a proposed R&D facility at Visakhapatnam in collaboration with AMTZ.

Under the Research Sub-scheme of SIPDA scheme implemented by DEPwD, cumulative expenditure for FY 2020-21 to 2025-26 is ₹3.49 crore.

(d) These initiatives aim to enhance functional independence of persons with disabilities through technology-based, evidence-driven interventions and structured early childhood support. They promote holistic rehabilitation by integrating therapy, counselling and caregiver involvement, expand access to quality services via institutional and community platforms, and strengthen a nationwide cadre of skilled rehabilitation professionals.

(e) To promote integrative rehabilitation, ALIMCO, in coordination with local administration, has organised ADIP Scheme distribution camps in Palghar district, Maharashtra, providing assistive devices worth Rs. 97.39 lakh to 1,057 beneficiaries over the last three years. AYJNISHD(D), Mumbai conducts community-based rehabilitation and early intervention camps offering screening, therapy, caregiver counselling, assistive device facilitation, referrals, job fairs and awareness activities.

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 237

उत्तर देने की तारीख : 02/12/2025

दिव्यांगों के लिए एकीकृत पुनर्वास

237. श्री प्रवीण पटेल :
श्री भोजराज नाग:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विजय कुमार दूबे :
श्री योगेन्द्र चांदोलिया :
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री मितेश रमेशभाई पटेल :
श्री राजकुमार चाहर :
श्री खगेन मुर्मु :
श्री अनिल फिरोजिया:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई हैं;

(ख) सहयोग और कार्यान्वयन के अंतर्गत स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल विभिन्न संस्थानों की प्रकृति, कार्यक्षेत्र और नाम क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि की मात्रा और सम्मिलित किए गए विशिष्ट ध्यान योग्य क्षेत्र कौन से हैं;

(घ) क्या दिव्यांगजनों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर इस पहल के कोई अपेक्षित परिणाम निकले हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र के पालघर जिले में सरकार द्वारा दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु क्या एकीकृत पहलें की गई हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : विभाग मुख्य योजनाओं और पहलों के माध्यम से एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देता है। नौ राष्ट्रीय संस्थान और 30 समेकित क्षेत्रीय केंद्र पूरे भारत में पाठ्यक्रम, पुनर्वास सेवाएं, प्रारंभिक हस्तक्षेप, और कौशल विकास प्रदान करते हैं। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के माध्यम से 'दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/ सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप)' जैसी योजनाएं सहायक उपकरणों की उपलब्धता और उनमें नवाचार के लिए सहायता प्रदान करती हैं। विभाग दिव्यांगजनों की शिक्षा और रोज़गार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और कौशल विकास प्रदान करता है।

(ख) और (ग): सिपडा की अनुसंधान उप-योजना के तहत, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सहायक तकनीकी विकास, पुनर्वास प्रोटोकॉल और थेरेपी मॉड्यूल, सुगम्य अधिगम और संचार प्रौद्योगिकियों, पुनर्वास अनुसंधान, डिजिटल और आईसीटी –आधारित हस्तक्षेपों, और साक्ष्य आधारित प्रसार और कार्यात्मक मूल्यांकन अध्ययन से संबंधित परियोजनाओं का समर्थन करता है। हाल की परियोजनाओं पीडीयूएनआईपीपीडी, नई दिल्ली; एवाईजेएनआईएसएचडी(डी), मुंबई; एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद; एनआईईपीवीडी, देहरादून; और एनआईएलडी, कोलकाता द्वारा मेडिकल कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, और समुदाय-आधारित संगठनों के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

एलिम्को कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें सीएसआईआर -सीएसआईओ के साथ कम दृष्टि वालों के लिए सहायक चश्मे, सीडीएसी के साथ एक प्रोग्रामेबल बिहाइंड-द-ईयर श्रवण सहायक यंत्र, आईआईटी चेन्नई और एसबीएमटी (डीआरडीओ) के साथ कदम 'नी जॉइंट्स', सीआईपीईटी के साथ विशेषीकृत डाईज़ का विकास, और एएमटीजेड के सहयोग से विशाखापट्टनम में एक प्रस्तावित 'आर एंड डी' केंद्र की स्थापना शामिल है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित सिपडा योजना की अनुसंधान उप-योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक के लिए कुल व्यय 3.49 करोड़ रुपए है।

(घ) इन पहलों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी-आधारित, साक्ष्यों पर आधारित हस्तक्षेप और प्रारंभिक बाल्यावस्था में सरंचित सहायता के माध्यम से दिव्यांगजनों की कार्यात्मक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। ये थेरेपी, परामर्श और देखभाल कर्ता की भागीदारी को एकीकृत कर समग्र पुनर्वास को बढ़ावा देते हैं, संस्थागत और सामुदायिक मंचों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करते हैं, और कुशल पुनर्वास पेशेवरों के एक राष्ट्रव्यापी संवर्ग को मजबूत करते हैं।

(ङ) एलिम्को ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए, महाराष्ट्र के पालघर जिले में एडिप योजना के तहत वितरण शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें पिछले तीन वर्षों में 1,057 लाभार्थियों को 97.39 लाख रुपये के सहायक उपकरण दिए गए हैं। एवाईजेएनआईएसएचडी (डी), मुंबई समुदाय-आधारित पुनर्वास और प्रारंभिक हस्तक्षेप शिविरों का आयोजन करता है, जिसमें स्क्रीनिंग, थेरेपी, देखभाल कर्ता हेतु परामर्श, सहायक उपकरण की सुविधा, रेफरल, रोजगार मेले और जागरूकता गतिविधियाँ शामिल हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3702
उत्तर देने की तारीख: 12/08/2025

दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान

3702. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री भोजराज नाग:
श्री मनोज तिवारी:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा स्थापित दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान (एसएआईईडी) किस प्रकार दिव्यांगजनों हेतु शिक्षा के अवसरों को बढ़ाएंगे;

(ख) दिव्यांग छात्रों के लिए आवश्यक आवास सुविधाएं और रियायतें सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा क्या विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं;

(ग) 'परियोजना समावेशन' के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं; और

(घ) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के साथ 18 जून, 2025 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, इस समझौते के तहत, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रस्तावित गैर-सरकारी संगठनों/विशेष विद्यालयों को दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत "दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विशेष मान्यता प्राप्त संस्थान (एसएआईईडी)" के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह समझौता ज्ञापन एनआईओएस से शैक्षणिक और तकनीकी सहायता प्राप्त दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास (डीडीआर) योजना के अंतर्गत कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से दिव्यांगजनों की शिक्षा तक व्यापक पहुँच प्रदान करता है।

(ख): एनआईओएस मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है और इसलिए शिक्षार्थियों को कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं करता। हालाँकि, एनआईओएस में नामांकित दिव्यांग शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क में रियायत दी जाती है।

(ग): सरकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समावेशी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए परियोजना समावेशन के माध्यम से, शिक्षकों, विशेष रूप से सामान्य शिक्षकों, व्यावसायिकों और अन्य हितधारकों को श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा 'परियोजना समावेशन' ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण और संवेदीकरण को सशक्त बना रहा है।

(घ): सरकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16 और 17 में निर्धारित प्रावधानों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने के उपायों की रूपरेखा तैयार करती है । ये प्रावधान सीधी संसदीय निवार्चन क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में लागू हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3705
उत्तर देने की तारीख- 12/08/2025

दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड

3705. श्री तेजस्वी सूर्या:
डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का योजना-वार, वर्ष-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार बोर्डों, स्थापित विशेष न्यायालयों और नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों की संख्या और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या कितनी है और उनकी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार संचालन स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिव्यांगजनों के लिए केंद्रीय और राज्य आयुक्तों के कार्यालयों में रिक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या सभी राज्यों ने अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति की है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अधिनियम के अधिनियमन के बाद से सरकारी प्रतिष्ठानों में उनके लिए आरक्षित पदों पर मानक आधार पर नियोजित और पदोन्नत किए गए दिव्यांगजनों का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने हाल के वर्षों में यूएनसीआरपीडी को इस बारे में देश की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है और पिछले पांच वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड गठित करने, विशेष न्यायालय स्थापित करने तथा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अब तक सात बैठकें हो चुकी हैं; पिछली (7वीं) बैठक दिनांक 15.12.2024 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ग): मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी) का पद वर्तमान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव द्वारा अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला जा रहा है। सीसीपीडी के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। आयुक्त दिव्यांगजन (आरक्षित) का पद नियमित आधार पर भरा जाता है तथा आयुक्त दिव्यांगजन (अनारक्षित) के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय में रिक्तियों की स्थिति **अनुबंध III** में दी गई है। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालयों में रिक्तियों और स्वतंत्र एससीपीडी की नियुक्ति संबंधी मामले राज्य सरकारों से संबंधित है, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79 के अनुसार, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन (एससीपीडी) और एससीपीडी कार्यालय में अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकारों को करनी है।

(घ): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगता की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में कुल रिक्तियों के विरुद्ध सरकारी रोजगार में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, इस धारा के प्रावधान के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा। रिक्तियां होना और बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित उन्हें भरना, एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने तथा विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करें। दिनांक 01.01.2024 तक, दिव्यांगजनों की श्रेणी के अंतर्गत 27,693 कर्मचारी हैं।

(ङ): भारत अक्टूबर 2007 से दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का एक पक्षकार है। यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 35 के अनुसरण में, भारत ने वर्ष 2015 में सीआरपीडी पर संयुक्त राष्ट्र समिति के समक्ष भारत में दिव्यांगता की स्थिति पर देश की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा सितंबर, 2019 में भारत देश की प्रथम रिपोर्ट पर विचार किया गया था।

****

अनुबंध- I

" दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड " के संबंध में दिनांक 12/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3705 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों का बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई)

(करोड़ रुपये में)

		2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
	योजनाएं	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1	दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए सहायता की योजना	230.00	195.00	189.13	220.00	180.00	198.70	235.00	230.00	242.29	245.00	305.00	290.60	315.00	350.00	348.81
2	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	130.00	85.00	83.18	125.00	105.00	100.90	125.00	105.00	114.69	130.00	130.00	129.98	165.00	139.00	139.39
3	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	125.00	100.00	97.40	125.00	110.00	120.32	105.00	145.00	142.00	155.00	155.00	130.07	142.68	80.00	89.71
4	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना	251.50	122.89	103.43	209.77	147.31	108.44	240.39	100.00	65.59	150.00	67.00	76.79	135.33	111.00	44.16

अनुबंध – II

" दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड " के संबंध में दिनांक 12/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3705 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य सलाहकार बोर्डों, विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों का विवरण				
क्र. सं.	राज्य	राज्य सलाहकार बोर्ड	विशेष न्यायालय	विशेष लोक अभियोजक
1.	आंध्र प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
2.	अरुणाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
3.	असम	हाँ	हाँ	हाँ
4.	बिहार	हाँ	हाँ	हाँ
5.	छत्तीसगढ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	गोवा	हाँ	हाँ	हाँ
7.	गुजरात	हाँ	हाँ	हाँ
8.	हरियाणा	हाँ	हाँ	हाँ
9.	हिमाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
10.	झारखंड	हाँ	हाँ	हाँ
11.	कर्नाटक	हाँ	हाँ	हाँ
12.	केरल	हाँ	हाँ	हाँ
13	मध्य प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
14.	महाराष्ट्र	हाँ	हाँ	हाँ
15.	मणिपुर	हाँ	हाँ	हाँ
16.	मेघालय	हाँ	हाँ	हाँ
17.	मिजोरम	हाँ	हाँ	हाँ
18.	नागालैंड	हाँ	हाँ	हाँ
19.	ओडिशा	हाँ	हाँ	हाँ
20.	पंजाब	हाँ	हाँ	हाँ
21.	राजस्थान	हाँ	हाँ	हाँ
22.	सिक्किम	हाँ	हाँ	हाँ
23.	तमिलनाडु	हाँ	हाँ	हाँ
24.	तेलंगाना	हाँ	हाँ	हाँ
25.	त्रिपुरा	हाँ	हाँ	हाँ
26.	उत्तराखंड	हाँ	हाँ	हाँ
27.	उत्तर प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
28.	पश्चिम बंगाल	हाँ	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हाँ	हाँ	हाँ
30.	चंडीगढ़	हाँ	हाँ	हाँ
31.	दादर व नगर हवेली और दमन व दीव	हाँ	हाँ	हाँ
32.	दिल्ली	हाँ	हाँ	हाँ
33.	जम्मू कश्मीर	हाँ	हाँ	हाँ
34.	लद्दाख	प्रक्रियाधीन	हाँ	हाँ
35.	लक्षद्वीप	हाँ	हाँ	हाँ
36.	पुदुचेरी	हाँ	हाँ	हाँ

अनुबंध-III

" दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड " के संबंध में दिनांक 12/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3705 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों के राज्य-वार ब्यौरे की सूची		
क्र. सं.	राज्य	राज्य दिव्यांगजन आयुक्त (स्वतंत्र/अतिरिक्त प्रभार)
1.	आंध्र प्रदेश	अतिरिक्त प्रभार
2.	अरुणाचल प्रदेश	अतिरिक्त प्रभार
3.	असम	अतिरिक्त प्रभार
4.	बिहार	अतिरिक्त प्रभार
5.	छत्तीसगढ	अतिरिक्त प्रभार
6.	गोवा	स्वतंत्र
7.	गुजरात	स्वतंत्र
8.	हरियाणा	स्वतंत्र
9.	हिमाचल प्रदेश	अतिरिक्त प्रभार
10.	झारखंड	अतिरिक्त प्रभार
11.	कर्नाटक	स्वतंत्र
12.	केरल	स्वतंत्र
13	मध्य प्रदेश	अतिरिक्त प्रभार
14.	महाराष्ट्र	स्वतंत्र
15.	मणिपुर	स्वतंत्र
16.	मेघालय	स्वतंत्र
17.	मिजोरम	स्वतंत्र
18.	नागालैंड	अतिरिक्त प्रभार
19.	ओडिशा	स्वतंत्र
20.	पंजाब	स्वतंत्र
21.	राजस्थान	खाली
22.	सिक्किम	अतिरिक्त प्रभार
23.	तमिलनाडु	स्वतंत्र
24.	तेलंगाना	अतिरिक्त प्रभार
25.	त्रिपुरा	अतिरिक्त प्रभार
26.	उत्तराखंड	अतिरिक्त प्रभार
27.	उत्तर प्रदेश	स्वतंत्र
28.	पश्चिम बंगाल	अतिरिक्त प्रभार
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	स्वतंत्र
30.	चंडीगढ़	स्वतंत्र
31.	दादर व नगर हवेली और दमन व दीव	अतिरिक्त प्रभार
32.	दिल्ली	अतिरिक्त प्रभार
33.	जम्मू कश्मीर	स्वतंत्र
34.	लद्दाख	अतिरिक्त प्रभार
35.	लक्षद्वीप	अतिरिक्त प्रभार
36.	पुदुचेरी	अतिरिक्त प्रभार

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3718
उत्तर देने की तारीख- 12/08/2025

जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र

3718. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री केसिनेनी शिवनाथ:
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) की स्थापना के लिए चिन्हित जिलों की आंध्र प्रदेश सहित राज्य और जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(ख) देश में कार्यशील डीडीआरसी की आंध्र प्रदेश सहित राज्य और जिलावार कुल संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-कार्यशील डीडीआरसी की आंध्र प्रदेश सहित राज्य और जिलावार कुल संख्या और उनका ब्यौरा क्या है; और उनके गैर-कार्यशील होने के क्या कारण हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान डीडीआरसी को आंध्र प्रदेश सहित राज्य और जिलावार कुल कितनी निधि आवंटित और संवितरित की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) की प्रभावी योजना में राज्य सरकारों के सहयोग से प्रत्येक जिले में, जिसमें आंध्र प्रदेश के सभी जिले शामिल हैं, एक डीडीआरसी की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

इस योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को सहायता-अनुदान (जीआईए) प्रदान किया जाता है। डीडीआरसी को राज्य-वार या ज़िला-वार आधार पर निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। हालाँकि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान डीडीआरसीएस को जारी सहायता-अनुदान (जीआईए) का राज्य-वार और ज़िला-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

" जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र" के संबंध में श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, श्री केसिनेनी शिवनाथ, श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव, माननीय सांसदों द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3718 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लेखित विवरण।

(रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य**	**डीडीआरसी/जिले**	**पिछले 5 वर्षों में जारी किया गया अनुदान**
1	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी अनाकापल्ली	14,60,150
2	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी ईस्ट गोदावरी	16,72,000
3	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी काकीनाडा	1,32,45,070
4	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी कोनासीमा	13,22,000
5	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी कुरनूल	13,22,000
6	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी नंडयाल	23,02,000
7	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी पालनाडु	13,22,000
8	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी विजयनगरम	43,750
9	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी ईस्ट गोदावरी (ईलुरु)	1,05,79,144
10	आंध्र प्रदेश	डीडीआरसी वाईएसआर	45,47,869
11	असम	डीडीआरसी कछार	57,38,429
12	असम	डीडीआरसी धुबरी	43,750
13	असम	डीडीआरसी गोलाघाट	1,30,76,704
14	असम	डीडीआरसी नागौन	26,39,005
15	असम	डीडीआरसी तेजपुर	5,70,700
16	असम	डीडीआरसी उदलगुरी	14,60,150

17	गुजरात	डीडीआरसी अहमदाबाद	64,35,859
18	गुजरात	डीडीआरसी वडोदरा	26,67,307
19	हिमाचल प्रदेश	डीडीआरसी बिलासपुर	13,88,059
20	हिमाचल प्रदेश	डीडीआरसी कुल्लू	68,54,376
21	झारखंड	डीडीआरसी हजारीबाग	26,09,250
22	लद्दाख	डीडीआरसी कारगिल	43,750
23	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी अशोक नगर	3,06,750
24	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी बालाघाट	1,09,74,546
25	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी बड़वानी	1,65,750
26	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी भिंड	9,57,500
27	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी बुरहानपुर	4,43,250
28	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी छतरपुर	11,11,250
29	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी दमोह	62,528
30	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी दतिया	2,70,750
31	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी गुना	34,58,667
32	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी ग्वालियर	10,45,944
33	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी जबलपुर	11,17,086
34	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी झाबुआ	57,72,470
35	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी कटनी	3,93,750
36	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी मंडला	5,67,750
37	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी मंदसौर	38,79,327

38	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी मुरैना	3,65,250
39	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी नर्मदापुरम (होशंगाबाद)	4,78,500
40	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी पन्ना	4,72,500
41	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी श्योपुर	3,65,250
42	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी शिवपुरी	28,11,011
43	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी सीधी	3,06,750
44	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी सिंगरौली	7,16,250
45	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी टीकमगढ़	11,00,750
46	मध्य प्रदेश	डीडीआरसी उमरिया	3,93,750
47	महाराष्ट्र	डीडीआरसी अहमदनगर	12,29,000
48	महाराष्ट्र	डीडीआरसी अमरावती	1,44,41,665
49	महाराष्ट्र	डीडीआरसी औरंगाबाद	13,92,867
50	महाराष्ट्र	डीडीआरसी लातूर	88,12,293
51	महाराष्ट्र	डीडीआरसी नागपुर	34,14,959
52	महाराष्ट्र	डीडीआरसी परभनी	11,47,250
53	मणिपुर	डीडीआरसी बिष्णुपुर	1,38,41,450
54	मणिपुर	डीडीआरसी टेंग्नौपाल	8,22,000
55	मणिपुर	डीडीआरसी उखरुल	1,34,11,942
56	नगालैंड	डीडीआरसी तुएनसांग	9,22,500
57	ओडिशा	डीडीआरसी भद्रक	78,72,812

58	ओडिशा	डीडीआरसी देवगढ़	33,95,627
59	ओडिशा	डीडीआरसी ढेंकनाल	1,24,02,214
60	ओडिशा	डीडीआरसी जगतसिंहपुर	51,64,688
61	ओडिशा	डीडीआरसी केंद्रपाड़ा	13,22,000
62	ओडिशा	डीडीआरसी नयागढ़	13,22,000
63	ओडिशा	डीडीआरसी पुरी	13,22,000
64	ओडिशा	डीडीआरसी सुबरनपुर	13,22,000
65	पंजाब	डीडीआरसी भटिंडा	62,65,627
66	पंजाब	डीडीआरसी संगरूर	36,47,098
67	राजस्थान	डीडीआरसी अजमेर	13,22,000
68	राजस्थान	डीडीआरसी अलवर	13,16,000
69	राजस्थान	डीडीआरसी भरतपुर	12,91,625
70	राजस्थान	डीडीआरसी चित्तौड़गढ़	72,38,409
71	राजस्थान	डीडीआरसी जालोर	18,49,825
72	राजस्थान	डीडीआरसी कोटा	13,16,000
73	राजस्थान	डीडीआरसी पाली	12,72,500
74	राजस्थान	डीडीआरसी उदयपुर	80,21,016
75	तेलंगाना	डीडीआरसी रंगारेड्डी	95,28,109
76	त्रिपुरा	डीडीआरसी खोवाई	12,91,850
77	त्रिपुरा	डीडीआरसी उत्तर त्रिपुरा	12,91,850
78	त्रिपुरा	डीडीआरसी सिपाहीजाला	12,91,850
79	त्रिपुरा	डीडीआरसी दक्षिण त्रिपुरा	12,91,850

80	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी बरेली	80,64,292
81	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी बस्ती	59,55,481
82	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी बदायूं	1,05,46,213
83	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी देवरिया	35,58,000
84	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी गोरखपुर	99,02,806
85	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी कानपुर देहात	31,31,669
86	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी कुशीनगर	72,63,086
87	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी पीलीभीत	48,60,726
88	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी रायबरेली	32,27,411
89	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी रामपुर	99,60,653
90	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी संतकबीर नगर	18,38,960
91	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी श्रावस्ती	79,21,787
92	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी सिद्धार्थ नगर	44,52,600
93	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी उन्नाव	30,45,100
94	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी वाराणसी	2,53,090
95	उत्तराखंड	डीडीआरसी टिहरीगढ़वाल	1,89,34,551
96	पश्चिम बंगाल	डीडीआरसी मालदा	1,41,17,068
	कुल		**37,77,09,020**

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3728
उत्तर देने की तारीख- 12/08/2025

पश्चिम बंगाल में यूडीआईडी कार्ड

3728. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार विभाजित दिव्यांगजनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पश्चिम बंगाल में अब तक जारी किए गए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्डों की कुल संख्या कितनी है और राज्य में यूडीआईडी कार्डों के नगण्य जारी होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय पश्चिम बंगाल में यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों से अवगत है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में यूडीआईडी कार्ड जारी करने की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान, अवसंरचनात्मक सहायता, या नीतिगत उपायों सहित क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं ?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 20,17,406 दिव्यांगजन हैं। पश्चिम बंगाल में दिव्यांगजनों का दिव्यांगता-वार संवितरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): 06 अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य में यूडीआईडी पोर्टल (url: www.swavlambancard.gov.in) माध्यम से कुल 1,50,901 यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार सितम्बर, 2024 में इस केंद्रीकृत प्रणाली में शामिल हुई, जबकि केंद्र सरकार ने मई 2016 में यूडीआईडी परियोजना शुरू की।

(घ): पश्चिम बंगाल में यूडीआईडी कार्ड जारी करने की सुविधा के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. यूडीआईडी उप-योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान आईटी अवसंरचना की खरीद के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 23 लाख रुपये की निधियां जारी की।
ii. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।
iii. चिकित्सा व्यवसायिकों को यूडीआईडी पोर्टल के उपयोग और संशोधित दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देशों के नवीनतम प्रावधानों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संशोधित दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण हाल ही में मार्च 2025 में कोलकाता में आयोजित किया गया।

******

अनुबंध

" पश्चिम बंगाल में यूडीआईडी कार्ड " के संबंध में दिनांक 12/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3728 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में श्रेणी-वार दिव्यांगजनों की संख्या

दिव्यांगज-नो की कुल संख्या	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	मूक	गति बाधित	मानसिक मंदता	मानसिक रूग्णता	कोई अन्य	बहु दिव्यांगता
2017406	424473	315192	147336	322945	136523	71515	402921	196501

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3796
उत्तर देने की तारीख: 12/08/2025

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

3796. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना और जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने और प्रसंस्करण करने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो नए पोर्टल की शुरुआत के पीछे क्या उद्देश्य हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू और पिछले प्रस्तावों से संबंधित सभी डेटा को नए पोर्टल पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना और जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने और संसाधित करने के लिए एक समर्पित ई-अनुदान पोर्टल विकसित और स्थापित किया है। नया पोर्टल https://grants.depwd.gov.in पर उपलब्ध है।

इस नए पोर्टल को शुरू करने के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सहायता-अनुदान के प्रस्तावों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना शामिल है।

निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, नए पोर्टल पर डेटा का पूर्ण स्थानांतरण पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) को नए आवेदन जमा करने और पहले से प्रस्तुत प्रस्तावों तक पहुँचने के लिए केवल नए पोर्टल का उपयोग करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3852

उत्तर देने की तारीख- 12/08/2025

यूडीआईडी आवेदन

3852. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) योजना की शुरुआत से अब तक देशभर में प्राप्त यूडीआईडी आवेदनों का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) जारी किए गए यूडीआईडी कार्डों और लंबित आवेदनों की कुल संख्या कितनी हैं ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान औसत प्रक्रियागत समय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यूडीआईडी कार्डधारकों में कितने प्रतिशत साक्षर, निरक्षर और शिक्षा अनुभाग में रिपोर्ट नहीं किए गए हैं और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) परियोजना, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक प्रमुख पहल है। मई, 2016 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और प्रत्येक पात्र आवेदक को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करना है।

इस परियोजना का संचालन एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूडीआईडी पोर्टल www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारियों को दिव्यांगता के प्रकार और प्रकृति के आधार पर दिव्यांगताओं का मूल्यांकन करने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए शामिल किया जाता है।

इसे शुरू करने के बाद से, यूडीआईडी पोर्टल पर कुल 1,62,92,173 आवेदन पंजीकृत किए गए हैं।

(ख) आज तक देश भर में 1,25,75,946 यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 14,83,323 आवेदन मूल्यांकन के लिए लंबित हैं। शेष 22,32,904 आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, यूडीआईडी कार्ड जारी करने में लगने वाला औसत समय नीचे दिया गया है:

वर्ष	**संपादित करने हेतु औसत समय (दिवसों में)**
2022-23	84
2023-24	45
2024-25	64
2025-26	21

(घ) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, कुल 9,10,884 यूडीआईडी कार्डधारक निरक्षर और 1,03,16,995 कार्डधारक साक्षर हैं।

यह उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2024 से, यूडीआईडी आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता संबंधी आंकड़े एकत्र करना बंद कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इन आवेदकों की शैक्षिक स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी दर्ज किए बिना 13,48,067 यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आँकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

******

अनुबंध

"यूडीआईडी आवेदन" के संबंध में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3852 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	15.10.2024 तक यूडीआईडी कार्डधारकों का योग्यता सहित विवरण	16.10.2024 के बाद योग्यता के ब्यौरे के बिना बने यूडीआईडी कार्डों का विवरण	देश में साक्षर यूडीआईडी कार्डधारकों की संख्या और कुल यूडीआईडी कार्डधारकों के संबंध में उनका प्रतिशत		देश में निरक्षर यूडीआईडी कार्डधारकों की संख्या और कुल यूडीआईडी कार्डधारकों के संबंध में उनका प्रतिशत	
			साक्षर यूडीआईडी कार्ड धारकों की संख्या	प्रतिशत	निरक्षर यूडीआईडी कार्ड धारकों की संख्या	प्रतिशत
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5699	1056	5269	0.04	430	0.0034
आंध्र प्रदेश	964253	16559	938880	7.47	25373	0.2018
अरुणाचल प्रदेश	3869	513	3460	0.03	409	0.0033
असम	212425	19313	166466	1.32	45959	0.3655
बिहार	527269	114479	479628	3.81	47641	0.3788
चंडीगढ़	10717	1498	10147	0.08	570	0.0045
छत्तीसगढ	252394	15254	244491	1.94	7903	0.0628
दिल्ली	78539	18892	67731	0.54	10808	0.0859
गोवा	10662	1714	10462	0.08	200	0.0016

गुजरात	422071	46732	408076	3.24	13995	0.1113
हरियाणा	196469	25801	161944	1.29	34525	0.2745
हिमाचल प्रदेश	97657	8718	84629	0.67	13028	0.1036
जम्मू और कश्मीर	200050	19126	149512	1.19	50538	0.4019
झारखंड	187566	14695	175896	1.40	11670	0.0928
कर्नाटक	812818	73815	661934	5.26	150884	1.1998
केरल	351016	45470	337122	2.68	13894	0.1105
लद्दाख	3722	205	3537	0.03	185	0.0015
लक्षद्वीप	972	215	851	0.01	121	0.0010
मध्य प्रदेश	885470	77330	860167	6.84	25303	0.2012
महाराष्ट्र	1147994	145584	1084340	8.62	63654	0.5062
मणिपुर	13245	2123	11053	0.09	2192	0.0174
मेघालय	30808	2775	30687	0.24	121	0.0010
मिजोरम	6147	510	6073	0.05	74	0.0006
नागालैंड	3058	622	2969	0.02	89	0.0007

ओडिशा	726449	130786	604297	4.81	122152	0.9713
पुदुचेरी	21695	1759	21385	0.17	310	0.0025
पंजाब	354126	19771	323210	2.57	30916	0.2458
राजस्थान	535459	139501	530556	4.22	4903	0.0390
सिक्किम	5121	447	5065	0.04	56	0.0004
तमिलनाडु	817124	108480	762118	6.06	55006	0.4374
तेलंगाना	774085	7198	774075	6.16	10	0.0001
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3930	493	3659	0.03	271	0.0022
त्रिपुरा	36251	4982	35867	0.29	384	0.0031
उत्तर प्रदेश	1383869	175844	1220339	9.70	163530	1.3003
उत्तराखंड	94874	6567	87206	0.69	7668	0.0610
पश्चिम बंगाल	49958	101020	43851	0.35	6107	0.0486
कुल	**11227831**	**1349847**	**10316952**		**910879**	

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3752
उत्तर देने की तारीख: 12/08/2025

मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा

3752. डॉ. कडियम काव्य :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तेलंगाना में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान और सुरक्षा के लिए आईरिस कैमरा प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो वारंगल में प्रायोगिक परियोजनाओं अथवा कार्यान्वयन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी पहलों के लिए प्रस्तावित वित्तपोषण और प्रौद्योगिकीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): ऐसा कोई प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2743

उत्तर देने की तारीख-05/08/2025

दिव्यांगजन

2743. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण, कौशल विकास और समावेशी बुनियादी ढांचे के लिए कोई बड़ी परियोजनाएं अथवा पहल आरम्भ की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अपर्याप्त बजट आवंटन और वित्तपोषण की कमी के कारण ऐसी कई परियोजनाएं विलंबित हैं अथवा अधूरी रह गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें इस संबंध में स्वीकृत और आवश्यक धनराशि पर लंबित परियोजनाओं की संख्या भी शामिल है;

(घ) देश में दिव्यांगजनों के लाभ के लिए वित्तपोषण की कमी को दूर करने और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान बजट और व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कई पहल की हैं। दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में दिव्यांगताओं के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है तथा यह अधिनियम समानता, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

हालांकि भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और प्रमुख पहलों के माध्यम से कल्याण, कौशल विकास और समावेशिता के साथ, सुगम्य भारत के प्रयासों का समर्थन करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

(1) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप): एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों में उनकी गतिशीलता, स्वतंत्रता और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक यंत्रों और उपकरणों जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, स्मार्ट बेंत, मोटरचालित तिपहिया साइकिल और कम दृष्टि वालों के लिए पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां संवितरित की जाती है। हाल ही में विभाग ने एडिप योजना की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी, एलिम्को के माध्यम से 76 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों (पीएमडीके) की स्थापना की है जो एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए वॉक-इन केंद्रों के रूप में काम कर रहे हैं।

(2) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत दिव्यांगजनों को अपने इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों/राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को (i) जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) की स्थापना और (ii) दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं को चलाने हेतु, जिसमें दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों सहित प्रमस्तिष्क घात आदि वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल शामिल है, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना: विभाग दिव्यांग छात्रों की वित्तीय, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने और गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, टॉप क्लास एजुकेशन, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति, नेशनल फेलोशिप और निःशुल्क कोचिंग योजनाओं नामक छह घटक शामिल करते हुए 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है । पूरे भारत में छात्रों के बैंक खातों (डीबीटी मोड) में निधियां सीधे वितरित की जाती हैं।

(4) **सिपडा**: मंत्रालय निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम में उल्लिखित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु समय-समय पर संशोधित किया जाता है। सिपडा योजना एक व्यापक "केंद्रीय क्षेत्र योजना" है जिसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं-

(i) **यूडीआईडी योजना:** यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता आईडी) योजना दिव्यांगजनों के लिए सिंगल डिजिटल आईडी कार्ड प्रदान करती है, जिससे सरकारी लाभों तक उनकी पहुंच सुगम हो जाती है। यह अनावश्यक दस्तावेजीकरण को समाप्त करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, एवं कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़कर समावेशिता को बढ़ावा देता है, तथा दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों और अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है।

(ii) **दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी)** : दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने, उन्हें लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर, उपयोगी और समाज में योगदान देने वाला सदस्य बनाने के लिए विभाग दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) नामक कौशल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में पैनलबद्ध विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 15 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(iii) **सुगम्य भारत अभियान:** विभाग ने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए सुगम्य भारत अभियान को एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में संकल्पित किया है, ताकि दिव्यांगजनों को समान अवसर प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से रहने और उन्हें समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। इस अभियान का लक्ष्य निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र की सुगम्यता को बढ़ाना है।

(iv) **क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) की योजना शुरू की है। ये केंद्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) में स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शीघ्र पहचान, जांच (स्क्रीनिंग) और उन्हें समय पर पुनर्वास सेवाएं देना सुनिश्चित करना है। ये सेवाएं दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने तथा बच्चों के संभावित विकास को यथासंभव शीघ्र बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(v) **जागरूकता सृजन एवं प्रचार तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना**

जागरूकता सृजन एवं प्रचार तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना नामक यह केन्द्रीय क्षेत्रक योजना, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता सृजित करने तथा केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करने तथा उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिव्य कला मेले को जागरूकता सृजन कार्यक्रम (एजीपी) के तहत विशेष परियोजना के रूप में बढ़ावा दिया गया है। नवंबर, 2022 से देश भर में दिव्य कला मेलों (डीकेएम) का आयोजन किया जा रहा है।

योजना–वार बजट आवंटन और व्यय का विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार स्वीकृत बजट का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध – 1

" दिव्यांगजन " के संबंध में दिनांक 05/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2743 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजना-वार बजट आवंटन और व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2020 -21			2021 -22			2022 -23			2023 -24			2024 -25		
कार्यक्रम / योजना	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय
दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजनाएँ (डीडीआरएस)	130.00	85.00	83.18	125.00	105.00	100.90	125.00	105.00	114.69	130.00	130.00	129.98	165.00	139.00	139.39
सहायक यंत्रों व उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	230.00	195.00	189.13	220.00	180.00	198.70	235.00	230.00	242.29	245.00	305.00	290.60	315.00	350.00	348.81
दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	125.00	100.00	97.40	125.00	110.00	120.32	105.00	145.00	142.00	155.00	155.00	130.07	142.68	80.00	89.71
दिव्यांगजनों के अधिकारों के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)	251.50	122.89	103.43	209.77	147.31	108.44	240.39	100.00	65.59	150.00	67.00	76.79	135.33	111.00	44.16

अनुबंध – II

" दिव्यांगजन " के संबंध में दिनांक 05/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2743 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत बजट का राज्यवार विवरण

दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों व उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020 -21	2021 -22	2022 -23	2023 -24	2024 -25
1	अंडमान और निकोबार	8.29	8.06	7.23	0.06	14.50
2	आंध्र प्रदेश	303.32	1194.80	686.16	2084.39	1686.58
3	अरुणाचल प्रदेश	14.90	20.79	1003.06	4.57	10.13
4	असम	639.01	341.62	-	1302.62	1075.56
5	बिहार	645.19	496.22	1076.87	2427.1	785.37
6	चंडीगढ़	31.68	9.76	39.12	31.39	186.78
7	छत्तीसगढ	403.22	118.44	152.36	37.42	231.70
8	दिल्ली	38.33	268.36	247.13	423.51	907.76
9	गोवा	156.50	2.24	0	40.66	33.18
10	गुजरात	946.82	993.29	443.07	1539.78	3244.66
11	हरियाणा	134.94	338.85	678.06	1077	750.92
12	हिमाचल प्रदेश	169.70	68.74	143.74	153.25	157.36
13	जम्मू और कश्मीर	151.22	311.89	507.60	542.88	328.60
14	झारखंड	104.80	380.45	851.16	629.64	836.88
15	कर्नाटक	92.15	249.31	421.81	1248.22	1324.58
16	केरल	425.57	168.60	222.35	563.87	152.72

17	लद्दाख	-	-	1.89	28.79	13.39
18	लक्षद्वीप	-	-	-	1.66	18.83
19	मध्य प्रदेश	1995.08	2693.85	1732.72	4283.69	2520.72
20	महाराष्ट्र	8511.82	7913.55	1568.47	4211.25	2636.50
21	मणिपुर	73.15	47.25	47.93	21	43.97
22	मेघालय	7.45	19.94	172.87	3.87	50.84
23	मिजोरम	-	5.78	0.13	10.41	29.78
24	नागालैंड	6.55	28.47	23.82	3.16	47.82
25	ओडिशा	982.29	882.07	784.57	953.44	1579.03
26	पुदुचेरी	5.98	37.73	-	24.37	102.59
27	पंजाब	326.70	1281.55	902.06	1703.61	2029.32
28	राजस्थान	731.50	452.83	667.52	2155.48	1697.81
29	सिक्किम	7.91	0.00	3.15	4.27	2.68
30	तमिलनाडु	623.28	1336.24	859.85	1137.29	416.12
31	तेलंगाना	355.19	1134.44	420.54	1389.14	1417.24
32	दादरा एवं नगर हवेली	17.79	5.42	21.13	4.78	54.05
33	त्रिपुरा	46.05	59.54	292.69	89.49	90.32
34	उत्तर प्रदेश	2750.69	2855.02	3823.14	7479.29	9244.49
35	उत्तराखंड	80.32	132.48	185.59	275.44	401.98
36	पश्चिम बंगाल	715.28	267.67	1587.88	958.23	1358.66
	कुल	**21502.66**	**24125.24**	**19575.68**	**36845.02**	**35483.41**

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2020 -21	2021 -22	2022 -23	2023 -24	2024 -25
1	आंध्र प्रदेश	1639.88	1779.89	2648.41	2851.56	2728.44
2	असम	90.7	167.76	261.34	136.87	238.29
3	बिहार	-	41.89	33.54	68.65	61.27
4	छत्तीसगढ	1.63	47.58	-	-	74.14
5	दिल्ली	247.67	162.74	185.51	166.89	220.24
6	गुजरात	43.32	120.66	72.77	95.19	120.09
7	हरियाणा	140.19	101.99	128.93	174.61	155.19
8	हिमाचल प्रदेश	69.2	67.15	69.05	84.13	103.98
9	झारखंड	-	-	26.09	-	-
10	कर्नाटक	81.3	135.6	139.92	73.73	94.881
11	केरल	628.3	725.3	762.41	455.2	1737.41
12	लद्दाख	-	-	-	0.44	-
13	मध्य प्रदेश	248.31	325.57	382.72	484.55	344.3
14	महाराष्ट्र	180.11	71.46	383.87	311.19	111.28
15	मणिपुर	596.24	741.55	1016.29	946.48	1162.44
16	मेघालय	105.37	29.64	101.76	87.86	202.67
17	मिजोरम	11.73	-	29.22	17.26	41.28
18	नागालैंड	26.32	-	30.36	46.83	38.28
19	ओडिशा	789.16	1457.59	929.8	1382.09	1293.27
20	पंजाब	98.92	149.27	168.06	211.68	304.1

21	राजस्थान	150.58	286.26	239.28	320.06	418.05
22	तमिलनाडु	208.25	137.06	184.7	312.15	267.91
23	त्रिपुरा	-	-	15.57	51.67	-
24	उत्तर प्रदेश	1335.24	1389.36	1147.75	1653.52	2167.99
25	उत्तराखंड	102.68	68.67	87.29	80.48	165.37
26	पश्चिम बंगाल	336.31	606.89	811.67	782.79	658.53
27	तेलंगाना	1168.25	1439.72	1527.48	2121.26	1781.43
	कुल	**8318.14**	**10089.49**	**11469.06**	**12997.79**	**14573.6***

***** दिनांक 31.03.2025 को टीएसए खाते से लगभग 6.7 करोड़ रुपये सीएफआई को वापस कर दिए गए।

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	आंध्र प्रदेश	2.42	4.75	6.26	3.45	1.28
2.	असम	0.75	2.02	0.67	1.07	0.27
3.	बिहार	3.68	9.05	5.43	11.94	6.44
4.	चंडीगढ़	0.08	0.03	0.19	0.75	1.65
5.	छत्तीसगढ	0.13	1.53	3.01	0.76	1.20
6.	दादरा और नगर हवेली	-	0.01	0.03	0.01	-
7.	दिल्ली	1.14	1.03	1.66	1.29	0.55
8.	गोवा	0.04	0.06	0.04	0.03	0.07
9.	गुजरात	3.24	2.76	2.56	2.63	2.84
10.	हरियाणा	0.57	1.07	1.29	0.95	0.27
11.	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.58	1.31	1.09	0.74
12.	जम्मू और कश्मीर	2.44	1.77	1.88	2.18	0.35
13.	झारखंड	0.79	0.99	8.32	3.43	1.03
14.	कर्नाटक	5.44	16.93	16.29	23.20	7.52
15.	केरल	4.10	7.22	7.62	6.29	6.52
16.	मध्य प्रदेश	4.60	9.73	18.03	3.93	3.93
17.	महाराष्ट्र	2.49	5.83	5.99	6.73	4.00
18.	मणिपुर	0.01	-	0.11	0.16	0.17
19.	मेघालय	-	0.06	0.01	0.05	0.12
20.	मिजोरम	-	0.02	0.14	0.07	-
21.	नागालैंड	0.05	0.01	-	0.01	-
22.	ओडिशा	3.01	5.40	6.11	4.36	6.02
23.	पुदुचेरी	0.27	0.29	0.30	0.39	0.18
24.	पंजाब	1.55	2.12	1.74	2.35	0.23
25.	राजस्थान	1.43	4.08	3.54	3.51	2.75
26.	सिक्किम	-	-	-	-	0.04
27.	तमिलनाडु	5.26	9.15	13.46	10.69	7.07
28.	तेलंगाना	6.05	6.40	8.86	6.76	1.51
29.	त्रिपुरा	0.10	1.19	0.48	1.86	0.17
30.	उत्तराखंड	0.46	0.96	1.05	0.45	0.62
31.	उत्तर प्रदेश	36.76	32.90	24.33	24.86	6.50
32.	पश्चिम बंगाल	4.42	3.49	4.49	5.22	0.70
	कुल	53.05	54.09	52.67	49.84	25.79

एआईसी/बाधा मुक्त वातावरण

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अरुणाचल प्रदेश	783.99	1447.67	508.93	-	1482.1
2	असम	-	-	542.34	80.16	-
3	छत्तीसगढ	91.77	-	-	-	-
4	गोवा	-	-	99.21	-	-
5	गुजरात	-	477.95	-	-	-
6	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	102.55
7	मध्य प्रदेश	95.49	2074.06	85.46	225	-
8	महाराष्ट्र	627.42	-	503.93	-	819.86
9	मणिपुर	-	1379.15	208.61	-	-
10	मेघालय	-	1320.82	-	847.12	-
11	मिजोरम	108.94	-	-	-	-
12	नागालैंड	317.61	-	-	95.65	-
13	पंजाब	-	-	325.7	-	-
14	राजस्थान	-	-	-	339.5	-
15	सिक्किम	-	-	-	416.5	-
16	तमिलनाडु	2856.37	648.69	-	-	-
17	त्रिपुरा	587.44	-	-	-	-
18	उत्तराखंड	280.28	-	28.65	-	15.6
19	उत्तर प्रदेश	417.94	35.64	-	-	389.5
20	पश्चिम बंगाल	-	297.5	76.53	-	-
21	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	448.59	-	-	-	-
	कुल	**6615.84**	**7681.48**	**2379.36**	**2003.93**	**2809.61**

विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी)

		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां (लाख रूपये में)	जारी निधियां (लाख रूपये में)	जारी निधियां (लाख रूपये में)	जारी निधियां (लाख रूपये में)	जारी निधियां (लाख रूपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	4.50	8.04	6.00	6.50
2	आंध्र प्रदेश	29.25	6.00	5.00	6.00	5.20
3	अरुणाचल प्रदेश	2.48	23.25	6.00	3.00	6.00
4	असम	6.00	6.70	7.13	3.00	4.00
5	बिहार	6.00	59.36	5.00	6.00	6.30
6	चंडीगढ़	-	-	6.75	4.37	6.30
7	छत्तीसगढ	30.76	6.50	-	-	-
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	5.87	-	-	6.00
9	दिल्ली	6.00	5.29	4.28	6.00	1.00
10	गोवा	1.50	12.29	3.00	3.00	3.00
11	गुजरात	6.00	36.00	6.00	3.00	4.43
12	हिमाचल प्रदेश	6.00	-	4.57	5.78	3.15
13	जम्मू और कश्मीर	-	-	16.00	-	-
14	झारखंड	-	-	-	8.49	3.00
15	कर्नाटक	6.00	41.82	-	3.00	6.23
16	केरल	9.50	6.00	3.00	-	-
17	लक्षद्वीप	6.42	6.00	-	-	-
18	महाराष्ट्र	-	-	3.00	5.66	-
19	मणिपुर	-	-	18.00	6.00	3.00
20	मेघालय	6.00	14.19	-	-	-
21	मिजोरम	11.42	3.50	6.00	6.00	4.00
22	नागालैंड	6.00	9.00	3.65	6.00	4.00

23	ओडिशा	2.88	4.07	-	-	-
24	पुदुचेरी	3.00	6.00	4.00	-	2.70
25	पंजाब	12.08	26.63	-	5.09	-
26	राजस्थान	6.00	6.00	3.00	2.91	3.00
27	सिक्किम	9.00	9.00	6.00	7.50	3.00
28	तमिलनाडु	4.80	59.96	5.67	3.00	-
29	तेलंगाना	61.75	-	-	-	-
30	त्रिपुरा	-	-	15.82	-	3.52
31	उत्तर प्रदेश	65.43	-	9.76	33.70	1.20
32	उत्तराखंड	3.73	6.00	3.00	6.00	3.15
33	पश्चिम बंगाल	-	-	6.00	-	-
कुल		**308.00**	**363.93**	**158.67**	**139.50**	**88.68**

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *323
उत्तर देने की तारीख: 12/08/2025

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं

*323. श्री विजय कुमार हाँसदाक:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अद्यतन अनुमानों के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के दिव्यांगजनों सहित सशक्त किए गए दिव्यांगजनों की कुल संख्या श्रेणी-वार और राज्य-वार कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उनके सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2019 से वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई तथा इसके लिए कौन-कौन से वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए;

(घ) क्या सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं" के संबंध में माननीय सांसद श्री विजय कुमार हाँसदाक, द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2025 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *323 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ग): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में दिव्यांगजनों की कुल जनसंख्या 2.68 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े, अब निरस्त हो चुके निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के तहत दिव्यांगता के वर्गीकरण पर आधारित थे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद, दिव्यांगताओं की श्रेणियां 7 से बढ़कर अब 21 हो गई हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या (राज्य-वार एवं लिंगवार) का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कई पहल की हैं। दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, समानता, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसमें बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए धारा 34 के तहत सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण और धारा 32 के तहत उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण अनिवार्य किया गया है।

हालांकि भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार अपनी प्रमुख पहलों और योजनाओं के माध्यम से कल्याण, कौशल विकास और समावेशिता, तथा सुगम्य भारत के प्रयासों का समर्थन करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

(i) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप): विभाग 'सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)' योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है, ताकि पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और सहायता उपकरण खरीदने में सहायता मिल सके, जिससे देश भर के दिव्यांगजनों में दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके।

(ii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत, दिव्यांगजनों को अपने इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों/राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को (i) जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) की स्थापना और (ii) दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है,

जिसमें प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों सहित दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल शामिल हैं।

(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ: विभाग दिव्यांग छात्रों की वित्तीय, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने और गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए प्री- मैट्रिक, पोस्ट- मैट्रिक, टॉप क्लास एजुकेशन, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति, नेशनल फेलोशिप और निःशुल्क कोचिंग योजनाओं नामक छः घटक शामिल करते हुए 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पूरे भारत में छात्रों के बैंक खातों (डीबीटी मोड) में निधियां सीधे संवितरित की जाती है।

(iv) यूडीआईडी योजना: यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) योजना दिव्यांगजनों के लिए सिंगल डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करती है, जिससे सरकारी लाभों तक उनकी पहुँच सुगम्य होती है। यह अनावश्यक दस्तावेज़ों को समाप्त करती है, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों से जोड़कर समावेशिता को बढ़ावा देती है, जिससे दिव्यांगजनों को अधिकारों और अवसरों तक आसान पहुँच प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है, अर्थात् (i) दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) (ii) जागरूकता सृजन एवं प्रचार (एजीपी) एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण और (iii) बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण एवं सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) (iv) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)

इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय करने के लिए मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन को अधिदेश दिया गया है। तथा साथ ही विभाग के अधीन नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी), एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों के पुनर्वास के लिए आर्थिक विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना और दिव्यांगजनों के स्वरोजगार और अन्य उद्यमों को बढ़ावा देना है।

2019-20 से 2024-25 तक विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित दिव्यांगजनों और निधि उपयोग (राज्यवार) का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ): विभाग समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों (तृतीय पक्ष) के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन, प्रभाव और निधियों के उचित उपयोग का आकलन करना है। एडिप, डीडीआरएस और छात्रवृत्ति योजनाओं का हाल ही का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन वर्ष 2021 में राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), नई दिल्ली द्वारा किया गया था। मूल्यांकन से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशों पर समुचित ध्यान दिया गया और तदनुसार उन्हें अपनाने/कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

****

अनुबंध-I

जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की संख्या (राज्य और लिंग के अनुसार)				
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
1.	जम्मू और कश्मीर	204834	156319	361153
2.	हिमाचल प्रदेश	86321	68995	155316
3.	पंजाब	379551	274512	654063
4.	चंडीगढ़	8743	6053	14796
5.	उत्तराखंड	102787	82485	185272
6.	हरियाणा	315533	230841	546374
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	138379	96503	234882
8.	राजस्थान	848287	715407	1563694
9.	उत्तर प्रदेश	2364171	1793343	4157514
10.	बिहार	1343100	987909	2331009
11.	सिक्किम	9779	8408	18187
12.	अरुणाचल प्रदेश	14245	12489	26734
13.	नागालैंड	16148	13483	29631
14.	मणिपुर	31174	27373	58547
15.	मिजोरम	8198	6962	15160
16.	त्रिपुरा	35482	28864	64346
17.	मेघालय	23326	20991	44317
18.	असम	257385	222680	480065
19.	पश्चिम बंगाल	1127181	890225	2017406
20.	झारखंड	426876	343104	769980
21.	ओडिशा	674775	569627	1244402
22.	छत्तीसगढ़	334093	290844	624937
23.	मध्य प्रदेश	888751	663180	1551931
24.	गुजरात	612804	479498	1092302
25.	दमन और दीव	1300	896	2196
26.	दादरा और नगर हवेली	1893	1401	3294
27.	महाराष्ट्र	1692285	1271107	2963392
28.	आंध्र प्रदेश	1224459	1042148	2266607
29.	कर्नाटक	726521	597684	1324205
30.	गोवा	17016	15996	33012
31.	लक्षद्वीप	838	777	1615
32.	केरल	394706	367137	761843
33.	तमिलनाडु	657418	522545	1179963
34.	पुदुचेरी	16373	13816	30189
35.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3861	2799	6660
	कुल	**14988593**	**11826401**	**26814994**

अनुबंध- II

दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप योजना)

	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाखों रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	एससी लाभार्थियों की संख्या
अंडमान एवं निकोबार	5.35	115	27	8.29	162	0	8.06	145	3	7.23	154	0	0.06	1	0	14.5	218	6
आंध्र प्रदेश	720.78	12593	1744	303.32	2658	383	1194.8	10256	1899	686.16	7726	1225	2084.3	17500	3202	1686.58	10076	2335
अरुणाचल प्रदेश	12.08	204	26	14.9	289	17	20.79	300	62	0	0	0	4.57	40	0	10.13	86	1
असम	591.06	8297	696	639.01	9708	889	341.62	4900	100	1003.06	11572	176	1302.62	17350	1205	1075.56	11506	2402
बिहार	236.63	3104	453	645.19	7233	1004	496.22	5951	744	1076.87	13143	860	2427.1	23912	2129	785.37	5152	1272
चंडीगढ़	11.31	128	6	31.68	301	51	9.76	128	13	39.12	422	38	31.39	163	34	186.78	781	243
छत्तीसगढ़	349.38	3283	178	403.22	3316	593	118.44	891	100	152.36	1768	273	37.42	320	43	231.7	1365	365
दिल्ली	35.85	1006	116	38.33	666	19	268.36	4214	549	247.13	2120	214	423.51	3293	308	907.76	5847	975
दमन और दीव	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	9.59	139	0	156.5	2161	81	2.24	24	4	0	0	0	40.66	418	11	33.18	224	7
गुजरात	616.26	6105	391	946.82	13648	747	993.29	15250	1727	443.07	5032	758	1539.78	18648	1292	3244.66	26560	4339
हरियाणा	981.58	10287	1494	134.94	1539	66	338.85	4072	907	678.06	5937	1609	1077	5930	1079	750.92	4005	1061
हिमाचल प्रदेश	12.10	255	65	169.7	2559	761	68.74	1272	406	143.74	1924	514	153.25	1808	446	157.36	1752	317
जम्मू और कश्मीर	131.25	1813	220	151.22	2390	116	311.89	4129	569	507.6	6878	30	542.88	6817	439	328.6	2967	231
झारखंड	0.00	0	0	104.8	1365	359	380.45	5197	456	851.16	10804	862	629.64	7742	687	836.88	8277	2106
कर्नाटक	267.34	5119	595	92.15	2181	327	249.31	4829	599	421.81	5622	884	1248.22	15752	2642	1324.58	10996	2831

केरल	182.47	2683	281	425.57	5181	659	168.6	2442	295	222.35	2912	599	563.87	6766	490	152.72	1425	74
लद्दाख	1.26	23	0	0	0	0	0	0	0	1.89	59	0	28.79	355	16	13.39	130	0
लक्षद्वीप	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.66	15	2	18.83	257	4
मध्य प्रदेश	1085.08	11615	1326	1995.08	21347	3353	2693.85	25053	4519	1732.72	19930	3911	4283.69	33542	7070	2520.72	14102	3584
महाराष्ट्र	2622.04	28678	6041	8511.82	19589	2629	7913.55	30073	1485	1568.47	10836	1935	4211.25	54455	6771	2636.5	19309	3065
मणिपुर	5.70	89	0	73.15	660	113	47.25	594	65	47.93	581	15	21	259	2	43.97	440	15
मेघालय	3.27	34	0	7.45	151	0	19.94	212	0	172.87	2295	3	3.87	42	0	50.84	777	180
मिजोरम	0.00	0	0	0	0	0	5.78	67	16	0.13	1	0	10.41	297	0	29.78	373	26
नागालैंड	12.62	253	0	6.55	163	0	28.47	496	34	23.82	380	0	3.16	48	0	47.82	590	14
ओडिशा	839.73	10935	1257	982.29	12770	1200	882.07	12055	1612	784.57	10164	1018	953.44	11232	1823	1579.03	15556	4175
पुदुचेरी	32.94	383	78	5.98	78	0	37.73	612	0	0	0	0	24.37	302	58	102.59	393	62
पंजाब	671.38	10444	3145	326.7	4054	534	1281.55	14815	5115	902.06	8006	3857	1703.61	11259	4982	2029.32	8273	3181
राजस्थान	816.57	12061	2093	731.5	10493	1963	452.83	7488	1442	667.52	10132	1784	2155.48	19873	3290	1697.81	15407	3762
सिक्किम	15.10	197	88	7.91	173	13	0.00004	4	0	3.15	67	6	4.27	61	6	2.68	18	3
तमिलनाडु	906.16	13417	2813	623.28	8407	1585	1336.24	21746	4571	859.85	11327	1810	1137.29	12622	2156	416.12	2499	432
तेलंगाना	380.87	2221	554	355.19	2667	530	1134.44	5982	1067	420.54	2321	392	1389.14	11380	2419	1417.24	8961	1815
दादरा और नगर हवेली	2.92	160	11	17.79	285	5	5.42	86	2	21.13	233	12	4.78	49	5	54.05	455	46
त्रिपुरा	11.38	569	35	46.05	724	356	59.54	878	123	292.69	4203	193	89.49	1142	319	90.32	784	137
उत्तर प्रदेश	3638.68	45479	4690	2750.69	33823	3318	2855.02	33697	4742	3823.14	35149	4800	7479.29	50042	11084	9244.49	54834	11370
उत्तराखंड	80.06	3868	255	80.32	6141	447	132.48	5854	828	185.59	4244	490	275.44	2510	391	401.98	2442	469
पश्चिम बंगाल	976.95	14390	2354	715.28	11967	1398	267.67	5159	920	1587.88	24169	4053	958.23	10344	3216	1358.66	14652	4028
कुल	**16265.76**	**209947**	**31032**	**21502.7**	**188849**	**23516**	**24125.2**	**228871**	**34974**	**19575.68**	**220111**	**32321**	**36845**	**354833.41**	**57617**	**35483.41**	**251489**	**54933**

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत 2019-20 से राज्य-वार जारी किया गया सहायता अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2663.05	6187	1639.88	5620	1779.89	4620	2648.41	5605	2851.56	4604	2728.44	5085
2	असम	124.72	603	90.7	248	167.76	488	261.34	753	136.87	327	228.25	285
3	बिहार	23.67	53	0	0	41.89	55	33.54	69	68.65	111	48.96	139
4	छत्तीसगढ़	49.78	187	1.63	110	47.58	110	0	0	0	0	74.14	93
5	दिल्ली	32.65	501	247.67	685	162.74	615	185.51	937	166.89	688	191.70	714
6	गुजरात	131.96	864	43.32	378	120.66	447	72.77	437	95.19	187	108.84	215
7	हरियाणा	154.81	512	140.19	505	101.99	292	128.93	444	174.61	377	148.67	432
8	हिमाचल प्रदेश	71.77	302	69.2	212	67.15	144	69.05	89	84.13	119	101.12	154
9	जम्मू और कश्मीर	4.53	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	झारखंड	10.39	64	0	0	0	0	26.09	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	41.31	339	81.3	373	135.6	389	139.92	685	73.73	104	94.87	294
12	केरल	611.82	2112	628.3	1656	725.3	1883	762.41	2081	455.2	1549	1632.25	3951
13	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0.44	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	155.5	639	248.31	822	325.57	682	382.72	803	484.55	764	307.05	832
15	महाराष्ट्र	342.21	3036	180.11	2049	71.46	1677	383.87	523	311.19	1354	101.16	0
16	मणिपुर	974.01	2597	596.24	1523	741.55	1478	1016.29	2681	946.48	1942	1091.05	1894

17	मेघालय	32.59	443	105.37	322	29.64	84	101.76	361	87.86	352	165.55	482
18	मिजोरम	33.9	168	11.73	20	0	0	29.22	61	17.26	60	6.51	86
19	नागालैंड	2.48	30	26.32	47	0	0	30.36	60	46.83	48	38.28	53
20	ओडिशा	1001.05	3239	789.16	5953	1457.59	5306	929.8	4776	1382.09	2067	1284.63	2360
21	पंजाब	133.65	588	98.92	272	149.27	505	168.06	682	211.68	697	294.16	703
22	राजस्थान	261.6	1096	150.58	370	286.26	528	239.28	546	320.06	513	350.38	489
23	तमिलनाडु	191.9	786	208.25	706	137.06	1267	184.7	1320	312.15	1052	260.89	1036
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	15.57	44	51.67	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	1018.59	4105	1335.24	3580	1389.36	3604	1147.75	3249	1653.52	3017	2051.16	4095
26	उत्तराखंड	84.07	197	102.68	144	68.67	142	87.29	125	80.48	62	157.41	304
27	पश्चिम बंगाल	335.46	3621	336.31	1935	606.89	1389	811.67	4424	782.79	7162	610.29	7766
28	तेलंगाना	1646.76	5513	1168.25	3932	1439.72	4397	1527.48	4389	2121.26	3271	1780.89	3278
29	पुदुचेरी	32.61	141	18.48	80	35.89	71	85.27	205	80.65	162	82.75	158
	कुल	10166.84	**38004**	8318.14	**31542**	10089.49	**30173**	11469.06	**35349**	12997.79	**30589**	13939.4	**34898**

*डीईपीडब्ल्यूडी दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के लिए एससी/एसटी/सामान्य/ओबीसी श्रेणीवार डेटा नहीं रखता है।

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		कुल लाभार्थी	कुल राशि
		लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि		
1	अंडमान और निकोबार	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
2	आंध्र प्रदेश	628	5.2399	201	2.4243	1343	4.7474	3070	6.2620	625	3.4455	336	1.2836	6203	2.34026
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
4	असम	1089	2.1467	19	0.7497	783	2.0207	71	0.6710	322	1.0701	83	0.2721	2367	6.9303
5	बिहार	1771	6.5574	902	3.6822	2278	9.0513	1257	5.4317	1441	11.9410	875	6.4377	8524	43.1012
6	चंडीगढ़	17	0.3961	1	0.0833	34	0.0327	90	0.1927	343	0.7525	912	1.6520	1397	3.1092
7	छत्तीसगढ़	344	0.6806	7	0.1262	1125	1.5298	612	3.0101	456	0.7552	410	1.1986	2954	7.3006
8	दादरा और नगर हवेली	8	0.0086	1	0.0007	15	0.0130	28	0.0294	5	0.0057	0	0.0000	57	0.0574
9	दमन और दीव	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	0.0009	2	0.0021	2	0.0023	5	0.0053
10	दिल्ली	476	1.9945	8	1.1388	313	1.0253	502	1.6585	149	1.2949	107	0.5453	1555	7.65
11	गोवा	11	0.0162	6	0.0358	26	0.0551	25	0.0389	26	0.0344	22	0.0670	116	0.24
12	गुजरात	250	1.2744	1379	3.2426	1577	2.7591	1240	2.5580	1034	2.6293	1023	2.8364	6503	15.29
13	हरियाणा	239	0.8956	111	0.5673	275	1.0701	285	1.2916	136	0.9477	61	0.2683	1107	5.04
14	हिमाचल प्रदेश	142	0.3826	78	0.4865	186	0.5762	179	1.3118	204	1.0861	168	0.7366	957	4.57

15	जम्मू और कश्मीर	206	1.0056	545	2.4355	594	1.7661	547	1.8832	291	2.1764	79	0.3515	2262	9.61
16	झारखंड	286	1.1987	99	0.7906	145	0.9909	762	8.3186	331	3.4345	114	1.0288	1737	15.76
17	कर्नाटक	1100	5.0541	1239	5.4413	3331	16.9334	3026	16.2860	3428	23.2002	1722	7.5166	13846	74.43
18	केरल	3669	5.4825	4192	4.1035	5095	7.2184	4932	7.6189	3992	6.2938	5307	6.5225	27187	37.23
19	लद्दाख	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0
21	मध्य प्रदेश	5429	9.0405	4003	4.5954	5661	9.7270	8765	18.0335	1293	3.9276	1728	3.9266	26879	49.25
22	महाराष्ट्र	1082	4.0443	459	2.4890	1490	5.8300	691	5.9860	1757	6.7339	442	3.9973	5921	29.08
23	मणिपुर	12	0.0317	7	0.0150	0	0.0000	32	0.1116	27	0.1617	63	0.1679	141	0.48
24	मेघालय	0	0.0000	0	0.0000	6	0.0566	5	0.0073	22	0.0471	31	0.1153	64	0.226
25	मिजोरम	26	0.0359	5	0.0046	11	0.0155	12	0.1372	2	0.0698	0	0.0000	56	0.263
26	नागालैंड	0	0.0000	45	0.0485	6	0.0100	2	0.0018	7	0.0075	1	0.0032	61	0.07
27	ओडिशा	3341	7.4491	1495	3.0094	2699	5.4000	3168	6.1144	1467	4.3636	1941	6.0202	14111	32.35
28	पुदुचेरी	79	0.3888	27	0.2659	95	0.2863	46	0.2999	7	0.3876	56	0.1843	310	1.81
29	पंजाब	444	1.2273	1019	1.5529	1393	2.1197	1094	1.7366	608	2.3495	91	0.2266	4649	9.21
30	राजस्थान	1567	3.9550	76	1.4275	1856	4.0762	1084	3.5449	1007	3.5116	787	2.7516	6377	19.26
31	सिक्किम	7	0.0537	3	0.0027	3	0.0029	1	0.0009	1	0.0011	6	0.0369	21	0.09
32	तमिलनाडु	1181	4.4209	2000	5.2572	4384	9.1456	6448	13.4580	4046	10.6942	3820	7.0739	21879	50.04

33	तेलंगाना	328	1.8423	95	6.0501	1340	6.3951	2936	8.8594	879	6.7624	183	1.5136	5761	31.42
34	त्रिपुरा	159	0.3570	66	0.0974	186	1.1876	245	0.4755	329	1.8592	79	0.1712	1064	4.14
35	उत्तराखंड	391	1.4776	142	0.4644	259	0.9639	229	1.0455	64	0.4452	142	0.6201	1227	5.01
36	उत्तर प्रदेश	18205	45.7274	7177	36.7572	5115	32.9010	2318	24.3304	4477	24.8582	1934	6.5045	39226	171.07
37	पश्चिम बंगाल	485	2.1821	660	4.4215	512	3.4883	459	4.4916	596	5.2205	28	0.7000	2740	20.5
38	केनरा बैंक	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	447	24.7202	447	24.72
39	विज्ञापन और प्रचार	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.2000	0	0.5146	0	0.71
40	बैंक सेवा शुल्क और एजेंसी शुल्क	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.6621	0	0.3500	0	1.01
	कुल	**42972**	**114.5671**	**26067**	**91.7668**	**42136**	**131.3952**	**44162**	**145.1979**	**29374**	**131.3321**	**23085**	**90.5700**	**207796**	**704.82**

*डीईपीडब्ल्यूडी छात्रवृत्ति योजना के लिए एससी/एसटी/सामान्य/ओबीसी श्रेणीवार डेटा नहीं रखता है।

विशिष्ट दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड जारी स्थिति दिनांक 08/08/2025

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी किए गए यूडीआईडी कार्ड
1	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	6755
2	आंध्र प्रदेश	980828
3	अरुणाचल प्रदेश	4389
4	असम	231871
5	बिहार	642293
6	चंडीगढ़	12216
7	छत्तीसगढ़	267799
8	दिल्ली	97536
9	गोवा	12390
10	गुजरात	469038
11	हरियाणा	222465
12	हिमाचल प्रदेश	106392
13	जम्मू और कश्मीर	219261
14	झारखंड	202384
15	कर्नाटक	887030
16	केरल	396647
17	लद्दाख	3927
18	लक्षद्वीप	1187
19	मध्य प्रदेश	963155

20	महाराष्ट्र	1294207
21	मणिपुर	15376
22	मेघालय	33596
23	मिजोरम	6657
24	नगालैंड	3680
25	ओडिशा	857945
26	पुदुचेरी	23454
27	पंजाब	373978
28	राजस्थान	675422
29	सिक्किम	5569
30	तमिलनाडु	926111
31	तेलंगाना	781428
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4424
33	त्रिपुरा	41254
34	उत्तर प्रदेश	1560767
35	उत्तराखंड	101448
36	पश्चिम बंगाल	151712
	कुल	12584591

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1515
उत्तर देने की तारीख- 12/03/2025

दिव्यांगजनों की जनगणना

1515. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश की कितने प्रतिशत आबादी दिव्यांग है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार की देशभर में दिव्यांगजनों की जनगणना कराने की कोई योजना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार देश में दिव्यांगजनों के लिए कोई पेंशन योजना चलाती है; और
(च) यदि हां, तो उक्त पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि और पात्रता मानदंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) और (ख): विभाग देश में दिव्यांगजनों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जनगणना 2011 के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में दिव्यांगजनों की आबादी 2.68 करोड़ है, जो देश की आबादी का लगभग 2.21% है।

(ग) और(घ): आगामी जनगणना अभी तक घोषित नहीं की गई है। विभाग ने अगली जनगणना में दिव्यांगता संबंधी विशिष्ट प्रश्नावली को शामिल करने के लिए वह भारत के महापंजीयक के कार्यालय को उपलब्ध कराई है।

(ङ) और(च): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना फरवरी 2009 में, दिव्यांगता स्तर के रूप में 80% के मानदंड के साथ, शुरू की गई थी। वर्तमान में, देश भर में आईजीएनडीपीएस के तहत कुल 8.8 लाख लाभार्थी शामिल हैं। आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत गंभीर अथवा बहु-दिव्यांगता वाले 18-79 वर्ष के व्यक्तियों को 300/- रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के डिजिटल लाभार्थियों की संख्या अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, तक निधियां स्वीकृत की जाती हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1570
उत्तर देने की तारीख : 12/03/2025

देश में बौद्धिक अक्षमता

1570. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के संबंध में कोई सांख्यिकीय आंकड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस जानकारी की कमी के क्या कारण हैं;
(ख) परिवारों द्वारा त्याग दिये गये बेघर व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और
(ग) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): वर्ष 2011 की जनगणना में बौद्धिक दिव्यांगताओं के बारे में जानकारी एकत्र नहीं की गई थी, क्योंकि दिव्यांगता की यह श्रेणी नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल नहीं थी। हालाँकि, मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता की दिव्यांगता श्रेणियों को नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 में शामिल किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 ने बौद्धिक दिव्यांगता की श्रेणी को प्रस्तुत किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में दिव्यांगजनों की आबादी के आंकड़ों के लिए 2011 की जनगणना पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 15,05,964 मानसिक मंदता वाले व्यक्ति और 7,22,880 मानसिक रूग्णता वाले व्यक्ति हैं।

(ख) से (ग): 'लैंड' और 'कॉलोनाइजेशन' राज्य के विषय हैं। बेघरों सहित गरीबों के लिए आवास से संबंधित सभी योजनाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों में सहयोग करता है, ताकि देश भर में बेघरों सहित सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके। दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत एक अन्य योजना 'शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (एसयूएच)' है, जो शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित स्थायी आश्रय (शेल्टर) प्रदान करने पर केंद्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब वर्गों के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) कार्यान्वित की जा रही है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1572
उत्तर देने की तारीख-12/03/2025

निरामय योजना के लाभार्थियों की संख्या

1572. श्री अजीत कुमार भुयान

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास निरामय योजना के लाभार्थियों की संख्या और इसके लिए किए गए बजट आवंटन के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना वापस लिए जाने के कारण दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत दिव्यांग व्यक्तियों की पात्रता तय करने के लिए अलग-अलग मानदंड चुनने के क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) और (ख): जी, हां। वर्ष 2024-25 में निरामया योजना में 52559 लाभार्थी नामांकित हैं और योजना के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ): वर्ष 2015-16 में स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पूर्ववर्ती ट्रस्ट फंड के तहत प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया था। हालांकि, सरकार ने स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद कर दिया था और इसे पुनर्जीवित नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन शुरू किया था जिसमें दिव्यांगजनों को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व्यापक कवरेज प्रदान करती है, और इसके पात्रता मानदंड बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को कवर करते हैं।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1573
उत्तर देने की तारीख-12/03/2025

एनबीटी पुस्तकों का भारतीय सांकेतिक भाषा में रूपांतरण

1573. डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह
श्री लहर सिंह सिरोया

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) की 500 पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में रूपांतरित करने की समय-सीमा क्या है;

(ख) विद्यालयों और विशेष शिक्षा संस्थानों को इस पहल में किस प्रकार एकीकृत किया जाएगा;

(ग) क्या आईएसएल-आधारित कहानी की पुस्तकों का उपयोग कक्षाओं में करने के बारे में शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) की पुस्तकों का भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में रूपांतरण दिनांक 20 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। दिनांक 7 मार्च 2025 तक, 24 पुस्तकों की रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी है। रूपांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वीरगाथा सीरीज की पांच एनबीटी पुस्तकों का लोकार्पण विद्यालयों, अभिभावकों और आम जनता के उपयोग के लिए किया गया है।

(ख): वीरगाथा सीरीज की पुस्तकें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएसएलआरटीसी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, जहां एक समर्पित प्लेलिस्ट बनाई गई है। आईएसएलआरटीसी पीएम ई-विद्या डीटीएच आईएसएल चैनल में एनसीईआरटी का एक भागीदार (पार्टनर) है, और इन पुस्तकों को आईएसएल टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया है, जो विद्यालयों, विशेष शिक्षा संस्थानों, अभिभावकों और शिक्षकों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है। पीएम ई-विद्या डीटीएच आईएसएल चैनल यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हाल

ही में, हितधारकों के लिए सुगम्यता बढ़ाने के लिये एनसीईआरटी के सहयोग से "स्पीक विद योर हेंड्स, कनेक्ट विद हार्ट " नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(ग) और (घ): वीरगाथा सीरीज की पुस्तकों को आईएसएलआरटीसी के विभिन्न प्रशिक्षण, जागरूकता और ऑरिएंटेशन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। आयोजित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

(i) शिक्षकों, अभिभावकों और प्राचार्यों के लिए पांच संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित किए गए हैं।

(ii) आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विशेष शिक्षाविदों, काउंसलरों, अभिभावकों, और प्राचार्या को शामिल किया गया था ।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह (आईडब्ल्यूडी) 2023 के दौरान दिव्यांगता क्षेत्र में कार्यरत विद्यालय, विशेष विद्यालय और स्वैच्छिक संगठन इन पुस्तकों पर उन्मुख (ऑरिएंटेड) थे।

(iv) दिव्य कला मेला, आईआईटीएफ और पर्पल फेस्ट गोवा जैसे कार्यक्रमों में आईएसएलआरटीसी प्रदर्शनी स्टालों के माध्यम से इन पुस्तकों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाई गई।

(v) विश्व पुस्तक व्यापार मेले में एक समर्पित समावेशी स्टाल लगाया गया जहां इन पुस्तकों को जन जागरूकता के लिए प्रदर्शित किया गया।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1575
उत्तर देने की तारीख-12/03/2025

दिव्यांगजनों के लिए संस्था

1575. श्रीमती किरण चौधरी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय संस्थानों की संख्या कितनी है और क्या उक्त संस्थानों की क्षमता वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या 2014 से इन संस्थानों में पाठ्यक्रमों और छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से, विभिन्न दिव्यांगताओं में विशेषज्ञता वाले नौ राष्ट्रीय संस्थानों का संचालन करता है। विभाग इन संस्थानों को उनकी परिचालन आवश्यकताओं का समर्थन करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता-अनुदान के माध्यम से वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) जी, हां। इन राष्ट्रीय संस्थानों में प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या और छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2170
उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

अंतर्राष्ट्रीय एस्पर्गर दिवस

2170. श्री मिथलेश कुमार
श्रीमती माया नारोलिया

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाज में एस्पर्गर सिंड्रोम के प्रति समावेशिता और समझ को बढ़ाने के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियानों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कौन-कौन से तंत्र मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार एस्पर्गर सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष कौशल विकास और रोजगार कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि कार्यस्थल पर समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निजी संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ सहयोग किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) के तहत एस्पर्जर सिंड्रोम (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर) सहित सभी परिभाषित दिव्यांगताओं को अपने राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई), समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के माध्यम से दिव्यांगता से संबंधित कैलेंडर दिवसों के रूप में प्रतिवर्ष मनाता है। इन आयोजनों के व्यापक दस्तावेजीकरण और प्रभाव आकलन को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने एक जोटफॉर्म -आधारित रिपोर्टिंग तंत्र विकसित किया है। इसके लिए भाग लेने वाले सभी संस्थानों को फोटोग्राफ, आयोजित गतिविधियों के विवरण सहित, आयोजन के पूर्व और पश्चात की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

ये रिपोर्टें सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार, प्रेस विज्ञप्तियों तथा विभाग और उससे जुड़े संस्थानों द्वारा समन्वित प्रचारात्मक अभियानों का आधार बनती हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग प्रासंगिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जागरूकता पहलों को बढ़ाने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के साथ मिलकर काम करता है।

(ख) और (ग): दिव्यांगजनों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए, उन्हें लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर, उपयोगी और समाज के योगदानकर्ता सदस्य बनाने के लिए तथा उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। एनएपी-एसडीपी के तहत, 15 से 59 वर्ष की आयु समूह के एस्पर्जर सिंड्रोम (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर) सहित दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनएपी-एसडीपी योजना के तहत विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये सरकारी और गैर-सरकारी संगठन देश भर में कौशल प्रदान करते हैं।

विभाग ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पीएम-दक्ष पोर्टल- डीईपीडब्ल्यूडी विकसित किया है। यह पोर्टल उन दिव्यांगजनों तथा दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण संगठनों और नियोक्ताओं/जॉब एग्रीगेटर्स के लिए वन-स्टॉप डिजिटल गंतव्य है जिन्हें कौशल और रोजगार की आवश्यकता है।

(i) दिव्यांगजन कौशल विकास:- इस पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

(ii) दिव्यांगजन रोजगार सेतु:- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों के लिए नौकरी देने वाले नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है । यह प्लेटफॉर्म पूरे भारत में दिव्यांगजनों के साथ-साथ निजी कंपनियों में रोजगार/आय के अवसरों पर जियो-टैग आधारित सूचना प्रदान करता है।

(घ) और (ङ): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वावधान में काम करने वाले राष्ट्रीय संस्थान, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और एस्पर्जर सिंड्रोम (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर) पर उन्मुखीकरण (ओरियंटेशन) कार्यक्रमों सहित जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्थानीय प्रशासनों, राज्य और जिला प्रशासन और दिव्यांगता पुनर्वास में विशेषज्ञता वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय एस्पर्जर दिवस (18 फरवरी, 2025) को, राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी) ने अपनी ई-सूचना श्रृंखला - 16 के तहत 'एस्पर्जर एंड एडल्डहुड' शीर्षक से एक वेबिनार आयोजित किया था। इस सत्र में, विशेष शिक्षा के एक विशेषज्ञ के नेतृत्व में एस्पर्जर सिंड्रोम ग्रस्त व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों और समावेशन की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी गई थी। इस वेबिनार में सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें 107 व्यक्तियों ने गूगल मीट और यूट्यूब के जरिए अतिरिक्त पहुँच के माध्यम से सहभागिता की।

ये प्रयास एस्पर्जर सिंड्रोम ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जागरूकता बढ़ाने, प्रारम्भिक हस्तक्षेप करने और कार्यस्थल में उनकी समावेशिता को लाने में सामूहिक रूप से योगदान देते हैं ।

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2192
उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत व्यापक सुगम्यता

2192. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सुगम्यता लक्ष्यों, विशेष रूप से सार्वजनिक भवनों, परिवहन अवसंरचना के पुन:संयोजन और डिजिटल सुगम्यता को बढ़ाने में, को प्राप्त करने में हो रही महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) सार्वजनिक परिवहन, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर व्यापक सुगम्यता सुनिश्चित करने और उन्हें पूर्ण सुगम्य बनाने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है और इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि अब तक केंद्रीय सरकार की केवल 95 वेबसाइटों को ही सुगम्य बनाया गया है और यदि हां, तो केंद्रीय सरकार की सभी वेबसाइटों की पूर्ण सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (ग): चूंकि, "राज्य में निहित या उसके आधिपत्य आने वाले निर्माण में कार्य, भूमि और भवन" राज्य सूची का विषय है, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों की सुविधा के लिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त संगठनों/संस्थानों को इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के सृजन के लिए गैर-आवर्ती सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार शेष भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए नियमित समीक्षाओं के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निकट समन्वय कर रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

- विभिन्न साइटों की सुगम्य लेखा परीक्षा करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 59 सुगम्य लेखा परीक्षक को पैनल में शामिल किया है। इसके अलावा, वेबसाइट/एप्लिकेशन की लेखा परीक्षा के लिए 10 वेब/डिजिटल सुगम्यता लेखा परीक्षक को पैनल में शामिल किया गया है।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एआईसीटीई मॉडल पाठ्यक्रम में बी. प्लान और बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) के छात्रों के लिए समावेशी शहरी नियोजन और सुगम्य निर्मित वातावरण पर पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के साथ साझेदारी की है ।
- राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) के तहत जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, अपने ऐतिहासिक निर्णय में, सरकार को इस अधिनियम की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियमों को बनाने सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों के अनुपालन में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विषय विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। वर्तमान में यह विभाग आरपीडब्ल्यूडी नियमावली, 2017 के नियम 15 को संशोधित कर रहा है, ताकि गैर-परक्राम्य और परक्राम्य सुगम्यता मानकों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें।
- सुगम्य भारत, जो सुगम्यता से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन है, को नया रूप दिया गया है तथा दिव्यांगजनों को शामिल करके इसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल (यूजर फ्रैंडली) बनाया गया है ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 45 में प्रावधान है कि "सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर सुगम्य बनाया जाएगा"। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 46 में यह भी प्रावधान है कि "सेवा प्रदाता, चाहे वे सरकारी हों या निजी, ऐसे नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर धारा 40 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सुगम्यता नियमों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेंगे"।

केंद्र सरकार की वेबसाइटों की सुगम्यता के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत 95 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने भारतीय सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं, जिसमें डिजिटल सुगम्यता मानकों के प्रावधान शामिल हैं। संबंधित संगठनों द्वारा केंद्र सरकार की अन्य वेबसाइटों को भी सुगम्य बनाया जा रहा है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2195
उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

एडिप योजना

2195. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना) के अंतर्गत कितने दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदान किए गए हैं, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक भवनों एवं परिवहन प्रणालियों की पहुंच एवं समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण एवं पुनर्वास के लिए योजना के अंतर्गत आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) : सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप योजना) के अंतर्गत पिछले 03 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों की राज्यवार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ख) : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया था। इसके तीन महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र थे, नामत:- निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र, जिनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

भाग	कार्यक्षेत्र	उद्देश्य
ए	निर्मित वातावरण सुगम्यता:-	- सुगम्य सरकारी भवनों की संख्या बढ़ाना।
बी	परिवहन प्रणाली सुगम्यता:-	- सुगम्य हवाई अड्डों का अनुपात बढ़ाना, सुगम्य रेलवे स्टेशनों का अनुपात बढ़ाना तथा सुगम्य सार्वजनिक परिवहन का अनुपात बढ़ाना।
सी	सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र सुगम्यता:-	सुगम्य और उपयोगी सार्वजनिक दस्तावेजों और ऐसी वेबसाइटों के अनुपात में वृद्धि करना जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुगम्यता मानकों को पूरा करती हों, सांकेतिक भाषा के दुभाषियों की संख्या में वृद्धि करना, सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों के दैनिक कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटेशन (प्रस्तुतिकरण) के अनुपात में वृद्धि करना ।

(ग) : दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

1. सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप)।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)।

3. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)।

4. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ।

उक्त योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित बजट और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपये में)
बीई : बजट अनुमान
एई : वास्तविक व्यय

		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र.सं.	योजनाएं	बीई	एई	बीई	एई	बीई	एई	बीई	एई (13.3.2025 की स्थिति के अनुसार)
1	एडिप	220.00	198.70	235.00	242.29	245.00	290.60	315.00	346.27
2	डीडीआरएस	125.00	100.90	125.00	114.69	130.00	129.98	165.00	111.95
3	सिपडा	209.77	108.44	240.39	65.59	150.00	76.79	135.33	54.77
4	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	125.00	120.32	105.00	142.00	155.00	130.07	142.68	60.58

*****

अनुबंध-I

"एडिप योजना" के संबंध में दिनांक 19.03.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2195 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध					
पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)					
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कवर किये गये लाभार्थियों की संख्या	कवर किये गये लाभार्थियों की संख्या	कवर किये गये लाभार्थियों की संख्या	कवर किये गये लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	10755	8368	17558	9416
2	बिहार	6308	13488	23978	4847
3	छत्तीसगढ	468	1550	320	681
4	गोवा	28	4	418	219
5	गुजरात	13929	22286	18649	25030
6	हरियाणा	5743	6862	5913	3681
7	हिमाचल प्रदेश	1586	2036	1808	1738
8	जम्मू और कश्मीर	5331	7181	6817	2482
9	झारखंड	4399	13191	7850	7876
10	कर्नाटक	2922	13637	15752	7868
11	केरल	3126	3836	6766	1244
12	मध्य प्रदेश	24312	26166	33542	11723
13	महाराष्ट्र	25139	23118	55017	16895
14	ओडिशा	11529	12625	11138	13924
15	पंजाब	19009	12437	11259	7830
16	राजस्थान	11273	14465	19869	11956
17	तमिलनाडु	26118	10913	12622	1987
18	उत्तर प्रदेश	39396	40111	50045	45787
19	उत्तराखंड	4724	4646	2510	2336
20	पश्चिम बंगाल	7507	25174	10424	12133

"एडिप योजना" के संबंध में दिनांक 19.03.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2195 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध					
पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)					
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)
21	अंडमान और निकोबार	146	153	1	218
22	चंडीगढ़	428	473	163	659
23	दादरा एवं नगर हवेली	0	264	49	453
24	दमन और दीव	38	13	0	0
25	दिल्ली	1922	4008	3286	4754
26	लक्षद्वीप	0	0	15	1
27	पुदुचेरी	793	0	302	333
28	अरुणाचल प्रदेश	300	0	40	33
29	असम	9180	12065	17350	9220
30	मणिपुर	1694	1050	259	407
31	मेघालय	307	1511	42	768
32	मिजोरम	189	183	297	357
33	नागालैंड	487	318	48	590
34	सिक्किम	0	293	61	10
35	त्रिपुरा	643	3416	1142	752
37	तेलंगाना	3658	4146	11387	5963
38	लद्दाख			355	130
	कुल	243387	289987	347052	214301

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2199
उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र

2199. श्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान खोले गए जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) की कुल संख्या और उनके स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ख) पुनर्वास सुविधाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित किए गए 100 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का कुल मूल्य क्या है, साथ ही इन परियोजनाओं में किन-किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है;

(ग) प्रदान की गई सेवाओं और लाभार्थियों की संख्या के संबंध में इन पुनर्वास सुविधाओं की वर्तमान प्रगति क्या है; और

(घ) अल्पसेवित क्षेत्रों में और अधिक डीडीआरसी स्थापित करने की आगामी योजनाएं कौन-कौन सी हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): पिछले वर्ष कुल 42 नए जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) का उद्घाटन किया गया। इन डीडीआरसी की भौगोलिक अवस्थिति इस प्रकार है-

क्रम संख्या	राज्य	डीडीआरसी की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	9

2.	ओडिशा	6
3.	असम	1
4.	त्रिपुरा	4
5.	नागालैंड	1
6.	महाराष्ट्र	2
7.	मणिपुर	1
8.	मध्य प्रदेश	18
	कुल	42

(ख) और (ग): विभाग ने 100 करोड़ रुपये से अधिक परियोजना लागत वाली निम्नलिखित दो संस्थाएं स्थापित की हैं :

(i) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश: विभाग के तत्वावधान में स्थापित, एनआईएमएचआर एक बहु-विषयक दृष्टिकोण और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2018 में इसकी स्थापना को मंजूरी दी थी, जिसकी प्रारंभिक स्वीकृत लागत 179.54 करोड़ रू. (निर्माण के लिए 105.68 करोड़ रू. आवंटित) थी। एनआईएमएचआर शेरपुर, सीहोर में अपने स्थायी परिसर से शुरू हो गया है और 31.12.2024 तक 2,834 लाभार्थियों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

(ii) अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र (एबीवीटीसीडीएस), ग्वालियर, मध्य प्रदेश: 151.16 करोड़ रूपये के बजट से विकसित, यह केंद्र 34 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें आठ लेन वाले सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, बहुउद्देश्यीय हॉल और 208 प्रशिक्षुओं के लिए सुगम्य आवासीय सुविधाओं सहित आधुनिक खेल सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह केंद्र एथलेटिक्स, व्हीलचेयर बास्केटबॉल, पैरा-पावरलिफ्टिंग और गोलबॉल सहित विभिन्न खेल विधाओं में पैरा-एथलीटों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए अन्य प्रकार से सक्षम एथलीटों का समर्थन करने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(iii) डीडीआरसी की स्थापना राज्य सरकार की सिफारिशों और विभाग में जांच पड़ताल के आधार पर की जाती है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2203
उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

राष्ट्रीय न्यास और निरामय योजना

2203. श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन वित्त पोषण के स्रोतों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों के लिए निरामय योजना कार्यान्वित करता है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यास को वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या यह सच है कि निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना को सरकार द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय न्यास द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार दिव्यांगजनों के लिए कोई समर्पित बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, बौद्धिक दिव्यांगता (आईडी) और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास के वित्तपोषण के दो स्त्रोत निम्नलिखित हैं:

i. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया सहायता अनुदान।
ii. आंतरिक रूप से उत्पन्न निधि अर्थात कॉर्पस निधि निवेश और दान पर ब्याज।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय न्यास को प्रदान की गई निधियां:

2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
				रु. करोड़ में
29.80	28.14	35.00	35.00	31.00

(ग): ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का वित्तपोषण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए सहायता-अनुदान के माध्यम से किया जाता है ।

(घ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2206
उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

दिव्यांगजनों के लिए अवसंरचनाओं की सुगम्यता

2206. सुश्री स्वाति मालिवाल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत राज्य-वार कितने सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, परिवहन केन्द्रों और अवसंरचनाओं को सुगम्य बनाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने 100 प्रतिशत सुगम्यता प्राप्त करने के लिए समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान सुगम्यता के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई है; और

(घ) निजी क्षेत्र के भवनों, कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अनुपालन के लिए किस प्रकार के दंड या प्रोत्साहन की योजना बनाई गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (घ) : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, केंद्र और राज्य, दोनों को मौजूदा और नए सभी सरकारी भवनों को सुगम्य बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इन उपायों में स्थायी रैंप, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, ब्रेल संकेतक, स्पर्श फर्श, लिफ्ट आदि सुविधाएं शामिल हैं। चूंकि, राज्य में अथवा उसके स्वामित्व में निहित निर्माण कार्य, भूमि और भवन राज्य सूची का विषय है इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, परिवहन केन्द्रों और अवसंरचना के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जा रहे हैं। हालांकि, सुगम्य भारत अभियान के तहत, केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी स्वामित्व वाले 1671 सार्वजनिक भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा की और उसके आधार पर 1314 भवनों को सुगम्य बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके

अतिरिक्त, कुल 1723 केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के भवनों में सुगम्यता की सुविधाएं प्रदान की गई हैं । जिसमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा रेट्रोफिट किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 648 भवन और केन्द्र सरकार के 1100 भवन शामिल हैं। एआईसी के तहत निर्धारित लक्ष्य तथा उनकी स्थिति की रिपोर्ट ***अनुबंध 'क'*** में दी गई है।

31 मार्च, 2024 के बाद, एआईसी बाधा मुक्त वातावरण के सृजन (सीबीएफई) की योजना के तहत शामिल हो चुकी है । तब से, एआईसी के तहत प्राप्त प्रस्तावों और अनुदानों पर कार्रवाई "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा), 2016" – नामक व्यापक योजना के तहत सीबीएफई उप-योजना के अधीन की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि इन उप-योजनाओं के पास अलग से बजटीय आवंटन/स्वीकृति नहीं है क्योंकि निधियां सीधे व्यापक योजना से वितरित की जाती हैं। बाधा मुक्त/सुगम्य वातावरण के सृजन के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त उप-योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों से संबंधित विवरण ***अनुबंध ख*** पर दिया गया है।

इसके अलावा, धारा 45 (1) के तहत दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में अधिदेशित है कि:

> "सभी मौजूदा सार्वजनिक भवनों को केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार उस अवधि के भीतर सुगम्य बनाया जाए जो ऐसी नियमों की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों से अधिक ना हो।"

इसके अलावा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 49 के माध्यम से इस अधिनियम का अनुपालन ना करने पर दंड निर्धारित किया गया है जो अधिदेशित करता है कि:

> *"इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का किसी भी व्यक्ति द्वारा पहली बार उल्लंघन किए जाने पर अर्थ दंड लगाया जाएगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है और उसके बाद के किसी उल्लंघन पर अर्थ दंड पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन यह अर्थ दंड पांच लाख रुपये तक हो सकता है।"*

*****

अनुबंध-क

क्र.सं.	लक्ष्य	स्थिति
1	**सुगम्य सरकारी भवनों का अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य:** **लक्ष्य 1.1** : 50 शहरों में कम से कम 25-50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा पूरी करना और उन्हें जून, 2022 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना; **लक्ष्य 1.2** : राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के 50% को जून, 2022 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना; **लक्ष्य 1.3** : लक्ष्य 1.1 और 1.2 में शामिल नहीं किए गए राज्यों के 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों में 50% सरकारी भवनों की सुगम्यता लेखापरीक्षा को पूरा करना और उन्हें जून, 2022 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना;	लक्ष्य (1.1) के लिए – राज्य सरकार के भवन • राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में, लेखापरीक्षकों ने 48 शहरों में 1671 भवनों का सुगम्यता लेखापरीक्षा पूरी की। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों को 1671 सुगम्यता लेखापरीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं। इसके अलावा, अब तक 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 648 भवनों में रेट्रोफिटिंग कार्य पूरा करने की सूचना दी है। लक्ष्य 1.2 और 1.3 के लिए 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि 2839 राज्य सरकार के भवनों को लक्ष्य/चरणों (1.2) और (1.3) के तहत उनकी अपनी निधियों से सुगम्य बनाने के लिए चुना गया है। निर्मित वातावरण के लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार के भवन के लिए: • अब तक 1484 भवनों की रेट्रोफिटिंग के लिए वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा 31.03.2022 तक 1314 भवनों के संबंध में 553.59 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृति जारी की गई है। • केंद्र सरकार में, सीपीडब्ल्यूडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में सुगम्य भारत अभियान के तहत लक्षित केंद्र सरकार के चयनित 1100 भवनों में से 1030 में रेट्रोफिटिंग कार्य पूरा होने की सूचना दी।
2	**सुगम्य परिवहन प्रणाली [हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन वाहक (बसों)] के अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्य।**	• सभी 35 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 में सुगम्यता सुविधाएं (रैंप, सुगम्य शौचालय, हेल्प डेस्क तथा ब्रेल और श्रवण सूचना प्रणाली वाली लिफ्ट) उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा, सभी अंतरराष्ट्रीय / सीमा शुल्क हवाई अड्डों में एयरोब्रिज उपलब्ध कराए जाने की

	लक्ष्य 2.1 और 2.2 - हवाई अड्डे: सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना;	सूचना है। • अधिकांश हवाईअड्डों पर 'टेक्टाइल पाथ' (उभरे हुए मार्ग) की व्यवस्था की गई है जबकि 41 हवाईअड्डों पर एयरोब्रिज लगाए गए हैं तथा 12 हवाईअड्डों पर एम्बुलिफ्ट उपलब्ध हैं तथा इन्हें अन्य हवाईअड्डों के लिए खरीदा जा रहा है। • नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने भी हवाई अड्डों पर दिव्यांगजनों की निर्बाध जांच करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस संबंध में, सीआईएसएफ ने बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए, सॉफ्ट स्किल्स में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, अपने एसओपी को भी संशोधित किया है। • नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सुगम्यता मानक तैयार किए गए हैं। जन परामर्श आयोजित करने की प्रक्रिया चल रही है।
3	**लक्ष्य 3.1 और 3.2 - रेलवे:** रेलवे स्टेशनों की ए1, ए और बी श्रेणियों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना; सभी रेलवे स्टेशनों के 50% को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाएगा;	• सभी 709 ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर रेल मंत्रालय द्वारा चिन्हित सात (07) अल्पकालिक सुविधाएं नामत: रैम्प, दिव्यांगजनों के लिए दो पार्किंग स्थल, पार्किंग से स्टेशन भवन तक फिसलन-रहित रास्ते, संकेत चिन्ह, कम से कम एक पेयजल नल, एक सुगम्य शौचालय और 'क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं' बूथ मुहैया कराया गया हैं। • 603 रेलवे स्टेशनों को अतिरिक्त दो (02) दीर्घकालिक सुविधाओं अर्थात्, प्लेटफॉर्म के किनारों पर स्पर्श संकेतक तथा इंटर प्लेटफॉर्म ट्रांसफर की सुविधा का प्रावधान किया गया है।
4	**लक्ष्य 4.1 - बसें:** सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन वाहकों में से 25% को पूरी तरह से सुगम्य बनाया जाना है;	• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 तक, 1,47,152 बसों में से, 44,153 (30.01%) बसें आंशिक रूप से सुगम्य हैं और 8,443 (8.73%) बसें पूरी तरह से सुगम्य हैं ।
5	सुगम्य सरकारी वेबसाइटों की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य; सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटर का पूल तैयार करना; सार्वजनिक टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों की कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा में उसकी व्याख्या।	• विभाग ने 917 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए ईआरएनईटी इंडिया को 26.19 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिनमें से 23.52 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। राज्य सरकारों की कुल 603 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है, जिनमें से 459 वेबसाइटों को लाइव किया गया है।

	लक्ष्य 5.1 और 5.2 - वेबसाइटें: केंद्र और राज्य सरकार की कम से कम 50% वेबसाइटों को सुगम्यता मानकों को पूरा करना है।	• कॉन्टेन्ट मेनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत अब तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की 95 वेबसाइटों को एमईआईटीवाई द्वारा सुगम्य बनाया गया है।
6	**लक्ष्य 6.1 - सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटर्स:** 200 अतिरिक्त सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटर्स का प्रशिक्षण और उन्हें तैयार करना:	• सरकार ने सितंबर 2015 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) की स्थापना की है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुसंधान के उपयोग, शिक्षण और संचालन के लिए जनशक्ति विकसित करना है। • आईएसएलआरटीसी ने सूचित किया है कि आईएसएलआरटीसी के डिप्लोमा और अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1000 से अधिक व्यक्तियों को भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया गया है। • कुल 93 छात्रों ने 2016-17 से 2018-19 के दौरान तीन शैक्षणिक सत्रों में भारतीय सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन (डीआईएसएलआई) पाठ्यक्रम में डिप्लोमा पूरा किया है। आईएसएलआरटीसी वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष 2019- 21 के लिए डीआईएसएलआई का एक बैच चला रहा है।
7	**लक्ष्य 7.1 और 7.2 - टीवी देखना:** (क) सार्वजनिक टेलीविजन समाचार - कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन पर राष्ट्रीय मानकों को बनाया और अपनाया जाना है; (ख) सरकारी चैनलों पर कम से कम 25% सार्वजनिक टेलीविजन कार्यक्रमों को निर्धारित मानकों का पालन करना है	• सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) द्वारा टेलीविजन सेट, रिमोट कंट्रोल, उपकरण और इंटरनेट सामग्री के लिए सुगम्यता के साथ उप-शीर्षक, सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन प्रदान करने के लिए श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा सुगम्य टीवी देखने के लिए सुगम्यता मानक पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, एमओआईबी को दृष्टि बाधिता सहित अन्य दिव्यांगताओं के लिए समान दिशानिर्देश तैयार करने हैं। • टीवी पर सुगम्य सामग्री को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है और अब तक 19 निजी समाचार चैनल आंशिक रूप से सुगम्य समाचार बुलेटिन का प्रसारण कर रहे हैं, 2447 समाचार बुलेटिन उपशीर्षक/साइन-लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के साथ प्रसारित किए गए हैं और सामान्य मनोरंजन चैनलों द्वारा उपशीर्षक का उपयोग करते हुए

		3686 से अधिक निर्धारित कार्यक्रमों/फिल्मों को प्रसारित किया गया है।

अनुबंध 'ख'

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/वर्ष	सिपडा की एआईसी उप-योजना के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां				
		2019-2020	2020-2021	2021-22	2022-23	2023-24
		जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	78,927,625	-	73,442,048	-	-
3	असम	69,783,550	-	-	54,233,501	8,016,443
4	बिहार	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	198,822,000	9,176,839	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	9,920,508	-
7	गुजरात	-	-	47,794,865	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	39,097,505	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	87,857,850	-	-	-	-
11	झारखंड		-	-	-	-
12	कर्नाटक		-	-	-	-

		160,453,864				
13	केरल		-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	19,003,000	-	207,405,652	-	-
15	महाराष्ट्र		62,742,550	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	137,915,100	20,860,531	-
17	मेघालय	3,188,000	-	132,082,125	-	-
18	मिजोरम	41,766,809	-	-	-	-
19	नागालैंड		31,761,051	-	-	9,565,283
20	ओडिशा	22,173,715	-	-	-	-
21	पंजाब	114,401,750	-	-	-	-
22	राजस्थान	-	-	-	-	-
23	सिक्किम	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु		285,637,250	64,869,000	-	-
25	तेलंगाना	-	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	262,504,556	-	-		
27	उत्तर प्रदेश	144,670,740	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	37,287,750	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	29,750,059	-	-
30	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	-	44,859,191	-	-	-
31	चंडीगढ़	-	-	-	-	-

32	दिल्ली	-	-	-	-	-
33	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
34	पुदुचेरी	-	-	-	-	-
कुल		**1,279,938,714**	**434,176,881**	**693,258,849**	**85,014,540**	**17,581,726**

बाधा मुक्त वातावरण उप-योजना सिपडा के निर्माण के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	783.99	713.25	508.93	0
3	असम	0	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ		0	0	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	19.90	0	0	0	0
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0
11	झारखंड	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0
13	केरल	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	95.49	0	85.46	225.00
15	महाराष्ट्र	0	0	0	503.93	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0
17	मेघालय	1208.61	0	0	0	847.12
18	मिजोरम	0	108.94	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	0	0	0	0	0
21	पंजाब	0	0	0	325.70	0
22	राजस्थान	0	0	0	0	339.50
23	सिक्किम	0	0	0	0	416.50
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
25	तेलंगाना	0	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	0	587.44	0	0	0
27	उत्तराखंड	0	280.28	0	28.65	0

28	उत्तर प्रदेश	0	417.94	35.64	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	76.53	0
30	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	46	0	0	0	0
	कुल	1274.51	2274.08	748.89	1529.20	1828.12

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3003

उत्तर देने की तारीख : 26.03.2025

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

3003. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में राज्य-वार कितने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) क्या ये प्रमाण-पत्र ऑनलाइन पोर्टल द्वारा ऑनलाइन जारी किए जा सकते हैं;

(ग) दिव्यांगता से पीड़ित कुल कितने लोगों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं में आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों का दुरुपयोग न कर सके?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): पिछले पांच वर्षों में जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की वित्तीय वर्षवार संख्या						
राज्य का नाम	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025 (19.03.2025 की स्थिति के अनुसार)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1272	619	1209	817	902	811

आंध्र प्रदेश	97783	51858	233052	4786	576083	2139
अरुणाचल प्रदेश	684	421	916	885	627	520
असम	13963	27281	68563	66383	26420	20757
बिहार	7605	107591	66675	218222	96737	99281
चंडीगढ़	2453	527	930	1959	2062	1875
छत्तीसगढ़	31530	20510	37511	23460	23479	14340
दिल्ली	1191	3254	12343	25966	26274	19469
गोवा	115	914	2556	3985	2135	2001
गुजरात	76385	34705	56426	60655	58506	53229
हरियाणा	6277	6082	17682	69118	52118	30215
हिमाचल प्रदेश	20175	16210	18002	21872	14325	9395
जम्मू और कश्मीर	15129	9279	16104	87134	56837	23292
झारखंड	4119	700	26945	104876	30462	18388
कर्नाटक	150834	119480	168160	207802	126482	80290
केरल	110073	26076	18102	91284	77234	52396
लद्दाख	231	135	826	2175	259	206
लक्षद्वीप	24	293	547	18	74	173
मध्य प्रदेश	59771	212269	117264	77285	78021	84011
महाराष्ट्र	185404	169127	219304	212797	213075	164191
मणिपुर	1050	1110	2712	4492	2611	2317
मेघालय	4447	10756	3418	5022	3601	2758
मिजोरम	1079	909	525	643	1641	654
नागालैंड	471	247	723	755	581	528
ओडिशा	115780	48273	58202	161932	98633	113615
पुदुचेरी	2959	10123	4775	1362	1602	1971
पंजाब	91478	81984	54136	55582	34494	22435
राजस्थान	55807	8659	63560	60079	33783	97286
सिक्किम	358	1427	1281	1027	569	567
तमिलनाडु	120324	111354	199019	175305	154501	90643
तेलंगाना	477128	0	2	71	298094	4

दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	434	140	1298	1008	457	464
त्रिपुरा	1193	2264	17340	9829	3721	4357
उत्तर प्रदेश	204664	182618	163518	320264	250587	203381
उत्तराखंड	2761	4813	20362	52662	10804	7064
पश्चिम बंगाल	6	10	7	31	31947	62268
कुल	**1864957**	**1272018**	**1673995**	**2131543**	**2389738**	**1287291**

(ख): जी हां, स्वावलंबन पोर्टल (https://www.swavlambancard.gov.in/) के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जा सकता है।

(ग): मंत्रालय जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान की गई है और आज तक 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से लगभग 1.20 करोड़ दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं।

(घ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं में आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों का दुरुपयोग न करे, मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. दंड प्रावधानों सहित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का अधिनियमन।
ii. दिव्यांगजनों का सही आकलन करने के लिए नवीनतम दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश दिनांक 12.03.2024 को अधिसूचित किए गए हैं।
iii. यूडीआईडी पोर्टल का नया संस्करण नई और उन्नत सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है।
iv. आवेदनों के दोहराव और किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक कार्ड जारी करने से रोकने के लिए आधार अनिवार्य किया गया है।
v. आरपीडब्ल्यूडी (संशोधन) नियमावली, 2024 का कार्यान्वयन किया गया।
vi. सरकारी नियोक्ताओं, उच्च शिक्षा के सरकारी संस्थानों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों के लिए सलाह और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3009
उत्तर देने की तारीख : 26.03.2025

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता

3009. श्री सामिक भट्टाचार्य

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता के लिए नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अनुमोदन प्रक्रिया के संबंध में कोई चिंता जताई है, और यदि हां, तो इन चिंताओं का समाधान कैसे किया जा रहा है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने मौजूदा एनआईएलडी परिसर में बाढ़-प्रवण अवसंरचना का कोई आकलन किया है और कर्मचारियों और रोगियों, विशेष रूप से आगामी मानसून के मौसम के दौरान, के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या अंतरिम उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता के लिए एक नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव, विभाग का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित प्रस्ताव की जांच, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले, विभाग में प्रारंभिक स्तर पर की जा रही है।

(ख): विभाग के आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफडी) ने मुख्य रूप से लागत संरचना, खरीद मानदंडों के पालन और वित्त मंत्रालय के दिनांक 05.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रस्ताव पर प्रारंभिक टिप्पणियां प्रदान की हैं। निर्धारित मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के भाग के रूप में व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने से पहले संस्थान के परामर्श से विभाग में वर्तमान में इन टिप्पणियों का समाधान किया जा रहा है।

(ग): मंत्रालय ने संरचनात्मक अखंडता और न्यूनीकरण उपायों का मूल्यांकन करने के लिए जादवपुर विश्वविद्यालय तथा ओडिशा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय जैसे विशेषज्ञ संस्थानों से तकनीकी मूल्यांकन मांगा है। इसके अतिरिक्त, एक अंतरिम उपाय के रूप में, वास्तुकला परिषद और आईआईटी रुड़की के साथ परामर्श किया जा रहा है ताकि अल्पकालिक सुदृढीकरण की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके, जबकि नए भवन के प्रस्ताव के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होना है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3012
उत्तर देने की तारीख : 26.03.2025

सरकारी पहल के तहत वित्तीय सहायता योजनाएं

3012. सुश्री कविता पाटीदार:
श्री मिथलेश कुमारः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों तक सरकारी पहलों के तहत वित्तीय सहायता योजनाएं आसानी से पहुंच सकें;

(ख) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने रोजगार मेलों से परे क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए राजसहायता वाले वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के दायरे का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) : सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया जो 19.04.2017 को लागू हुआ। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम दिव्यांगजनों को अधिकार और हक प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समानता का अधिकार, भेदभाव न करने का अधिकार, क्रूरता, शोषण से सुरक्षा, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान में सुगम्यता, कानूनी क्षमता, कानूनी संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल है।

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि दिव्यांग व्यक्ति आसानी से सरकार की पहल के तहत प्रारंभ की गई वित्तीय सहायता योजनाओं तक पहुंच सकें। इनमें शामिल हैं:-

- सरलीकृत और सुगम्य आवेदन प्रक्रिया - ऑनलाइन विकल्पों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुगम्य बनाया गया है।

- समर्पित सहायता केंद्र - दिव्यांगजनों की सहायता के लिए विशेष सहायता डेस्क और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- सुगम्य अवसंरचना - सरकारी कार्यालयों और वित्तीय सेवा केंद्रों में पहुँच को आसान बनाने के लिए रैंप, लिफ्ट, और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- डिजिटल पहुँच - वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन को स्क्रीन-रीडर और सहायक तकनीकों के अनुकूल बनाया गया है।
- जागरूकता अभियान - उपलब्ध योजनाओं और आवेदन करने के तरीके के बारे में दिव्यांगजनों को सूचित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल का कार्यान्वयन जिसका उद्देश्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी और लाभ की डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना है।
- समर्पित हेल्पलाइन - टोल-फ्री नंबर और सहायता टीम आवेदन की प्रक्रिया के दौरान सहायता प्रदान करती हैं।

(ख) : रोजगार मेलों के अलावा दिव्यांगजनों की दीर्घकालिक रोजगार क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:-

- कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण – दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने देश भर में सूचीबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करके 15-59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों के बीच कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए वर्ष 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की। सितंबर 2023 में, कौशल और रोजगार प्रयासों को कारगर बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पीएम-दक्ष पोर्टल-डीईपीडब्ल्यूडी की शुरुआत की गई थी। इसमें दो मॉड्यूल शामिल हैं: दिव्यांगजन कौशल विकास, जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है, और दिव्यांगजन रोजगार सेतु, जो दिव्यांगजनों को भारत में निजी कंपनियों में जियो-टैग किए गए रोजगार के अवसरों से जोड़ता है। जॉब संबंधी कौशल और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण – दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा 34 में नौकरी की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी रोजगार में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त

अधिनियम की धारा 32 में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान है। विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण नीति प्रभावी और समान रूप से लागू की जाए। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।

- स्वरोजगार सहायता - स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती ऋण, अनुदान और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस विभाग के अंतर्गत नेशनल दिव्यांगजन फाईनैन्स एंड डिवैलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी) दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करता है। एनडीएफडीसी की प्रमुख योजनाओं में दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई) शामिल है, जो आय सृजन गतिविधियों, उच्चतर शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण, सहायक उपकरणों की खरीद के लिए रियायती ब्याज दर पर 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, और विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई) छोटे/सूक्ष्म व्यवसाय और विकासात्मक गतिविधियों के लिए त्वरित और आवश्यकता आधारित वित्त प्रदान करने के लिए उचित ब्याज दर पर 60,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।

- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए तथा विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए।

(ग) और (घ) : दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समग्र सुधार और अधिक समावेशी, समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के लिए, विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में वित्तीय सहायता योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3016
उत्तर देने की तारीख : 26/03/2025

विकलांग व्यक्तियों के लिए धनराशि का आवंटन

3016. श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्षों के आवंटन की तुलना में, विशेष रूप से दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए घटती जीडीपी हिस्सेदारी को देखते हुए, 2025 के बजट में दिव्यांगजनों के लिए आवंटित धनराशि कितनी है;

(ख) आवंटित धनराशि के वास्तविक उपयोग और अप्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आवश्यक सहायक उपकरणों, जैसे चलने-फिरने से संबंधित सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र और रूपांतरित वाहनों, पर जीएसटी लगाया जाना जारी रहने का क्या कारण है, जबकि ब्रांडेड आभूषणों पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है; और

(घ) 2023 के संसदीय पैनल द्वारा आवश्यक सहायक उपकरणों पर 5 प्रतिशत जीएसटी हटाने की सिफारिश के बावजूद सरकार नवीनतम बजट में इस मुद्दे का समाधान करने में विफल क्यों रही?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) : वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को बजट अनुमान 2025-26 में ₹ 1275.00 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। बजट अनुमान 2024-25 और बजट अनुमान 2023-24 में आवंटन क्रमशः ₹ 1,225.27 करोड़ और ₹ 1,225.15 करोड़ था।

(ख) : विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, इसलिए विभाग द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : वर्तमान में सहायक यंत्रों और उपकरणों पर एक समान दर से 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। हालांकि, श्रवण यंत्रों पर 0 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। सहायक यंत्रों और उपकरणों के सभी निर्माताओं और व्यापारियों को जीएसटी का इनपुट क्रेडिट तभी मिलेगा जब अंतिम उत्पाद पर जीएसटी देय हो। यदि सहायक यंत्रों और उपकरणों को जीएसटी से छूट दी जाती है तो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3532
उत्तर देने की तारीख : 02.04.2025

दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

3532. डा. जॉन ब्रिटास

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह देखते हुए कि केरल राज्य में प्रति वर्ष 2000 से अधिक छात्र दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, क्या सरकार केरल राज्य को इस योजना के अंतर्गत आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या को मौजूदा 710 से बढ़ाने पर सहमत है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) और (ख): जी, नहीं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे देश से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 'दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति' योजना के तहत उपलब्ध स्लॉट से कम है।

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 456
उत्तर देने की तारीख – 03/12/2025

दिव्यांग व्यक्तियों का समग्र पुनर्वास एवं आर्थिक सुरक्षा

456. श्रीमती दर्शना सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समग्र पुनर्वास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई विशेष पहल लागू कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उन प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) तथा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय पुनर्वास संस्थानों की वर्तमान कार्यप्रणाली की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल-विकास, क्षमता-विकास एवं सामाजिक-आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नए उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सरकार विभिन्न योजनाओं और संस्थानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सुविधाओं को मज़बूत करने हेतु विशेष पहल कर रही है। 'दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)' पुनर्वास योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देती है, जिसमें जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र बहुविषयक सेवाएं देते हैं। राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) विशेष पुनर्वास, प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं, और पूरे देश में जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं। 'एडिप योजना' प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों के माध्यम से बेहतर सुगम्यता के लिए दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान

करती है और बिक्री के बाद सहायक उपकरण संबंधी मदद भी करती है। 'दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी)' 15-59 आयु वर्ग के दिव्यांगजनों के बीच रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देती है। इसके अलावा, व्यापक छात्रवृत्ति योजना—जिसमें प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, फेलोशिप, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति और निःशुल्क कोचिंग शामिल हैं—प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए दिव्यांगजनों की शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नति में मदद करती है।

(ग): 'जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी)' और राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संस्थानों की कार्यप्रणाली की स्थिति इस प्रकार है:

1. डीडीआरसी: देश भर में लगभग 100 डीडीआरसी स्थापित किए गए हैं। वे शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक और स्पीच थेरेपी, मनोचिकित्सीय आकलन, सहायक उपकरण की सुविधा, कौशल प्रशिक्षण, ऋण की व्यवस्था, जागरूकता शिविर और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) हेतु नामांकन के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

2. राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रीय केंद्र: नौ राष्ट्रीय संस्थान और 30 समेकित क्षेत्रीय केंद्र, दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास अनुसंधान, सेवा प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामुदायिक पहुंच, शिक्षा और कौशल कार्यक्रमों के हब के रूप में काम कर रहे हैं।

3. एडिप/एलिम्को पीएमडीके: 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र सहायक यंत्र, फिटिंग, फॉलो-अप और रिपेयर सेवा प्रदान करने हेतु स्थायी सहायक उपकरण केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं।

(घ) और (ङ): सरकार अनेक पहलों के माध्यम से दिव्यांगजनों के कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है और उनका सामाजिक-आर्थिक समावेश कर रही है। विभाग ने एनएपी-एसडीपी की विशेष परियोजना श्रेणी में प्रख्यात प्रशिक्षण भागीदारों के साथ कई कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। उच्चतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु छात्रवृत्ति, फेलोशिप और निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से शैक्षिक समर्थन दिया जाता है। राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से क्षमता संवर्धन को मज़बूत किया जाता है। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र (पीएमडीके) अच्छी गुणवत्ता के सहायक उपकारणों तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, जबकि 'दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)' के तहत गैर-सरकारी संगठनों को समर्थन प्रदान करने से समुदाय-आधारित पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलता है।

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1245
उत्तर देने की तारीख- 30/07/2025

ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं

1245. श्री संजय सेठ:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से देश में पंजीकृत ऑटिस्टिक बच्चों की कुल संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2021 से संचालित ऑटिस्टिक बच्चों के लिए विशेष रूप से कार्यरत सरकारी वित्त पोषित पुनर्वास केंद्रों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ऑटिस्टिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रह सकें और उन्हें सामुदायिक सहायता प्राप्त हो सकें; और
(ङ) क्या सरकार ने मौजूदा पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) और (ख): सरकार दिव्यांग जनसंख्या का आकलन करने के लिए जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। उस समय ऑटिज़्म को दिव्यांगता के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। तथापि, बौद्धिक दिव्यांगता/मानसिक मंदता पर राज्यवार आंकड़े **अनुबंध-क** के अनुसार हैं।

इस कमी का समाधान करने और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने हेतु, विभाग यूडीआईडी परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यूडीआईडी पोर्टल (www.swavlambancard.gov.in) के माध्यम से, अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी दिव्यांगता मूल्यांकन के आधार पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करते हैं। 01.01.2021 और 24.07.2025 के बीच, ऑटिज़्म से पीड़ित व्यक्तियों को कुल 39,563 यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं। राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-ख** में दिया गया है।

(ग) से (घ): भारत में ऑटिज्म देखभाल और पुनर्वास के सामने प्रमुख चुनौतियाँ जैसे कम जागरूकता, देरी से निदान, प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी, थेरेपी की उच्च लागत, और सीमित बीमा कवरेज शामिल हैं। सेवाएँ मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं, जहाँ मानकीकृत प्रोटोकॉल और परिणाम ट्रैकिंग की कमी है। सामाजिक कलंक, अपर्याप्त संक्रमण समर्थन, और हितधारकों के बीच खराब समन्वय, प्रभावी देखभाल में और बाधा डालते हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, आरसीआई और आईएसआईटीईपी के माध्यम से पेशेवर प्रशिक्षण को मजबूत किया है, और निरमया स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से समर्थन प्रदान कर रही है, साथ ही डीडीआरएस के तहत विशेष परियोजनाओं के लिए अनुदान दे रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार अपने राष्ट्रीय संस्थानों/सीआरसी से संबद्ध क्रॉस डिसएबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स (सीडीईआईसी) के माध्यम से विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समग्र समर्थन प्रदान करती है। सीडीईआईसी जोखिम मामलों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग और पहचान सुविधाओं, उचित पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफरल; चिकित्सीय सेवाएँ जैसे कि स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, और माता-पिता/सहकर्मी परामर्श, संवेदी एकीकरण, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण सुविधाएँ ऑटिस्टिक बच्चों को इन केंद्रों पर प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में 26 सीडीईआईसी को मंजूरी दी गई है। सीडीईआईसी केंद्र स्थानीय अस्पतालों, एनजीओ, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के साथ सहयोग करते हैं ताकि रेफरल और सामुदायिक आधारित समर्थन को सुगम बनाया जा सके।

(ङ) : सरकार ने अपने पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन और निगरानी के कई स्तर स्थापित किए हैं, जिनमें आवधिक निरीक्षण, केंद्रीय निगरानी दल, और मानकीकृत मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग शामिल है। इन तंत्रों का उद्देश्य कार्यक्रम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना और निरंतर सुधार को सुगम बनाना है। कुछ केंद्रों ने चिकित्सा और परामर्श हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप "सफलता की कहानियाँ" दर्ज की हैं और अभिभावकों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। मूल्यांकन से बच्चों के संचार, एडीएल, सामाजिक और मोटर कौशल में सुधार और अभिभावकों के तनाव में उल्लेखनीय कमी का संकेत मिलता है, जो इन कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करता है।

*****

अनुबंध-क

"ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं" के संबंध में दिनांक 30/07/ 2025 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक मंदता/ बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या		
क्र.सं.	**राज्य**	**मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता**
1	आंध्र प्रदेश	132380
2	अरुणाचल प्रदेश	1264
3	असम	26374
4	बिहार	89251
5	छत्तीसगढ	33171
6	दिल्ली	16338
7	गोवा	1817
8	गुजरात	66393
9	हरियाणा	30070
10	हिमाचल प्रदेश	8986
11	जम्मू और कश्मीर	16724
12	झारखंड	37458
13	कर्नाटक	93974
14	केरल	65709
15	मध्य प्रदेश	77803
16	महाराष्ट्र	160209
17	मणिपुर	4506
18	मिजोरम	1585
19	मेघालय	2332
20	नागालैंड	1250
21	ओडिशा	72399
22	पंजाब	45070
23	राजस्थान	81389
24	सिक्किम	516
25	तमिलनाडु	100847
26	त्रिपुरा	4307
27	उत्तर प्रदेश	181342
28	उत्तराखंड	11450
29	पश्चिम बंगाल	136523
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	294
31	चंडीगढ़	1090

32	दमन और दीव	176
33	दादरा एवं नागर हवेली	180
34	लक्षद्वीप	112
35	पुदुचेरी	2335
	कुल	**1505624**

अनुबंध-ख

"ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं" के संबंध में दिनांक 30/07/ 2025 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को जारी किए गए यूडीआईडी कार्डों की वर्षवार और राज्यवार संख्या (01.01.2021 से 24.07.2025 तक)						
क्रम सं.	राज्य	2021	2022	2023	2024	2025
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	11	8	22	10
2	आंध्र प्रदेश	0	11	22	24	44
3	अरुणाचल प्रदेश	8	11	3	8	21
4	असम	77	138	112	137	125
5	बिहार	270	2529	373	374	279
6	चंडीगढ़	28	56	107	80	25
7	छत्तीसगढ	37	60	73	129	97
8	दिल्ली	92	503	809	721	424
9	गोवा	40	85	142	162	26
10	गुजरात	128	282	501	556	351
11	हरियाणा	54	130	151	134	113
12	हिमाचल प्रदेश	11	22	32	45	46
13	जम्मू और कश्मीर	48	98	319	172	112
14	झारखंड	11	381	86	61	48
15	कर्नाटक	250	511	519	483	404
16	केरल	267	828	1239	1148	569
17	लद्दाख	0	2	1	2	1
18	लक्षद्वीप	2	0	1	1	1
19	मध्य प्रदेश	229	133	199	322	262
20	महाराष्ट्र	297	1092	1856	1306	819
21	मणिपुर	8	35	38	56	59
22	मेघालय	7	30	24	43	45
23	मिजोरम	4	11	18	35	22
24	नागालैंड	13	13	2	13	4
25	ओडिशा	100	293	342	473	264
26	पुदुचेरी	6	10	24	46	23
27	पंजाब	103	96	131	104	80
28	राजस्थान	90	88	20	85	178
29	सिक्किम	13	21	10	10	10

30	तमिलनाडु	579	1583	1625	947	657
31	तेलंगाना	0	0	0	0	73
32	दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	7	11	23	8
33	त्रिपुरा	13	17	28	42	29
34	उत्तर प्रदेश	347	673	594	610	333
35	उत्तराखंड	36	121	109	104	78
36	पश्चिम बंगाल	0	4	170	1104	1585
	कुल	3172	9885	9699	9582	7225

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1255
उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

राष्ट्रीय दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय

1255. श्री अजय माकन:
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय दिव्यांगता अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी;
(ख) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना में देरी के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय का कार्य संचालन शीघ्रता से शुरू करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा के साथ कोई रूपरेखा तैयार की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): जी, हां। राष्ट्रीय दिव्यांगता अध्ययन एवं पुनर्वास विज्ञान विश्वविद्यालय (एनयूडीएसआरएस) की स्थापना का प्रस्ताव वर्ष 2015-16 की बजट घोषणा में किया गया था।

(ख), (ग) और (घ): प्रारंभ में, मौजूदा संस्थान को उन्नत करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, जिसे बाद में क्षेत्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए असम के कामरूप जिले में एक स्वतंत्र (स्टैंड अलोन) विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संशोधित किया गया। इसके बाद, अब तक डीपीआर संशोधन, हितधारक परामर्श, और अंतर-सरकारी समन्वय जैसी वैधानिक और वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। इसकी कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि भूमि की पहचान, भवन/अवसंरचना के निर्माण, मानव संसाधनों की भर्ती तथा विभिन्न प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

******

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1257
उत्तर देने की तारीख : 30/07/2025

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु उपाय

1257. श्री तिरूची शिवा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने दिव्यांगजन केंद्र (सीपीडब्ल्यूडी) प्रशिक्षण अकादमी के सहयोग से राज्य दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) इंजीनियरों के लिए 2-3 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए समय-सीमा और रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंत्रालय, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरपीडी) के उद्देश्यों के अनुपालन पर नजर रखने और आवंटन की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए दिव्यांगता-समावेशी उपायों के लिए बजट टैगिंग शुरू करने की मंशा रखता है, और यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने प्रशिक्षण परिणामों को इष्टतम करने के लिए किसी एआई उपकरण का उपयोग करके वास्तविक समय में निगरानी और जवाबदेही तंत्र का विस्तार करने की किसी संभावना पर विचार किया है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (ग): महोदय, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने वर्ष 2023-24 में राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 50 अभियंताओं के लिए सीपीडब्ल्यूडी अकादमी, गाजियाबाद के माध्यम से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।

चूंकि 'राज्य में निहित या उसके अधीन आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य का विषय है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और सुगम्य आईसीटी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण करने हेतु भी जिम्मेदार है कि विभिन्न योजनाएं सुगम्यता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

विभाग ने नवीनतम सुगम्यता प्रयासों पर निगरानी के लिए नियमित अनुवर्ती बैठकों, समय-समय पर परामर्श/परिपत्र जारी करने सहित निगरानी तंत्र स्थापित किए हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का सुगम्य भारत ऐप एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो नागरिकों को सुगम्यता संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट करने और उचित एवं त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या–1260
उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और ईडीआईआई के बीच साझेदारी की प्रगति

1260. श्री संजय सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उद्यमिता के माध्यम से दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को सशक्त बनाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है, यदि हां, तो इस साझेदारी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) इस साझेदारी के अंतर्गत ''सबल'' कार्यक्रम के तहत अब तक कितने दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित किया गया है और उनमें से कितने व्यक्तियों ने स्व–रोजगार या उद्यम स्थापित किए हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): जी, नहीं। तथापि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत आने वाले एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद के बीच 03.02.2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के स्व-रोज़गार को बढ़ावा देने हेतु कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि जुटाना है।

(ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने 2023 में कॉर्पोरेट जगत के लिए गोलमेज(राउंडटेबल) सम्मेलनों के आयोजन हेतु भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) को वित्त पोषित किया ताकि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यों के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए 'समर्थन, सक्रियता और सुनिश्चित आजीविका का निर्माण' (सबल) किया जा सके। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण का कोई घटक नहीं था।

****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1263
उत्तर देने की तारीख-30/07/2025

शारीरिक और मानसिक रूप से नि:शक्त/दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल

1263. डॉ. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में मूक-बधिर बच्चों सहित शारीरिक और मानसिक रूप से नि:शक्त / दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान, विशेष रूप से तमिलनाडु में, स्थापित किए गए ऐसे विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (ग): जी, नहीं। तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में मूक और बधिर बच्चों सहित शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****